हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

3 सितम्बर, 2015

खण्ड-2, अंक-2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार, 3 सितम्बर, 2015

	पृष्ठ संख्या
जाट आरक्षण संबंधी मामला उठाना	(2) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(2) 3
सांसद का अभिनन्दन	(2) 13
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(2) 13
नियम 45(1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(2) 28

773

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट (2) 46

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं (2) 47

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव -

(i) किसानों को उनकी अधिगृहीत की गई भूमि के मुआवजे संबंधी (2) 48

वक्तव्य

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी (2) 49

विद्यार्थियों एवं हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 54

विद्यार्थियों का अभिनन्दन (2) 61

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ) (2) 62

गैर सरकारी संकल्प

(i) हरियाणा को डिजिटल बनाने संबंधी (2) 63

सांसद का अभिनन्दन (2) 81

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ) (2) 81

वैयक्तिक स्पष्टीकरण -

श्रीमती गीता भुक्कल द्वारा (2) 82

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ) (2) 83

(ii) हरियाणा के किसानों के नलकूपों पर मुफ्त सौर उपकरण लगाने संबंधी (2) 84

बैठक का समय बढ़ाना (2) 92

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ) (2) 93

हरियाणा विधान सभा

वीरवार, 3 सितम्बर, 2015

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़ में प्रात : 10.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री कंवर पाल) ने अध्यक्षता की।

जाट आरक्षण सम्बन्धी मामला उठाना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल शुरु होता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न-काल शुरु होने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जाट-आरक्षण के इशू पर हमने एक काम-रोको प्रस्ताव दिया हुआ है। इस मुद्दे पर विभिन्न पार्टियों के नेताओं के अलग-अलग ब्यान आ रहे हैं जिसके कारण लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि फिलहाल प्रश्नकाल को रोककर इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाई जाए ताकि लोगों में पनप रहे भ्रम को खत्म किया जा सके। आपकी पार्टी के कुछ नेताओं के इस इशू के पक्ष में ब्यान आए हैं तथा आपकी पार्टी के ही कुछ अन्य नेताओं के इस इशू के विपक्ष में भी ब्यान आए हैं। आपकी पार्टी के अध्यक्ष के ब्यान के अनुसार वे इस इशू के पूरी तरह से पक्षधर हैं। मैं सभी पार्टियों के सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस गंभीर मुद्दे पर सदन में एक प्रस्ताव लेकर आएं तथा उसको पास करके केन्द्रीय सरकार को भेजें ताकि आम जनता के भ्रम को दूर किया जाए सके।

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री अभय सिंह चौटाला जी ने आपको संबोधित करते हुए आपकी **पार्टी शब्द** का प्रयोग किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को स्पष्ट करना चाहूंगा कि Hon'ble Speaker is not affiliated with any Party. स्पीकर साहब की कोई पार्टी नहीं होती है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक पार्टी से संबंध रखने का सवाल है इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब वर्तमान सरकार का प्रथम विधानसभा अधिवेशन हुआ था उस समय आपने स्वयं खुलकर ब्यान दिया था कि आप यहाँ पर आर.एस.एस. व भारतीय जनता पार्टी की वजह से विराजमान हैं तथा आपने यह भी कहा था कि मैं आर.एस.एस. व भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता हूं।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, मैं, इस बारे में स्पष्ट करना चाहूँगा कि विधान सभा का अध्यक्ष बनने से पहले तो सभी सदस्य किसी न किसी पार्टी से संबंध रखते ही हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न है कि यदि आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं तो विधान सभा के अध्यक्ष बनने के बाद तो आपको पार्टी के किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

श्री राममबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि श्री अभय सिंह चौटाला की तीन पीढ़ियाँ विश्व स्तर के आर.एस.एस. संगठन के साथ जुड़ी रही हैं। यह वैश्विक स्तर का एक सामाजिक संगठन है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि पहले जाट आरक्षण के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाई जाए उसके बाद प्रश्नकाल प्रारम्भ किया जाए।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाने के लिए केवल पहली बार हम ही प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। पहले भी ऐसे मुद्दों पर इस सदन में चर्चा करवाई जा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के एम.पी. श्री राजकुमार सैनी जी इस मुद्दे पर अलग राग अलाप रहे हैं तथा भारतीय जनता पार्टी के ही अध्यक्ष इस मुद्दे पर कुछ और ब्यान दे रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक ही मुद्दे पर दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आज सदन के सभी कार्य रोककर सबसे पहले इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदन में चर्चा करवाई जाए। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, पहले प्रश्नकाल हो जाए उसके बाद आपसे बैठकर बातचीत कर लेते हैं। (विघ्न)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है जितना अधिक यह मुद्दा महत्वपूर्ण है। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सपष्ट करना चाहूँगा कि यह प्रस्ताव नियम-68(4) के अनुसार हरियाणा सरकार के दायरे में नहीं आता है।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, ऐसी और भी बहुत सी चीजें हैं जो हरियाणा सरकार के दायरे में नहीं आती हैं एस.वाई.एल. नहर के मुद्दे पर भी इस सदन में चर्चा करवाई गई थी तथा एक प्रस्ताव पास किया गया था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जिस मुद्दे के बारे में आप बात कर रहे हैं यह घटना हाल ही में तुरंत घटित नहीं हुई है। एक आध दिन पहले कोई घटना घटी हो तब तो इस इशू को उठाया जा सकता है। यह विषय तो कई सालों से चल रहा है। पिछले 5-10 दिनों में या एक महीने के दौरान कोई आन्दोलन हुआ हो तब तो इस इशू को उठाया जा सकता है। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण के इशू पर काम रोको प्रस्ताव लाने में क्या हर्ज है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी कहते हैं कि जाट आरक्षण होना चाहिए और बी.जे.पी. के प्रधान सुभाष बराला जी भी कहते हैं कि जाट आरक्षण होना चाहिए। कुरुक्षेत्र के सांसद श्री राज कुमार सैनी जी अपने अलग राग अलापते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इस प्रकार की दोहरी बातें नहीं होनी चाहिए और प्रदेश की जनता के बीच इस बारे में स्पष्ट बात आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : इस बारे में कोर्ट ने फैसला दे दिया है और कोर्ट की बात को तो सरकार को मानना ही पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इस बारे में प्रस्ताव लाने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, कोर्ट की बात तो बाद की बात है। आप कहते हो कि यह मामला कोर्ट में है। कोर्ट में तो एक इशू और भी है और वह भी हरियाणा सरकार का ही है। पिछले दिनों जब पंचायत के चुनावों की बात आई थी जिस बारे में सत्ता पक्ष के लोगों ने निर्णय लिया था कि आठवीं पास और 10वीं पास लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और इसके लिए अधिसूचना जारी की गई है। उसके बाद लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट ने इस निर्णय पर रोक लगा दी। आपकी सरकार द्वारा कहा गया कि हम इस निर्णय को कानूनी रुप देंगे। मैं कहना चाहूंता हूं कि विधान सभा में यदि उस इशू को कानूनी रुप दिया जा सकता है तो फिर जाट आरक्षण के मामले को विधानसभा में उठाने में क्या दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो सरकार किसी इशू की पैरवी करती है और दूसरी तरफ किसी दूसरे इशू पर सरकार पीछे हट रही है।

श्री अध्यक्ष : कोर्ट ने उस इशू पर कोई फैसला नहीं दिया है बल्कि उस पर स्टे किया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमारे सीनियर साथी जाट आरक्षण के बारे में ब्यान दे रहे हैं लेकिन आप इस इशू को यहां उठाने के बारे में पीछे हट रहे हैं इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि यहां काम रोको प्रस्ताव लाने में क्या दिक्कत है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल के बाद इस बारे में बात कर ली जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण का मुद्दा एक महत्वपूर्ण इशू है इसलिए इस विषय पर पहले चर्चा कराई जाए क्योंकि यह मामला रोड़ त्यागी, जट सिख और बिश्नोई इन चार बिरादरियों से भी जुड़ा हुआ है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह चौटाला जी, प्रश्न काल का एक घंटे का समय है और प्रश्न काल ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए आप अपने सवाल पूछें और सरकार से अपने प्रश्नों के बारे में जानकारी लें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण का मुद्दा प्रश्न काल से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, अभी आप बैठिए।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नकाल होगा।

Steps Taken for Better Performance by Players

***752. Sh. Harvinder Kalyan :** Will the Sports and Youth Affairs Minister be pleased to state whether the Government has taken any steps for the better performance of the players/sports persons in the state; if so, the details of the steps taken in this regard ?

Health Minister (Sh. Anil Vij) :

Sir, a statement is laid on this table of the House.

Statement

Government has taken the following steps for the better performance of the players/sports persons in the state:—

* Haryana Govt. released the Haryana Sports & Physical Fitness Policy 2015 on 12th January, 2015 on National Youth Day.

* **Yog and Vyayamshalas Scheme :** A new programme under the name 'Yog and Vyayamshalas' has been initiated. Yoga and Vyayamshalas would be constructed in all the villages. In Phase-I, one thousand Yog and Vyayamshalas would be constructed across the State. At least 10 Yog and Vyayamshalas in each Assembly constituency would be constructed. In the Yog and Vyayamshalas facilities for yoga, vyayam and sports would be provided.

* **New Scheme for identification of talent :** For identification of sports talent a new scheme has been launched in the name of SPEED(Sports and Physical Exercise Evaluation and Development Test). Nearly 10 lac students have participated in the SPEED Test and 7886 have qualified in the final round. The meritorious 5000 players have opted for specific games. These players would be trained in sports nurseries.

* For the SPEED Test qualifying players there would be a programme to continuously evaluate their learning sports skills and achievements in the name of SPACE (Sports and Physical Aptitude Continuous Evaluation).

* **Nurseries :** In the year 2014-15, only 33 nurseries were running in the state, but now in the financial year 2015-16, there would be 150 SPEED nurseries in the state. Hence the number of nurseries has inceased 5 times compared to previous year.

* **Coaching facilities :** For making available coaching facilies in all the districts, the number of sanctioned posts in the department have been rationalized and allocation has been done both district wise as well as discipline wise. There are 1040 sanctioned posts of coaches in the Department, out of which 416 coaches are working and 624 posts of coaches are vacant in the Department.Depending upon available number of coaches discipline wise a proposal has been made to post these coaches in a uniform manner so that coaching facilites could be made available across the State and there is no area specific discrimination. The matter for filling up all vacant posts of coaches is under process.

* In the year 2014-15, Competition and Championship Centres (Sports Wings) were running in 9 districts for 13 games. Under this scheme 1169 players were benefited. Presently, Competition and Championship Centres (Sports Wings) have been established in 19 districts for 15 games. Under this scheme 1867 players will be benefitted.

* 16 stadiums under SC component scheme have been constructed.

*Modern and latest sports facilities have been provided such as Synthetic Athletic Track at Panchkula, Astroturf Hockey at Shahabad, Gurgaon, Sirsa, MNSS Rai, Sonipat, Hisar & Bhiwani and Football Synthetic Surface at Dariyapur (Fatehabad).

Athletic Synthetic Track and Football Synthetic surface are going to be laid very soon in District Stadium at Ambala Cantt.

- Scholarships to SC players under FAIR PLAY and scholarships to general players are provided.
- The Government has revised the rates of Cash Awards for medal winners of Olympics/Asian/Commonwealth Games/World championships/cups, National Game sand National Championships. The new rates are follows as under:-

Tournament and Championship	Medal	Old rates	New rates
Olympic/Paralympic games	Gold	5.00 crore	6.00 crore
	Silver	3.00 crore	4.00 crore
	Bronze	2.00 crore	2.50 crore
	Participation	11.00lakh	15.00lakh
Asian/Para AsianGames	Gold	02.00 Crore	03.00 Crore
	Silver	1.00 Crore	1.50 Crore
	Bronze	50.00 Lakh	75.00 Lakh
	Participation	05-00 Lakh	07.50 Lakh
Commonwealth/Para	Gold	1.00 Crore	1.50 Crore
Commonwealth Games	Silver	50.00 Lakh	75-00 Lakh
	Bronze	25.00 Lakh	50.00 Lakh
	Participation	05.00 Lakh	07.50 Lakh
World Cup/Championship	Gold	10.00lakh	25.00lakh
(once in four years)	Silver	08.00lakh	20.00lakh
	Bronze	06.00lakh	15.00lakh
	Participation	---	07.50lakh
World Cup/ World	Gold	10.00lakh	20.00lakh
Championship/Para World	Silver	08.00lakh	15.00lakh
Games/Para World Championship	Bronze	06.00lakh	10.00lakh
(Annual)	Particioation	—	03.00lakh
World University	Gold	-	07.00lakh
Games/Championship.	Silver	-	05.00lakh
	Bronze	-	03.00lakh
Asian Championship/Cup	Gold	04.00lakh	05.00lakh
	Silver	03.00lakh	04.00lakh
	Bronze	02.00lakh	03.00lakh
	Participation		
Commonwealth Championship	Gold	-	05.00lakh
	Silver	-	04.00lakh
	Bronze	-	03.00lakh

[Sh. Anil Vij]

Nationalj Para National Games/	Gold	3.00 Lakh	5.00 Lakh
SAF Games	Silver	2.00 Lakh	3.00 Lakh
	Bronze	1.00 Lakh	2.00 Lakh
National Championship/Para	Gold	2.00 Lakh	3.00 Lakh
National Championship.	Silver	1.00 Lakh	2.00 Lakh
	Bronze	0.50 Lakh	1.00 Lakh

- Rates of cash awards for State level Akhara Kushti competition, State level Kumar Dangal and State level Haryana Kesri have been revised as under:-

Competition	Medal	Old rates	New rates
State level Akhara Kushti	Gold	500	5100
competition	Silver	300	3100
	Bronze	200	2100
State level Kumar Dangal	Gold	21000	51000
	Silver	11000	31000
	Bronze	5000	21000
State level Haryana Kesri Dangal	Gold	31000	151000
	Silver	21000	100000
	Bronze	11000	51000

* National Boxing Academy at Rohtak, National Athletics (Throws) Academy at Rohtak and National Wrestling Academy at Sonepat have been set up by Sports Authority of India in collaboration with Government of Haryana.

* Earlier there used to be less than 200 sports centres in the State, now there would be 415 sports centres in the State of different games spread over all the districtsin the State.

* A proposal to construct Sports Facilitation Centre in all the District Sports Stadiums is under process. These Sports Facilitation Centres will have modern gym and exercise facilities, audio visual labs for coaches and players, changing rooms for players, small multipurpose hall, canteen facilities etc.

* A proposal to set up State Institute of Sports Development and Physical Fitness has been approved. The foundation stone of the institute building is likely to be laid in near future.

* Sports and Physical Infrastructure Authority of Haryana is being constituted.

* Haryana Institute of Adventure Sports is also being setup.

* For coaching and competition facilities and for operationalizing sports infrastructure in the State, there is a proposal to set up statutory Sports Councils at village level, block level and state level apart from the already existing District Sports Councils.

* A State Level Sports Steering Committee on Policy Evaluation to regularly monitor implementation of sports policy has been set up under the chairmanship of Hon'ble CM, Haryana.

* Haryana Sports Development Fund has been set up. Initially, grant of Rs. 80 crore has been made to the Haryana Sports Development for giving cash award to the medal winners and participants of various national and international championships.

* The State has 232 Mini/Rural Stadiums and 13 Sub Divisional Stadiums, 226 Rajiv Gandhi Gramin Khel Parisars in the state, 161 block level stadiums have been taken over by concerned District Sports Councils. 65 more Rajiv Gandhi Gramin Khel Parisars are in various stages of development. 2 State Sports Complexes, 21 District Sports Complexes, 4 Gymnasium Halls, 8 Swimming Pools, 8 Multipurpose Hall, 16 SC Component stadiums are constructed and 25 stadiums are under construction, 4 Synthetic Athletics Track and 5 Hockey Astro Turfs in operation. 1 Hockey Astro Turf at Hisar and one Football Turf at Village Dariyapur, District Fatehabad are in process. Construction of 100 bedded hostel at Meham (Rohtak) is in process. Synthetic Athletic Track is being laid at Bhim Stadium, Bhiwani. Astro Turf Hockey and Synthetic Track for Athletics have been completed with modern facilities at Sonipat Stadium.

* Hon'ble Chief Minister, Haryana announced on 11.8.2015 during the felicitation ceremony of Asian Games Medal Winners that reservation to outstanding sportspersons, international medalists (individual team events) would be given in class-I and Class-II posts in the recruitment through HPSC.

* Government of Haryana is taking steps to boost traditional games particularly Wrestling and Kabaddi. While felicitating medal winners of Asian Games-2014, Hon'ble Chief Minister, Haryana announced that 'Bharat Kesari' wrestling match on all India basis would be organized and winner will be awarded award money of Rs. 1 crore. Similarly, All India Level Circle Kabaddi tournament would be organized in the State and winning team of this tournament would also get Rs. 1 crore.

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पहले सभी काम रोककर जाट आरक्षण के विषय पर चर्चा करवाई जाए।

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, आपके काम रोको प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया है इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी तथा अब प्रश्न काल शुरु हो गया है। आप बैठिए। (शोर एवं व्यवधान) मैंने अपनी रूलिंग दे दी है कि इस विषय पर अब कोई चर्चा नहीं करवाई जाएगी।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पहले इस विषय पर चर्चा करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं और सदन के नेता से भी कहना चाहता हूं कि जाट आरक्षण के मुद्दे पर प्रस्ताव लाने में क्या हर्ज है ?

श्री राम बिलास शर्मा : अभय सिंह जी, इस विषय को प्रश्न काल के बाद उठा लेना। आप विपक्ष के नेता हैं और आप अपनी बात जीरो आवर में उठा सकते हैं तथा आपकी बात सुनी जाएगी। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब आपने हमारे काम रोको प्रस्ताव को डिसअलाउ कर दिया फिर आप कैसे इस पर चर्चा करवाएंगें। (शोर एवं व्यवधान)

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, पहले सभी काम रोककर इस पर चर्चा करवाई जाए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री रामविलास शर्मा : अभय सिंह जी, स्पीकर साहब ने अपनी रूलिंग दे दी है। आप प्रश्नकाल के बाद इस विषय को उठा सकते हैं।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जब आपने हमारे काम रोको प्रस्ताव को डिसअलाउ कर दिया है तो फिर कैसे आप इस पर चर्चा करवाएंगें ?

श्री रामविलास शर्मा : अभय सिंह जी, आप जीरो आवर में अपनी बात उठा लेना और स्पीकर साहब ने जो रूलिंग दी है उसको आपको फॉलो करना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया है यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मेरा इनसे निवेदन है कि अभी विधिवत रूप से सदन की कार्यवाही को चलने दें। हम जाट आरक्षण के विरोध में नहीं हैं। अभी सदन की विधिवत कार्यवाही चलने दें और प्रश्न काल के बाद जो भी उचित समय हो उस समय इस विषय को उठा लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रश्न काल को रोक कर इस पर चर्चा हो। इस विषय पर सभी की सहानुभूति भी है और हम भी नहीं चाहते कि इस पर चर्चा न हो। हम इसके विरोध में नहीं हैं। माननीय नेता प्रतिपक्ष अभी प्रश्नकाल को चलने दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन के नेता ने माना है कि यह ऐसा विषय है जिस पर चर्चा होनी चाहिए और हमने इसीलिए काम रोको प्रस्ताव दिया है कि यह विषय बड़ा महत्वपूर्ण है। हम नहीं चाहते कि सदन को चलने में कोई दिक्कत आए। हम चाहते हैं कि सदन लम्बा चले, प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर मिले ताकि सभी सदस्य अपने हल्के और प्रदेश के हित की बात कर सके। माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को स्वीकार करते हैं कि जाट आरक्षण का विषय बड़ा विषय है। लेकिन दूसरी तरफ बैकवर्ड क्लास के सांसद श्री राजकुमार सैनी इसको लेकर अलग ही राग अलाप रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) विज साहब मैंने आपका नाम नहीं लिया।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय अभय सिंह चौटाला जी पुराने सदस्य हैं। जो आदमी इस सदन का सदस्य नहीं है क्या उसके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है ?

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जो व्यक्ति प्रदेश के हालात खराब कर रहा है उसके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी बार-बार राजकुमार सैनी की बात कर रहे हैं । He is not the Member of this House. जब वह इस सदन का सदस्य ही नहीं है तो उनको लेकर इस सदन में चर्चा कैसे की जा सकती है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, वे भारतीय जनता पार्टी से कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट से सांसद हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, वे हमारे सांसद हैं लेकिन इस सदन के सदस्य नहीं हैं । (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहता हूं कि आप विधान सभा के रूल्ज एंड प्रोसीजर की किताब देख कर बतायें कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है, क्या उसके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है ?

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, वह भारतीय जनता पार्टी का सांसद है और वह जाट आरक्षण को लेकर अलग राग अलाप रहा है फिर उसके बारे में यहां चर्चा क्यों नहीं हो सकती ?

Shri Anil Vij : No-no. He is not a Member of this House so it cannot be discussed in this House. He is not a Member of this House. You cannot mention even his name because he is not a Member of this House. (Interruptions).

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, विज साहब ने करीबन 20 बार उन व्यक्तियों के बारे में यहां चर्चा की है जो इस सदन के सदस्य नहीं थे । इन्होंने राजीव गांधी जी के बारे में यहां कई बार चर्चा की है, वे कभी इस सदन के सदस्य नहीं रहे । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, यहां न तो मेरी चलेगी और न ही विपक्ष के साथियों की चलेगी इसलिए आप रूल्ज एंड प्रोसीजर की किताब देखकर बतायें कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है क्या उसके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है ? अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मुझे आपकी रूलिंग चाहिए ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने करीबन 20 बार यहां पर राजीव गांधी जी के बारे में चर्चा की है जो कि इस सदन के सदस्य नहीं थे ।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैंने क्या किया या क्या नहीं किया उसकी बात माननीय सदस्य आज न करें । ये आज की बात करें कि जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है क्या उसके बारे में यहां चर्चा की जा सकती है ?

श्री अध्यक्ष : 14 मिनट हो चुके हैं प्लीज आप सभी बैठें और प्रश्नकाल चलने दें।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : अध्यक्ष महोदय, जाट आरक्षण को लेकर एक दो लाईन का प्रस्ताव यहां पास करके केन्द्र सरकार को भेजना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के लोग अलग-अलग आवाजों में बात कर रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, कल कांग्रेस पार्टी की भी अलग-अलग मीटिंग्ज हुई हैं । पहले तो हुड्डा साहब ने करनाल में मीटिंग ली और उसके बाद किरण चौधरी जी ने चण्डीगढ़ में मीटिंग ली ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, विज साहब कभी तो कहते हैं कि इनकी सी.आई.डी. हो रही थी और कभी कहते हैं कि नहीं हो रही । ये सरकार का रूख तो स्पष्ट करें।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, my name has been mentioned and I would like to clarify on the issue. माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने मेरे बारे में यहां पर कहा है कि पहले तो मैं कहता हूं कि मेरी सी.आई.डी. हो रही है और बाद में मैं कहता हूं कि मेरी सी.आई.डी. नहीं हो रही है। Speaker Sir, Madam Kiran Chaudhary has mentioned my name. I have right to clarify the point. मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को कहना चाहूंगा कि इनको हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों को ध्यान से पढ़कर ही हाउस में आना चाहिए । Madam Kiran Chaudhary, have you ever read the Rules of Procedure and Conduct of Business Haryana Legislative Assembly?

Smt. Kiran Chaudhary : Speaker Sir, I read more than Shri Anil Vij. (शोर एवं व्यवधान) मैंने अखबारों में पढ़ा था तथा अखबारों की खबरों के अनुसार इनकी सी.आई.डी. हुई थी।

Shri Anil Vij : Speaker Sir, Madam Kiran Chaudhary have mentioned my name. I have every right to clarify my points. Hon'ble Member is misleading the House. I can explain my position Madam, you can not curtail my right.

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, अनिल विज जी पहले तो किसी विषय को उठा लेते हैं और फिर उससे पीछे हट जाते हैं। (शोर एवं व्यवधान) I reiterate that he first raves and rants and then withdraws.

श्री अध्यक्ष : किरण जी, आप कृपया करके बैठ जाईये और क्वैश्चन ऑवर को चलने दीजिए। अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी अपना सवाल पूछेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर सर, ***

श्री अध्यक्ष : अब सदन में मेरी परमिशन के बिना जो भी सदस्य बोल रहे हैं उनकी किसी भी बात को रिकार्ड न किया जाये। ज्ञान चंद गुप्ता जी, अब आप अपना अगला सवाल पूछें। (शोर एवं व्यवधान)

Heavy Losses to Power Distribution Companies

*754. **Shri Gain Chand Gupta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Power Distribution Companies in the State are bearing heavy losses due to non payment of electricity bills; if so, the steps taken by the Government to get rid of this problem ?

परिवहन मन्त्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

उपभोक्ताओं द्वारा बिजली बिलों की अदायगी न करने की समस्या का हल करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

(i) फील्ड स्तर के कार्यों की सख्त मॉनीटरिंग शुरु की गई है। बिलिंग तथा वसूली कार्यकुशलता के संबंध में फीडर/ग्रुप फीडर वार परफॉरमेंस की मॉनीटरिंग के लिए प्रक्रिया शुरु की गई है।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

(ii) जले हुए मीटरों को बदलने तथा टैम्पर प्रूफ नए मीटर लगाने के लिए एक अभियान चलाया गया है।

(iii) दोनों ग्रामीण तथा शहरी, चोरी वाले क्षेत्रों में एरियल बंचड केबल लगाई जा रही है।

(iv) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए "म्हारा गांव-जगमग गांव" स्कीम चलाई गई है।

(v) बिजली चोरी रोकने के लिए विजिलेंस के छापे मारे जा रहे हैं।

(vi) फील्ड कार्यालयों हेतु कॉमर्शियल स्टाफ की भर्ती के लिए प्रक्रिया शुरु की गई है।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय बिजली मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वर्ष 2005 से आज तक हरियाणा के बिजली निगमों को कितना नुकसान हुआ है। इस नुकसान के क्या कारण थे और इस नुकसान को दूर करने के लिए तत्कालीन सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये हैं?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने पूछा है कि जो हरियाणा के बिजली वितरण निगम है उनको वर्ष 2005 से अब तक कितना घाटा हुआ है। (विघ्न)

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, हम चाहते हैं कि पहले यहां पर भूमि अधिग्रहण बिल पर चर्चा की जाये । ***

श्री अध्यक्ष : अभय जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इस बारे में क्वेश्चन ऑवर के बाद बात करेंगे। मैं भी आपको यही कहना चाहता हूं कि अभी आप कृपया सभी बैठ जायें और क्वैश्चन ऑवर को चलने दें उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) हम इस विषय पर क्वैश्चन ऑवर के बाद चर्चा करेंगे । अभी आप कृपया करके सभी बैठ जायें। (शोर एवं व्यवधान)

(इस समय इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्यों द्वारा नारेबाज़ी करनी शुरू कर दी गई।)

श्री अध्यक्ष: मेरी परमिशन के बिना जो भी माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनकी कोई भी बात रिकार्ड न की जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : स्पीकर सर, मैं यह फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैंने कहा है कि यह विषय महत्वपूर्ण है लेकिन जो क्वैश्चन ऑवर की समयावधि है उसके बाद इस विषय के बारे में चर्चा कर ली जाये यह बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं । मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि सदन को जिस विधिवत् तरीके से चलना चाहिए हम सभी को उसमें सहयोग करना चाहिए। यह कोई ऐसा विषय नहीं है कि जो एकदम किसी घटना के घटित होने से उत्पन्न हुआ हो। यह आज का विषय नहीं है बल्कि यह वर्षों से चल रहा है। इस बारे में समाज के सभी व्यक्तियों और सभी वर्गों की अपनी-अपनी राय है । यह मामला कोर्ट में भी चल रहा है इसलिए इस मामले से संवैधानिक पहलू भी जुड़े हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बात की चर्चा सदन की कार्यवाही रोककर की जाये।

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, हम यह चाहते हैं कि सरकार इस प्रस्ताव को मान ले और प्रस्ताव को मानने में सरकार को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : स्पीकर सर, जैसा कि मैंने कहा कि इस बारे में क्वैश्चन ऑवर के बाद बात कर लेंगे इसलिए यह प्रस्ताव भी हो गया । मैं यह फिर से कह रहा हूं कि इस विषय की कोई ऐसी अरजेंसी नहीं है कि इस बारे में अभी सभी काम रोककर बात की जाये। मैं फिर से यह कह रहा हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और निर्धारित समय पर इस बारे में जितनी भी चाहें उतनी चर्चा विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा कर ली जाये। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि आरक्षण का विषय इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए और पूरे समाज के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और हमें किसी भी हालत में इस विषय को कमतर नहीं आंकना चाहिए लेकिन यह ऐसा विषय नहीं है कि सभी काम रोककर इस बारे में चर्चा की जाये। मैं सभी माननीय सदस्यों से यह कहना चाहूंगा कि पहले क्वेश्चन ऑवर को विधिवत चलने दें और उसके बाद इस बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा निर्धारित समय पर विस्तारपूर्वक चर्चा कर लें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : स्पीकर सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह माना है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और क्वैश्चन ऑवर के बाद इस बारे में चर्चा कर ली जाये । हमें भी इससे कोई समस्या नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि सभी काम रोककर इस विषय के बारे में चर्चा किया जाना इसलिए ज्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस समय ऐसे ब्यान दिये जा रहे हैं जिनसे आने वाले समय में पूरा प्रदेश बंटकर खड़ा हो जायेगा । हम समझते हैं कि इस कारण से इस विषय पर सभी काम रोककर बात किया जाना ज़रूरी है।

श्री अध्यक्ष : अभय जी, मैं समझता हूं कि शायद 40 मिनट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 40 मिनट में क्वैश्चन ऑवर समाप्त हो जायेगा। इसलिए आप कृपया करके अभी बैठ जायें और क्वैश्चन ऑवर को विधिवत् चलने दें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष जी, आपको शायद इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता हो लेकिन वास्तव में इससे बहुत फर्क पड़ता है ।

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष श्री अभय सिंह चौटाला जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि वे प्रश्नकाल को चलने दें । सदन के नेता ने भी उनसे प्रार्थना की है कि वे प्रश्नकाल को चलने दें । आपने भी अपनी रूलिंग दी है तथा चेयर की तथा सदन की यह एक गरिमा होती है उस गरिमा को स्वीकार करते हुये प्रश्नकाल को चलने दिया जाये । आपने यह कह दिया कि 40 मिनट बाद इस विषय पर प्रश्नकाल के बाद चर्चा कर ली जायेगी, तो इस प्रकार से प्रश्नकाल को निलंबित करने का कोई औचित्य नहीं है इससे केवल अध्यक्ष को फर्क नहीं पड़ता । सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाने की जिम्मेदारी हम सभी ने उनको मिल कर दी है इसलिए हम सबकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनकी रूलिंग को मानें । इसलिए मेरा विपक्ष के नेता से अनुरोध है कि अध्यक्ष की रूलिंग को स्वीकार करते हुये प्रश्नकाल को चलने दें।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, रूलिंग के अनुसार तो आपने उस काम रोको प्रस्ताव को डिस्अलाऊ कर दिया है और जब वह डिस्अलाऊ हो गया है तो उस पर प्रश्नकाल

के बाद किस प्रकार से चर्चा होगी ? आप उसको अलाऊ करवा दो हम प्रश्नकाल के बाद चर्चा करने के लिए तैयार हैं । (शोर एवं व्यवधान)

सांसद का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामविलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, अम्बाला के माननीय सांसद तथा हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रतनलाल कटारिया अपनी धर्मपत्नी के साथ सदन की कार्यवाही देखने के लिए बी.आई.पी. गैलरी में उपस्थित हैं । मैं सदन में उनका स्वागत करता हूँ ।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, पहले आप हमारे काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करवाओ । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभय सिंह जी, हम उस काम रोको प्रस्ताव को कालिंग अटेन्शन मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उस पर कल चर्चा कर लेंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हमने काम रोको प्रस्ताव दिया है, हमने कालिंग अटैन्शन मोशन नहीं दिया है ।

श्री रामविलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता ने भी श्री अभय सिंह चौटाला जी की बात का समर्थन किया है और आपने भी सहमति दे दी है । बी.ए.सी. की मीटिंग में भी आपने इनकी सभी बातों को माना है । इस विषय पर आपने अपनी रूलिंग दे दी है कि इसको कालिंग अटेन्शन मोशन में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा कर ली जायेगी । इसलिए मैं समझता हूँ कि अब प्रश्नकाल को चलने देना चाहिए ।

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय साथी श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो घाटे से जूझ रहे हैं, के बारे में चिन्ता व्यक्त की है । इन्होंने इससे संबंधित सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछा है कि 2005 से लेकर आज तक बिजली बोर्ड को कितना घाटा हुआ है ? उसके बारे में मेरा कहना है कि 2005-06 में 1360 करोड़ रूपये का घाटा था उसके बाद 2013-14 में यह घाटा बढ़ कर 26992 करोड़ रूपये हो गया और अब वर्ष 2014-15 में वह घाटा बढ़ कर 29362 करोड़ रूपये हो चुका है, यह अत्यन्त चिन्ता का विषय है ।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या पिछली सरकारों द्वारा इस बारे में कोई कदम उठाये गये या नहीं उठाये गये ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने पूछा है कि क्या पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कोई कदम उठाये हैं । अध्यक्ष महोदय, 29362 करोड़ रूपये का घाटा हुआ है तो सरकार का भी यह फर्ज था कि इसको कम करने के लिए कदम उठाये जाते और हरियाणा बिजली रेगुलेटरी कमिशन ने भी समय-समय पर सरकार को आगाह किया था कि हम बिजली देते हैं तो उसका भुगतान तो होना चाहिए । भुगतान न होने की वजह से निगम लगातार घाटे में जा रही है इसलिए समय-समय पर बिजली की टैरिफ भी बढ़नी चाहिएं । मैं माननीय

[श्री कृष्ण लाल पंवार]

साथी और इस सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2001-02 में केवल 0.6 प्रतिशत बिजली की टैरिफ बढ़ी थी । उसके बाद वर्ष 2002-03 में शून्य प्रतिशत यानि कोई बढ़ोतरी नहीं हुई । इसी प्रकार से वर्ष 2003-04 में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई । वर्ष 2004-05 तथा वर्ष 2005-06 में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई । इसी प्रकार से वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 में भी बिजली टैरीफ में वृद्धि दर शून्य प्रतिशत रही और कोई बढोतरी नहीं हुई । सर, वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 में बिजली का कोई भी टैरीफ नहीं बढ़ाया गया। वर्ष 2011 में 11.87% और वर्ष 2011-12 में 0.3% बिजली का टैरिफ बढ़ाया गया । इसी प्रकार से वर्ष 2012-13 में 13.35% और वर्ष 2013-14 में 11.48% टैरिफ बढ़ाथा गया है । पूर्व की सरकार ने चुनाव सिर पर होने की वजह से कैबिनेट में यह फैसला लिया कि बिजली विभाग में घाटा बढ़ता जा रहा है इसलिए बिजली का 15% टैरिफ बढ़ा दिया जाए । आज की हालत को देखते हुए मौजूदा सरकार ने 8.51% टैरिफ ही बढ़ाया है । मौजूदा सरकार ने इस विषय पर बड़ी चिन्ता व्यक्त की है । आज प्रदेश की सरकार यह सोच रही है कि डोमेस्टिक सप्लाई में, एग्रीकल्चर सप्लाई में और कॉमर्शियल सप्लाई में हम 24 घण्टे बिजली देना चाहते हैं । लेकिन चिन्ता का विषय यह है कि बिजली की टोटल जनरेशन का 22.05% हम रूरल में डोमेस्टिक बिजली के लिए दे रहे हैं जिसमें 64% का लाईन लोस हो रहा है । इसलिए सरकार ने अब 'म्हारा गांव-जगमग गांव' के नाम से एक योजना बनाई है जिसके अनुसार हरियाणा प्रदेश में किसी भी फीडर में 20% से कम लाइन लौसिज होना चाहिए, 90% से ज्यादा बिजली के बिलों की रिक्वरी होनी चाहिए और सभी घरों के मीटर घरों से बाहर खम्भे पर लगने चाहिए तब हम उस एरिया को 24 घण्टे बिजली देने के लिए तैयार हैं । जो 50 साल से भी ज्यादा पुराने बिजली के कन्डक्टर लगे हुए हैं उनको रिप्लेस करने के लिए हम हाई पावर क्वालिटी की केबल लगा रहे हैं । जिन घरों में बहुत पुराने मीटर लगे हुए हैं जिन से लोग बिजली की चोरी करते हैं जिसके कारण 27.49% लाईन लोसिज हो रहा है । उसके लिए भी सरकार ने एक योजना बनाई है कि यदि कोई कस्टमर अपना मीटर घर से बाहर लगवाता है और अगर उस मीटर की सील टूट जाती है या वह मीटर जल जाता है तो उस कस्टमर पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा और न ही उस मीटर को टैस्ट करने के लिए लैब में भेजा जाएगा बल्कि सरकार की तरफ से उसका नया मीटर लगाया जायेगा । हम हर कस्टमर को सुचारू रूप से बिजली देंगे ।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो लोग पूरा बिल भरते हैं और उस एरिया में बिजली के लाईन लोसिज 20% से कम हैं उसके बारे में मंत्री जी ने कहा कि उस एरिया को हम 15 घण्टे बिजली सप्लाई देंगे । बहुत सारे एरियाज ऐसे भी हैं जहां पर 90% तक लाईन लोसिज हैं उन लोसिज को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं ? पिछली सरकार के समय में भी ऐसी रिपोर्टस आई थी कि 90% लाईन लोसिज हो रहे थे । उसके लिए पिछली सरकार ने क्या कदम उठाये और अब की सरकार इनको कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमने 90 विधान सभा क्षेत्रों में 83 ऐसे फीडरों का चयन किया है जिनमें 84% बिजली की लाईन लोसिज हैं । हम उनके मीटर बाहर लगाएंगे जब मीटरों का लगाने का काम

पूरा हो जाएंगा और केबल की रिप्लेसमैंट का काम पूरा हो जाएगा तब हम उनको 18 घण्टे बिजली देनी शुरू कर देंगे। हरियाणा में जिन इलाकों में रात सात बजे से सुबह पाँच बजे तक दस घण्टे और दो घण्टे का दिन में यानी 12 घण्टे बिजली दी जा रही थी और जिन फीडरों पर 85% तक लाईन लोसिज है उन इलाकों को हम शुरू से ही 15 घण्टे बिजली दे रहे हैं, लेकिन पहले उन इलाकों की बिजली की तारों को रिप्लेस करेंगे । जब 20 परसैंट लाइन लौसिज कम होंगे और 90 परसैंट बिजली के बिलों की रिकवरी होगी, तब 24 घंटे बिजली देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने जिक्र किया कि जब मीटर घरों से बाहर आ जाएंगे और बिजली के बिलों की 90 परसैंट तक रिकवरी होगी तो हम उस इलाके को 18 घंटे और बाद में इन्होंने कहा कि 24 घंटे बिजली देने के बारे में बात हुई है। मुख्यमंत्री महोदय ने 100 फीसदी बिजली के बिल भरे जाने की बात कही है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी एक ऐसी कांस्टीच्यूएंसी है जिसमें 90 परसैंट से ज्यादा लोग बिजली के बिल भरते हैं और सभी घरों के मीटर आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से घरों से बाहर लगे हुए हैं लेकिन मेरे हल्के में बिजली की समस्या आज भी ज्यों की त्यों है मैं जानना चाहूंगा कि क्या उन एरियाज को प्रायरिटी पर लेंगे?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय,जैसा कि श्री अभय चौटाला जी ने कहा कि उनके हल्के के कुछ गांव के लोग 90 परसैंट बिजली के बिल भरते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने फीडर का जिक्र किया है। फीडर में एक गांव भी हो सकता है।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि मैंने यह बात कही है कि मेरी कांस्टीच्यूएंसी के अंदर 90 परसैंट से ज्यादा बिजली के बिल भरे जाते हैं। 10 परसैंट बिजली के बिल नहीं भरे गए उसका कारण यह नहीं है कि जान बूझकर ही नहीं भरे गए हों । यह भी हो सकता है कि किसी की कोई आर्थिक समस्या रही होगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि बिजली की चोरी करने में विश्वास रखे एवं बिजली के बिल न भरने में विश्वास रखे। मंत्री जी, जो लोग इस तरह से बिजली के बिल भरते हैं उनको आप कब से 24 घंटे बिजली देंगे, साथ ही मैं यह भी चाहूंगा कि आप इसकी समय सीमा भी बता दें?

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बता देता हूं और जो कहूंगा वही होगा। कोई फीडर चाहे एक गांव में 90 परसैंट बिजली के बिल देता है तो उसको हम अलग से फीडर देकर बिजली देने के लिए तैयार हैं। यह मैं ऑन दि फ्लोर ऑफ दि हाउस आश्वासन देता हूं। अभय जी, आप हमें लिस्ट दे दें कि इन-इन एरियाज में से 90 परसैंट रिकवरी है तो हम उन फीडरों को बिजली दे देंगे।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इनके पास हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 हल्कों की एक-एक गांव शहर और कस्बे के एक एक फीडर की रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि सदन में कोई भी मैंबर इस बारे में कुछ भी पूछे तो मंत्री जी उसका सही उत्तर दे सकें। मेरी कांस्टीच्यूएंसी में 90 परसैंट से ज्यादा बिजली के बिल भरे जाते हैं आप चैक करवा लें। आप कल से बिजली देना शुरु करो। वैसे भी हम तो आपको बिजली दे कर ही गए हैं मंत्री जी मेजें थपथपवाकर वाहवाही लूटना चाहते हैं।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अभय जी, मैं आपकी कांस्टीच्यूएंसी के एक एक गांव के बारे में भी बता सकता हूं कि किस गांव के कितने पैंडिंग बिल हैं।

To Open Girls College

***824. Sh. Jasbir Singh :** Will the Education Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open a Girls College in Pillukhera ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) : नहीं, श्रीमान् जी। अध्यक्ष महोदय, देसवाल जी ने पिल्लूखेड़ा में महिला महाविद्यालय खोलने के बारे में सवाल किया है। पिल्लूखेड़ा के आसपास 24 किलोमीटर के दायरे में जींद में गवर्नमैंट गर्ल्स कॉलेज है, इसके अलावा नरवाना में महिला महाविद्यालय काम कर रहा है। 37 किलोमीटर की दूरी पर जुलाना में गवर्नमैंट गर्ल्स कॉलेज है। देसवाल साहब की अपनी कांस्टीच्यूएंसी सफीदों में भी पिल्लूखेड़ा से 19 किलोमीटर की दूरी पर गवर्नमैंट गर्ल्स कॉलेज है इसलिए पिल्लूखेड़ा में अलग से महिला महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री जसबीर देसवाल : अध्यक्ष महोदय, पिल्लुखेड़ा क्षेत्र शिक्षा के बारे में बहुत पीछे है और खासकर कन्याओं की शिक्षा के बारे में तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि पिल्लुखेड़ा क्षेत्र की शिक्षा के बारे में सोच-समझकर कोई न कोई विचार सरकार द्वारा किया जाए ।

श्री रामबिलास शर्मा : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में कुछ नार्म्स होते हैं उनके लिए माननीय सदस्य श्री देसवाल जी को हमारी मदद करनी होगी । जब भी किसी स्कूल को खोला जाता है या अपग्रेड किया जाता है तो उसके लिए भवन चाहिए, खेलने का मैदान चाहिए और इनके लिए माननीय सदस्य को सरकार का सहयोग देना होगा। अगर पिल्लुखेड़ा में इस तरह की व्यवस्था हो जाती है तो सरकार इस बारे में अवश्य विचार करेगी ।

Development of Residential Sector

***770. Sh. Ved Narang :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to develop a residential sector in Barwala City ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : नहीं, श्रीमान जी।

श्री वेद नारंग : अध्यक्ष महोदय, बरवाला शहर लगभग 60 हजार की आबादी का शहर है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या बरवाला शहर में हुडा के सैक्टर्ज की सुविधा नहीं दी जानी चाहिए ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैंने यह कहा है कि इस समय कोई योजना नहीं है । बरवाला निश्चित रूप से हरियाणा प्रदेश के हिसार जिले का उभरता हुआ महत्वपूर्ण कस्बा है और इस कस्बे में विकास की काफी संभावनाएं हैं । पिछले लम्बे समय से यह क्षेत्र विकास के मामले में काफी वंचित रहा है । जहां तक माननीय सदस्य ने हुडा के सैक्टर विकसित करने के बारे में एक स्पेसिफिक प्रश्न किया है । यह बात बिल्कुल ठीक है कि वर्तमान में बरवाला कस्बे में हुडा के सैक्टर विकसित करने की सरकार के पास कोई योजना नहीं

है। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कस्बे का विकास करने के लिए उसे कन्ट्रोल एरिया घोषित किया जाता है । इसलिए The Punjab Scheduled Road and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 के तहत 17.2.2010 को बरवाला कस्बे को कन्ट्रोल एरिया के लिए घोषित किया गया था । जब कोई एरिया कन्ट्रोल एरिया घोषित हो जाता है तो उसके बाद उस एरिया का डिवैल्पमैंट प्लान बनता है । डिवैल्पमेंट प्लॉन एप्रूव होने के बाद ही किसी भी कस्बे में रिहायशी सैक्टर विकसित किये जा सकते हैं और उसके बाद हुडा उस काम को आगे ले सकता है । मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि अभी बरवाला कस्बे की डिवैल्पमेंट प्लॉन एप्रूव नहीं हुआ है । भविष्य में जब भी बरवाला कस्बे का डिवैल्पमैंट प्लॉन बन जायेगा तो हमारा प्रयास रहेगा कि बरवाला शहर का जल्द से जल्द विकास किया जा सके।

To provide jobs on Merit

***726. Sh.Subhash Barala :** Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide jobs on merit to check nepotism in the recruitment; if so, the details thereof ?

Chief Minister (Sh. Manohar Lal) : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

Statement

The State Government is very keen to bring fairness and transparency in the recruitment system in order to check nepotism. The following steps have been taken by the State Government so far:-

Transparent procedure for recruitments to be made by Haryana Staff Selection Commission

The State Government has decided to make recruitment on the basis of written examination followed by the interview where the marks of the **interview shall be 12% of the total marks** for the posts to be advertised and recommended by the Haryana Staff Selection Commission in case of all Group-C posts. The written examination shall be of 88% of the total marks and it shall be divided into two portions comprising,-

(1) 75% weightage for General Awareness,Reasoning,Maths, Science, English, Hindi etc. and;

(2) 25% weightage for History, Current Affairs, Literature, Geography, Civics, Environment, Culture etc. of Haryana.

Further it is also submitted that in case of recruitment of Teachers, Educational supervisor and Teacher Educator of School Education Department, belonging to Group-B & C posts, the following criteria have been made:-

(1)	Written test	80 percent
(2)	Experience	8 percent i. e. one percent for each completed year of service in the respective categories subject to maximum of 8 percent.
(3)	**Interview**	**12 percent**

It has also been decided that the number of candidates called for interview shall not exceed twice the number of vacancies. Government vide notification dated 23.07.2015 has amended para 6(d) of notification dated 28.01.1970 accordingly.

Transparent criteria for recruitments of Police Personnel

Home Department has issued notification dated 18th June, 2015 vide which amendment in Rule 12.15 (i) for sub-Rule (2) and 12.16 of Punjab Police Rules 1934 has been carried out to bring more fairness in the recruitment process of Police Personnel. Due to this amendment the following criteria for selection of Police Personnel shall be adopted:-

Selection Process in Brief

Physical Screening Test (PST):

All candidates shall be put to a Physical Screening Test carrying maximum of **fifteen marks** to judge their physical fitness and endurance. The qualifying standards prescribed for this test shall be as under :-

Candidates	Test distance	Qualifying Time
1. Male	5.0 Kilometre	25 minutes
2. Female	2.5 Kilometre	15 minutes
3. Ex. -serviceman and candidates belonging to disbanded Haryana State Industrial Security Force (HSISF)	2.5 Kilometre	13 minutes

Note: Radio Frequency Identification Device (RFID) or any other superior and reliable technology shall be used to ensure reliability of this test at the discretion of the Haryana Staff Selection Commission.

Knowledge Test (KT) :

An objective type Optical Mark Recognition (OMR) based written test of 60 marks shall be conducted of all those candidates who qualify the Physical Screening Test.

Physical Measurement Test (PMT):

The candidates after PST, KT and the scrutiny of documents shall undergo Physical Measurement Test as per standard prescribed under Punjab Police Rule 12.15 (2) read with 12.16 (9) (c).

Interview-cum-Personality Test:

Candidates shall be called for Interview-cum-Personality Test on the basis of their combined scores in Physical Screening Test + Knowledge Test + Physical Measurement Test upto three times the numbers of vacancies in each category.

The person/applicant who qualifies PST shall be eligible to appear for KT and person qualifying KT shall be eligible for PMT and person qualifying PMT shall only be eligible for IPT. Interview test shall be of total **ten marks** which are further divided as under:-

(i) Education - Maximum 02 marks

(ii) NCC certificate - Maximum 03 marks

(iii) Interview-cum-personality test - Maximum 05 marks

अध्यक्ष महोदय, हरियाणा सरकार ने एक संकल्प लिया है कि हम मैरिट के आधार पर नौकरियों में भर्ती करेंगे। अभी तक प्रदेश के अंदर नौकरियों में जो भाई-भतीजावाद चल रहा था तथा बैकडोर एंट्री चल रही थी उस पर हम रोक लगाएंगे जिसके लिए हमने transparent procedure बनाया है तथा हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन का गठन किया है जिसमें माध्यम से एक बात तो यह तय की गई है कि अब इण्ट्रव्यू में केवल 12 प्रतिशत् मार्क्स ही दिए जाएंगे। इससे पहले तो इण्ट्रव्यू में कहीं 30 प्रतिशत्, कहीं 40 प्रतिशत् तथा कहीं 50 प्रतिशत् मार्क्स दिए जाते थे । (विघ्न) लेकिन पहले हमेशा इण्ट्रव्यू में 12 प्रतिशत् से ज्यादा मार्क्स दिए जाते थे इससे नीचे नहीं दिए जाते थे । (विघ्न) मैंने इण्ट्रव्यू में 12 प्रतिशत् मार्क्स देने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, अब हम एक ट्रॉंस्पेरैंट पद्धति के माध्यम से हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन के द्वारा नौकरियों में भर्ती कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमने 30,000 नौकरियों के लिए एडवर्टाइजमैंट कर दी है तथा 20,000 नौकरियों को एडवर्टाईज़ करने की प्रक्रिया अभी पाईपलाईन में है । इस प्रकार से 50,000 कर्मचारी भर्ती किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हमने टीचर्ज़ की नियुक्तियों के संबंध में भी एक संशोधन किया है जिसके तहत उनको अनुभव के भी मार्क्स दिए जाएंगे अर्थात् एक वर्ष के अनुभव का एक अंक अतिरिक्त दिया जाएगा तथा मैक्सिमम 8 अंक दिए जाएंगे । इसी प्रकार से हमने पुलिस भर्ती में भी ट्रॉंस्पेरैंट पद्धति को अपनाया है जिसके अंतर्गत हमने physical & screening test तथा qualifications standard तय करके भेजे हैं जिसके तहत पुलिस भर्ती बहुत जल्दी ही की जाएगी।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं एक सप्लीमैंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस सरकार को बने हुए 10 महीने हो गए हैं । मैं पूछना चाहूँगा कि इस पीरियड में शिक्षा विभाग व अन्य और विभागों में से कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है तथा कितने बेरोजगार नवयुवकों को नई नौकरियाँ दी गई हैं। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक बेरोजगार नवयुवकों को नौकरियाँ देने की बात है, इस बारे में मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा स्टॉफ सलेक्शन कमीशन के माध्यम से transparent procedure adopt करते हुए हमने काम शुरू कर दिया है। अभी पिछले दिनों लैक्चरर्ज की भर्ती की पहली खेप का टैस्ट हुआ था। (विघ्न)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं आया है । मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने बेरोजगार नवयुवकों को वर्तमान सरकार ने अभी तक नौकरियाँ प्रदान की हैं तथा कितने कर्मचारियों को नौकरियों से निकाला है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, लैक्चरर्ज़ की पहली खेप के टैस्ट का परिणाम आ गया है तथा 15 दिन के अंदर ही उनको ज्वाईनिंग दे दी जाएगी ।

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि कितने कर्मचारियों को ज्वाईनिंग दी जाएगी ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहूँगा कि भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी है ।

श्री अध्यक्ष : कुलदीप शर्मा जी, आपका यह सैप्रेट प्रश्न है ।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, it is a related question. वर्तमान सरकार ने प्रदेश के अंदर 4 लाख नौकरियाँ देने की बात की थी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमने प्रदेश में 4 लाख नौकरियाँ देने की बात कभी नहीं की है तथा न ही किसी कर्मचारी को नौकरी से हटाया है । हमने उद्यम पॉलिसी के तहत 4 लाख लोगों को नौकरियाँ देने की बात की है जो अवश्य दी जाएंगी । (थंपिंग) जहाँ तक लैक्चरर्ज़ की भर्ती की बात है इस बारे में मैं दोहराना चाहता हूँ कि लैक्चरर्ज़ की पहली खेप के टैस्ट का परिणाम आ गया है तथा 15 दिन के अंदर ही उनको ज्वाईनिंग दे दी जाएगी । इसके अतिरिक्त 761 डॉक्टर्ज़ की भर्ती के लिए एडवर्टाईज्मैंट की गई थी जिसके तहत 389 डॉक्टर्ज़ की नियुक्ति की जा चुकी है तथा बहुत जल्द ही उनको ज्वाईनिंग दे दी जाएगी ।

Shri Kuldip Sharma : Speaker Sir, Hon'ble Chief Minister has not answered to my question. Specifically I asked as to how many people have joined the services and how many employees have been removed from the services during the period of the present Government. That question has not been answered by the Hon'ble Chief Minister.

श्री मनोहर लाल : हमने किसी को नौकरी से नहीं निकाला बल्कि पिछली सरकार के खिलाफ जितने भी कोर्ट्स द्वारा फैसले दिए गए थे उन फैसलों को मानना हमारा काम है, उनको दोबारा नौकरी देना और विधिवत नौकरी देना हमारा काम है लेकिन जो बैकडोर एंट्री से हजारों नौकरियां दे रखी थी उनको नौकरी देना हमारा काम नहीं है।

Detail of Land Acquisition Cases

***683 Sh. Balwant Singh** : Will the Chief Minister be pleased to states—

(a) the details of number of Land Acquisition cases in Ambala, Panchkula, Faridabad and Gurgaon districts in which no Regular First Appeal(RFA)has been file dagainst the orders of reference Courts from the year 2009 till date together with the number of cases in which RFAs are being filed in High Court alongwith the affidavits for condonation of delay for filing the RFA not in time in the High Court; and

(b) whether extra interest liability that has arisen due to non filing of RFA is to be borne by HUDA or plot holders?

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, सदन के पटल पर एक विवरणी प्रस्तुत है ।

विवरणी

(ए) 01.01.2009 से 31.08.2015 के अन्तराल में जिला अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद व गुडगांव रैफरेन्स कोर्ट द्वारा पारित 481 (एकत्रित केस) आदेशों में से 200 आदेशों के विरुद्ध नियमित प्रथम अपील दायर की जा चुकी है, जबकि 242 आदेशों को विधि-प्रामर्शी हरियाणा की मन्त्रणा के अनुसार चुनौती न देने का फैसला लिया गया। शेष 39 मामलों में नियमित प्रथम अपील दायर की जा रही है। विवरण निम्न प्रकार से है :-

(समयावधि 01.01.2009 से 31.08.2015)

जिला	रैफरैन्स कोर्ट के आदेश पारित	दायर की गई नियमित प्रथम अपील (आर.एफ.ए.)		नियमित प्रथम अपील (आर0एफ0ए) जो विधि-प्रामर्शी की मन्त्रणा अनुसार दायर नहीं की गई।	नियमित प्रथम अपील (आर0एफ0ए) दायर की जा रही है।
		देरी माफी के बगैर	देरी माफी के साथ		
अम्बाला	15	9	6	0	0
पंचकूला	12	3	1	2	6
फरीदाबाद	277	29	86	154	8
गुड़गांव	177	25	41	86	25
कुल	481	66	134	242	39

(बी) हुड्डा विनियमन अनुसार, बढा हुआ मुआवजा व इ पर देय ब्याज, प्लाट धारकों से अतिरिक्त मूल्य के रुप में वसूल किया जाता है। यह पाया गया कि नियमित प्रथम अपील माननीय उच्च न्यायालय में 5 से 10 वर्ष तक लम्बित रहती है, जबकि विभाग द्वारा माँगा गया देरी माफी का समय दो सप्ताह से पांच महीने के बीच रहता है। देरी माफी का समय,जो माननीय न्यायालयों द्वारा आम तौर पर माफ कर दिया जाता है, मामले को फैसला करने में माननीय न्यायालय द्वारा लिये गये समय की तुलना में बहुत कम है। इसलिए नियमित प्रथम अपील दायर करने में देरी के कारण देय अतिरिक्त ब्याज कुल मुआवजा राशि की तुलना में बहुत कम है।

श्री बलवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हुडा को एक एजेंसी के रुप में शुरू किया था ताकि लोगों को ठीक रेट पर प्लॉट मिल सकें । आज हुडा रियल इस्टेट का काम करने जा रहा है । कोर्ट के फैसले के बाद जितने केसिज में तीन महीनों के अंदर आर.एफ.ए. फाइल करने चाहिए उनमें डिपार्टमैंट आर.एफ.ए. फाइल नहीं करता है जिस कारण प्लॉट होल्डर्ज और लैंड होल्डर्ज दोनों को बहुत ही दिक्कत है । कई केसिज तो ऐसे हैं जिनमें हुडा ने पेमैंट एल.ओ. के दफ्तर में दे दी लेकिन वह पेमैंट एल. ओ. ने आज तक आगे खाते में नहीं डाली । ऐसे केसिज में से एक केस सुरेन्द्र सिंह का है जो कई सालों से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं । इसी तरह अम्बाला, सैक्टर-10 के लोग पेमैंट जमा कराना चाहते थे लेकिन हुडा ने परमिशन नहीं दी और उन लोगों पर ब्याज बढ़ता गया। उनकी इन्हांसमैंट बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जिसके लिए वे बेबस

[श्री बलवंत सिंह]

हैं इसलिए मंत्री जी बताएं कि उस डिले का जिम्मेवार कौन है। वर्ष 2010 का फैसला आया था कि इस तरह के केसिज में जो डिले होगी उसकी देनदारी हुडा करेगा। क्या मंत्री जी बताएंगें कि जिनके समय में हुडा द्वारा ये अनियमितताएं हुई हैं उनकी देनदारी हुडा के अधिकारी सहन करेंगे, हुडा ऑफिस सहन करेगा या लोगों पर डाली जाएगी।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जैसाकि हम सब जानते हैं कि हरियाणा का अर्बन इस्टेट डिपार्टमैंट हुडा के बिहाफ पर जमीनों को एक्वायर करता है और जमीनों को एक्वायर करने का प्रोसैस बहुत लम्बा है । उस प्रक्रिया में बीच बीच में ओब्जेक्शंज भी आते हैं और रैफ्रैंसिज भी आते हैं जिनका जवाब भी दिया जाता है । माननीय सदस्य ने विशेष रूप से अम्बाला, पंचकूला, फरीदाबाद और गुड़गांव के बारे में जानकारी मांगी है । कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में हरियाणा में हुडा के बिहाफ पर 24000 एकड़ जमीन की एक्वीजिशन की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है । बहुत सारे रैफ्रैंसिज 1894 के एक्ट के तहत इन्हांसमैंट आफ कम्पनसेशन के प्राप्त हुए और विभिन्न अदालतों में ये मामले गए । माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में मैं उनको बताना चाहूंगा कि जो आर.एफ.ए. हैं जिसको किसी भी कम्पनसेशन के मैटर में विभाग को दाखिल करना चाहिए , वे बेंच के तौर पर मिलती हैं क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में अपील दाखिल होती हैं । इस प्रकार की अपील में विभाग का काम उनको चैलेंज करना होता है । समय समय पर विभाग पूरी प्रक्रिया अपनाते हुए विभिन्न कोर्ट हैं, जिनको हम रैफ्रैंसिज कोर्ट का नाम देते हैं, आदेशों पर अपील दाखिल की गई । कुल मिलाकर अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव और पंचकूला में 481 रैफ्रैंसिज कोर्ट के आडर्ज प्राप्त हुए । उनमें से 66 में आर.एफ.ए. विदआउट एनी डिले दाखिल कर दी गई । जिसमें मामूली डिले रहती है या ज्यादा से ज्यादा दो हफ्ते से लेकर तीन चार महीने तक डिले रहती है यानि एवरेज डिले दो महीने से ज्यादा नहीं होती जिसको माननीय न्यायालय ने कंडोन कर दिया, ऐसे 134 मामलों में वह अपील दाखिल की गई । 242 केसिज फरीदाबाद और गुडगांव के, पानीपत में केवल दो और अम्बाला में कोई नहीं था जिनमें सरकार के एल.आर. विभाग की एडवाइस पर कि इनमें अपील नहीं बनती है, अपील दाखिल नहीं की गई । 39 ऐसे मामले हैं जिनमें अपील दाखिल की जा रही है कुल मिलाकर अपील में डिले, जिसकी माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है वह इतनी बड़ी नहीं है कि उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट कंपसेशन पर आए । क्योंकि अदालतों में कानूनी प्रक्रिया में 5 से 10 साल का समय लगता है और विभाग की तरफ से डिले दो सप्ताह से लेकर 4 - 5 महीने से ज्यादा नहीं होता है और एवरेज डिले 2 महीने का होता है । जिसका बहुत बड़ा इमपैक्ट कंपसेशन पर नहीं पड़ता । अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने दूसरा सवाल यह पूछा है कि इस तरह का जो डिले होता है या कंपसेशन किसानों को दिया जाता है वह हुडा द्वारा वहन किया जाता है या प्लाट होल्डर्ज से लिया जाता है । इस बारे में मैं बताना चाहूंगा कि निर्धारित प्रक्रिया है कि किसी भी प्रकार का कंपसेशन या इन्हांसमैंट अदालतों द्वारा दिया जाता है वह प्लॉट मालिकों से ही लिया जाता है। जहां तक डिले पेमैंट का इम्पैक्ट है वह नगण्य होता है ।

श्री बलवन्त सिंह : अध्यक्ष महोदय, बहुत से केसिज में 4 से 5 महीने से भी ज्यादा समय विभाग द्वारा लिया जाता है । मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि श्री सुरेन्द्र सिंह का केस 19.1.2013 को अवार्ड हो गया था जिसका आर.एफ.ए. न0.3785 है । कोर्ट का फैसला होने

के बाद भी आज तक उसको पेमैंट नहीं मिली है । ऐसे बहुत से केसिज हैं जिनमें कोर्ट का फैसला होने के बाद भी पेमैंट नहीं की जाती और वे विभाग के चक्कर काटते रहते हैं । बहुत से लोगों की तो मृत्यु भी हो जाती है लेकिन उनको मुआवजा नहीं मिलता । इस तरह के केसिज में जो पैनल्टी पड़ती है उसका पैसा हुडा द्वारा वहन किया जाता है या प्लाट होल्डर्ज से लिया जाता है।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, यदि कोई ऐसा असामान्य मामला है और माननीय सदस्य हमारी जानकारी में लायेंगे तो निश्चित रूप से उस पर हम कार्यवाही करेंगे। यदि उसमें कोई असामान्य गलती मिलती है तो विभाग के दोषी अधिकारियों की जिम्मेवारी भी फिक्स की जायेगी ।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं और मुख्यमंत्री जी तथा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों में भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में कितनी जमीन एक्वायर करने की नोटिफिकेशन करने के बाद रिलीज की गए ? उनमें मौजूदा सरकार को क्या अनियमितताएं मिली और यदि उनमें सरकार को अनियमितताएं मिलीं हैं तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव मैनीफैस्टो में यह प्रोमिस भी किया गया था कि पिछली सरकार के समय में जितने भी भूमि घोटाले हुए हैं, सरकार बनने के बाद एक साल के अंदर-2 उनकी जांच करके सख्त कार्यवाही की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उस समय किए गए भूमि घोटालों की जांच करने के लिए विधानसभा के सदस्यों की एक कमेटी बनाई जाए तभी इसका जल्द अच्छा रिजल्ट आयेगा । यदि इसका सही और जल्द रिजल्ट चाहिए तो मुझे भी उस कमेटी का मैंबर जरूर बनाया जाए । मैं उन सभी घोटालों का दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा ।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय साथी चौधरी कुलदीप जी ने यह जो विषय उठाया है वैसे तो यह स्पेट प्रश्न है लेकिन मैं माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा । माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है और सभी जानते हैं कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश में जमीनों के एक्वीजेशन के नाम पर, उनको रिलीज करने के नाम पर जो बेकायदगियां और घोटाले हुए हैं तथा हरियाणा प्रदेश को लूटने का काम किया गया । पूरे सदन ने पिछले सैशन में भी इसकी अभिव्यक्ति की थी और विपक्ष के सदस्यों ने सरकार का सहयोग करके इस बारे में बहुत सारी जानकारी उपलब्ध करवाई है । सरकार एक एक मामले का बड़ी जिम्मेवारी और सुक्षमता से गहन अध्ययन कर रही है । जो जो मामले सरकार को जांच के योग्य लगे हैं उनको सरकार ने जांच के लिए आगे भेजने का काम किया है । मेरा माननीय सदस्य चौधरी कुलदीप जी से निवेदन है कि यदि उनके पास इससे संबंधित कोई और जानकारी भी है तो सरकार को उपलब्ध करवायें । जो जानकारियों हमें पहले मिली हैं उनका अध्ययन सरकार ने पूरी जिम्मेवारी के साथ किया है । माननीय सदन के नेता ने सदन में विश्वास व्यक्त किया है और अपोजीशन के साथियों ने सहयोग किया है । हम इस विषय की पूरी इन्क्वायरी करवा रहे हैं और इसका दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे । अगर कोई दोषी है तो उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्यवाही होगी। किसी के खिलाफ राजनीतिक पूर्वाग्रह और दुराग्रह के आधार पर कार्यवाही नहीं की जायेगी । हमारी यही

[कैप्टन अभिमन्यु]

कोशिश रहेगी कि पूरे प्रदेश में ईमानदारी से कानून का राज़ स्थापित हो सके। हम यह भी चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की जनता का हरियाणा के वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व में जो विश्वास है वह और दृढ़ हो जाये और उनको यह पक्का विश्वास हो जाये कि हरियाणा प्रदेश का वर्तमान राजनीतिक नेतृत्व प्रदेश में हर प्रकार के भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाने में सक्षम है ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि भूमि अधिग्रहण बिल के मामले में कैथल जिले के तितरम गांव पिछले डेढ़ महीने से किसान संघर्षरत हैं। किसानों ने वहां पर भूख हड़ताल की हुई है । माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हाल ही में बहुत से अच्छे-अच्छे व्यक्तियों के साथ विदेश भ्रमण पर गये थे और उन्होंने वहां से आकर मीटिंग भी ली है लेकिन वह मीटिंग बेनतीजा निकली है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि वहां सड़क के एक तरफ तो 12 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने का निर्णय लिया गया है और सड़क के दूसरी तरफ के किसानों को 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा देने की बात की गई है । यह वहां के किसानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, आपने इस बारे में अपना कालिंग अटैंशन मोशन दिया हुआ है इसलिए आप इस बारे में उस समय बात कर लेना, अभी आप कृपा करके अपने स्थान पर बैठ जायें ।

सरदार जसविन्द्र सिंह संधू : स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि किसानों की बात सुनी जाये और उन सभी को बराबर का मुआवज़ा दिया जाये । (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : जसविन्द्र जी, आप कृपा करके बैठ जाईये क्योंकि श्री जाकिर हुसैन जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने वाले हैं । (विघ्न)

Construction of Mewat Feeder Canal

***685. Shri Zakir Hussain :** Will the Irrigation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct the Mewat Feeder Canal; if so, the time by which the construction work of aforesaid canal is likely to be started togetherwith details of areas likely to be benefited ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : हाँ, श्रीमान जी। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा विस्तृत प्रयोजना रिपोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। इस नहर का जिला मेवात और पलवल में कुल कमांड क्षेत्र 76238 हैक्टेयर है।

आदरणीय अध्यक्ष जी, श्री जाकिर हुसैन जी ने यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़ा प्रश्न पूछा है जो कि मेवात नहर के निर्माण से सम्बंधित है । यह नहर मेवात और मेवात के साथ लगते हरियाणा प्रदेश के तीनों जिलों के लिए जीवन रेखा बनने वाली है । पीने के स्वच्छ पानी और सिंचाई के पानी की व्यवस्था वहां के क्षेत्रों में होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि इस समय जो वहां पर कैनाल प्रणाली है वह ओखला बैराज से गुड़गांव और आगरा कैनाल के सिस्टम में

से वहां पर जाती है उसका जो बी.ओ.डी. और सी.ओ.डी. लैवल है वह बहुत ही ऊंचा हो गया है जिस कारण वह पानी पीने और सिंचाई के योग्य नहीं है। मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली में केन्द्रीय मंत्री ऊमा भारती जी के साथ मीटिंग में भी इस विषय को उठाया था कि दिल्ली इस पानी को स्वच्छ करके भेजे ताकि सम्बंधित क्षेत्र में उस पानी का उपयोग हो सके। इस पानी की सिर्फ क्वॉलिटी का ही विषय नहीं है अपितु इसका क्वॉन्टिटी का विषय भी इसके साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि इस पानी का सारे का सारा प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। जिस कारण हमारे हक का जितना पानी है इस पानी का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में होने के कारण हमें वह पानी मिलने में भी कठिनाई आती है। यह जो पानी की अतिरिक्त व्यवस्था करने की घोषणा है यह तुत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा अक्तूबर, 2007 में की गई थी। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसमें 117 किलोमीटर लम्बी नहर का निर्माण किया जायेगा । इसमें 751 क्युसिक पानी जे.एल.एन. में से उस तरफ जाना प्रस्तावित है। इस फीडर में 6 पम्प हाऊस और 590 मीटर की सुरंग होगी। मैं यह समझता हूं कि इस समय शायद ही ऐसी कोई दूसरी परियोजना हो। इसके लिए जो डिटेल्ड प्रोजैक्ट रिपोर्ट बनाई गई है उसमें सम्बंधित एजेंसी द्वारा इस बारे में सारी जानकारी जुटाई गई है उसके मुताबिक इस प्रोजैक्ट पर लगभग 1059 करोड़ रूपये की लागत आने वाली है । इसमें लैंड एक्वीजिशन और नहर के निर्माण पर आने वाला तमाम खर्च शामिल है । इस बारे में मैं पूरे सदन की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि यह अपने तरह की अनूठी योजना है इसलिए इसके निर्माण के लिए बहुत से एक्सपर्ट लोगों की राय ली जानी भी नितांत आवश्यक है । आई.आई.टी. के जो इस विषय के विद्धान हैं उनसे भी इस नहर के सारे रास्ते का सर्वे करवाकर उनकी राय ली गई है । हमने इस मामले को अप्रैल, 2015 को केन्द्रीय जल आयोग को भेजा है और ज्योंहि केन्द्रीय जल आयोग से इसकी अनुमति मिलेगी हम इस काम के लिए रिसोर्सिज की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे । कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार इस प्रोजैक्ट की महत्ता को समझती है और स्वीकार भी करती है।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि अपर यमुना रीवर से साल्हावास से 600 क्यूसिक पानी चलेगा तो क्या मंत्री जी वहाँ पर कोई ऑटोमैटिक गेज रीडर सिस्टम लगायेंगे जिससे हर समय और कहीं भी यह पता चल सके कि उस नहर में कितना पानी चल रहा है ? जिस प्रकार हमारे सिद्धपुर फीडर पर लगा हुआ है। भले ही इसका कंट्रोल आगरा के पास रहे तथा इससे हमारे अधिकारी 15-20 दिन में जा कर वहाँ पर चैक कर सकते हैं कि इसमें पूरा पानी चल रहा है या नहीं?

श्री ओम प्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, यह विषय नहरी पानी का है और नहरी पानी का जो हमारा सिस्टम है वह बहुत पुराना है। हथनीकुंड बैराज का कंट्रोल सिस्टम हमारे पास है । इसी प्रकार से ओखला बैराज का कंट्रोल उत्तरप्रदेश के पास है । दिल्ली की जो नहरी पानी की प्रणाली है उसका नियंत्रण भी हरियाणा के पास है । माननीय सदस्य श्री जाकिर हुसैन जी का जो कन्सर्न है उसी पर पिछले दिनों यमुना बोर्ड की मीटिंग में भी मैंने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय को उठाया था कि इस नहर की देख-रेख का ज्वाइंटली सिस्टम बनना चाहिए। उसका नियंत्रण भले ही हमारे पास हो चाहे किसी और के पास हो । आज के दिन इस प्रकार की टैक्नॉलोजी भी आ गई है जिससे हर समय यह पता चल सकेगा कि इस समय नहर में कितना पानी चल रहा है। इसके लिए हमने आग्रह किया है। उससे भी आगे बढ़ते हुये हम एक

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

रियल टाईम सैपिंग सिस्टम शुरू करेंगे जिससे यह पता चल सकेगा कि इस समय नहर में कितना पानी चल रहा है और इस काम के लिए 123 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है । इससे हमारे विभाग के अधिकारी हर समय यह पता लगा सकेंगे कि उसमें कितना पानी चल रहा है । इस प्रकार से माननीय सदस्य का कन्सर्न हमारा कन्सर्न है और इस पर हम आगे बढ़ेंगे।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि मेवात फीडर नहर का काम कब तक पूरा हो जायेगा, क्या मंत्री जी इसको टाईम-बाउंड करेंगे ? इसी प्रकार से पिछले सत्र में माननीय मंत्री जी ने यह कहा था कि हम हर टेल तक पानी पहुंचायेंगे तथा संबंधित नहर विभाग का अधिकारी नहर की टेल पर जा कर सेल्फी लेकर हमें भेजेगा कि नहर की टेल तक पानी पहुंच गया है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री जी के पास कहाँ-कहाँ से सेल्फी आई हैं और कितनी टेलों तक पानी पहुंचा है, मंत्री जी के पास किस-किस जिले से सेल्फी आई हैं ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मुझे एक अच्छे प्रश्न का उत्तर देने का अवसर प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं माननीय सदस्य का आभारी हूँ । हरियाणा में लगभग 1300 टेल्स हैं और 1017 की सेल्फी मेरे पास आ गई हैं बाकी टेलों में अभी हमारी व्यवहारिकता नहीं बनी है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ ।

श्री उदयभान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या आगरा कैनाल की सेल्फी भी इनके पास आई है ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो लेटैस्ट जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा में कुल 1336 टेल्स हैं । हम लगातार इस कोशिश में लगे हुये हैं कि सभी टेल्स पर पानी पहुंच जाये । आज के दिन 1119 टेल्स पर हम पानी पहुंचाने में सफल हुये हैं जबकि बाकी की 217 टेल्स बची हुई हैं । मैं माननीय सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वे अपने इलाके की टेल्स पर जायें । हम वहाँ पर पानी इसलिए नहीं पहुंचा पाये कि या तो वहाँ पर पम्प नहीं हैं या बनने के 10-20 साल बाद व्यवस्था ऐसी हो गई है कि शायद उनको दोबारा से बनाना पड़ेगा जिससे वहाँ तक पानी पहुंचा सकें। कुछ इलाकों में कुछ टेल्स पर पानी का भी संकट है । माननीय साथी श्री नसीम अहमद जी के क्षेत्र की 19 टेल्स ऐसी हैं जिन पर हम पानी नहीं पहुंचा पाये हैं । अभी हमारे सामने जो टास्क है, जिसको हम लेकर चल रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : पिछली बार जाकिर हुसैन जी ने इस काम के लिए आपकी तारीफ भी की थी ।

श्री नसीम अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि मंत्री जी इसको कब तक बनवा देंगे ?

श्री अभय सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री जी कह रहे हैं कि मेवात फीडर को जे.एल.एन. कैनाल से पानी दिया जायेगा तो मैं इस बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी

से पूछना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जे.एल.एन. कैनाल को तो डिस्ट्रीब्यूट्री बना दिया था जिसके कारण महेन्द्रगढ़ और नारनौल का हल्का सूखा पड़ा हुआ है। आप मेवात फीडर को पानी कहाँ से देंगे ?

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, श्री अभय सिंह यादव जी को तो सरकार को बधाई देनी चाहिए क्योंकि 143 करोड़ रूपये का सबसे पहला प्रोजैक्ट सरकार ने इनके इलाके को दिया है । सबसे पहला पैसा सरकार ने रेवाड़ी जिले को दिया है, इसलिए इन्होंने तो इसके लिए ताली बजानी चाहिए । कम से कम अच्छे काम की तो सराहना करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : धनखड़ जी, पिछले सैशन में जाकिर हुसैन ने भी आपकी तारीफ की थी कि उनके इलाके में खेतों में पानी पहुंचा है ।

श्री ओमप्रकाश धनखड़ : अध्यक्ष महोदय, इस बार दुर्भाग्य कहें या ऐसा कहें कि अबकी बार जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है इसलिए जितना पानी हमें मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला वरना इनके इलाके की कोटला झील को भरने के काम पर भी सरकार तेजी से काम कर रही थी । केवल एक संस्था सी.डब्ल्यू.सी. इसमें काम नहीं करती बल्कि बहुत सी संस्थाएं इसके लिए काम करती हैं, सी.डब्ल्यू.सी. हरियाणा सरकार की संस्था नहीं है इसके लिए हमने कई जगह एप्लीकेशन्स लगानी पड़ेगी । ज्यों ही हमको वहां से अनुमति मिलेगी तभी इस पर आगे काम होगा । आपको पता है कि इसका बजट भी एक हजार 59 करोड़ रूपये का है । इसके लिए हमें नाबार्ड से लेकर वर्ल्ड बैंक तक पता नहीं कहां-कहां तक जाना पड़ेगा जब पैसे का इन्तजाम हो जाएगा तभी हम इस काम में आगे बढ़ेंगे । इस काम में थोड़ी दिक्कत जरूर आई है लेकिन इस काम को हम प्रायोरिटी पर लेकर चल रहे हैं । इस नाते से मेवात और सारे इलाके की जनता हमारी प्राथमिकता है । अभय सिंह जी ने जो सवाल खड़ा किया है उसमें अभी हमने दो दिन के लिए अगले दस सालों की पानी की जरूरत कितनी है उसके बारे में सोचना है । अध्यक्ष जी, हमको एक करोड़ एकड़ फीट पानी और चाहिए और अभी हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें नहरी पानी हमारे पास एक करोड़ एकड़ फीट है और जो बारिश का पानी औसत रूप से आता है वह इस बार कम आया है । एक करोड़ 20 लाख एकड़ फीट है यही पानी की उपलब्धता है इसमें हम एक बूंद भी पानी नहीं बढ़ा सकते । हमको जितना पंजाब से पानी मिलना है 19 लाख एकड़ फीट अगर वह भी मिल जाए तो भी 81 लाख एकड़ फीट पानी की कमी है । अगले दस वर्षों में 81 लाख एकड़ फीट पानी कहां से लाएंगे । पानी के संबंध में सारी टैक्नॉलोजी चेंज करना और नहरों को इस प्रकार से बनाना सरकार के लिए संभव नहीं है ।

श्री कुलदीप बिश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि अब तो हरियाणा में भी बी.जे.पी. की सरकार है और केन्द्र में भी बी.जे.पी. की सरकार है तथा पंजाब में भी बी.जे.पी. की सरकार है। फिर अब एस.वाई.एल. कैनाल का पानी आप पंजाब से क्यों नहीं ले लेते ? आपको कौन रोक रहा है । एस.वाई.एल. कैनाल के मुद्दे पर हम और आप सारे हरियाणा में घूमते रहे हैं । हम सभी यही चाहते हैं कि एस.वाई.एल. कैनाल के पानी की समस्या दूर हो जाए।

श्री ओमप्रकाश धनखड : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहूंगा कि कभी पर्याप्त समय लेकर पूरे हाउस को अपने जल प्रबंधन के बारे में बात करनी चाहिए । आने वाले समय में जल

[श्री ओम प्रकाश धनखड़]

का विषय बहुत महत्व का विषय होगा इसलिए आपके साथ विचार विमर्श करने के लिए इसकी बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

नियम 45 (i) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Open a Government College

***761 Dr. Pawan Saini :** Will the Education Minister be pleased to state —

(a) whether it is a fact that there is no Government Degree college and Girl College in Ladwa constituency; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to open any Government Degree college or Girls College in the above said area togetherwith the time by which it is likely to be opened ?

शिक्षा मन्त्री (श्री राम बिलास शर्मा) :

(क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी।

To Metal the Passages

***679. Sh. Ravinder Machhrouli :** Will the Agriculture Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to metal the 22 feet/4 karam wide unmetalled passages to inter link the villages; if so, the time by which the said work is likely to be completed ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान्

Construction of Bye Pass

***765. Sh. Naresh Kaushik :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a bye pass on the north side of Bahadurgarh city to tackle the problem of Jams togetherwith the time by which the aforesaid bye pass is likely to be constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : नहीं, श्रीमान् जी।

Shortage of Doctors in CHC and PHCs

*560. **Smt Kiran Chaudhary :** Will the Health Minister be pleased to state :—

(a) whether it is fact that there is shortage of doctors in Community Health Centres (CHCs) of Tosham, Miran and Kairu and Public Health Centres (PHCs) Dinod, Dhani Mahu, Sahu, Sandwa, Bushan and Jui in Tosham constituency; and

(b) if so, the time by which the vacant posts of doctors are likely to be filled ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री अनिल विज) :

(क) हॉ श्रीमान जी,

(ख) नई भर्ती द्वारा जब भी चिकित्सक उपलब्ध होंगे, उनके रिक्त पदों को भरने के प्रयास किये जा रहे हैं, जिसके लिये आवश्यक कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है।

Pension to Farmers

*594. **Sh. Karan Singh Dalal :** Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state whether there is any scheme under consideration of the Government to give Rs. 5000/- per month as the Pension to the Farmers after the age of 60 years in the State; if so, the details thereof ?

कृषि मंत्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : जी नहीं, श्रीमान् जी। फिर भी भारत सरकार ने बीमा तथा पैंशन क्षेत्रों में सभी भारतीयों के लिए तीन सामाजिक सुरक्षा योजनाऐं प्रारम्भ की है वर्ष 2015-16 के बजट में इन योजनाओं के अन्तर्गत गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए विशेष लक्ष्य रखा गया है। उनमें से एक अटल पैंशन योजना 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम गारंटी पैंशन जिसकी सीमा 1000/- रुपये से 5000/- रुपये है के साथ एन.पी.एस. जीवन स्वावलंबन का उन्नत संस्करण है। इस सम्बन्ध में कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय भारत सरकार से एक पत्राचार दिनांक 21.8.2015 को प्राप्त हुआ है तथा इस प्रस्ताव का निरीक्षण किया जा रहा है।

To Widen and Reconstruction of Road

*597. **Sh. Hari Chand Middha :** Will the PW (B&R) Minister pleased to state :

(a) whether there is any proposal under consideration of Government to widen and reconstruct the road from village Dalamnwala falling under the Jind Assembly Constituency to village Goyia via Maandi, Dilluwala, Ramchandwala falling under the Uchana Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which the abovesaid road is likely to be widened and re-constructed ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) : (क) तथा (ख) नहीं श्रीमान् जी।

City Park in Ballabhgarh City

*614. **Sh. Mool Chand Sharma** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state—

(a) Whether it is a fact that there is only one City Park in Ballabgarh city, if so, whether the said park falls on the passage; and

(b) Whether there is any court case on the above said City Park, if so, the status there of ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री : (श्रीमती कविता जैन) :

(क) हाँ, श्रीमान, कल्पना चावला सिटी पार्क, बल्लभगढ़ तीनों तरफ से सड़क से घिरा हुआ है।

(ख) हाँ, श्रीमान, कल्पना चावला सिटी पार्क से सम्बन्धित तीन कोर्ट केस विभिन्न अदालतों में लम्बित हैं :—

1. **नगर निगम, फरीदाबाद बनाम श्री राजकुमार सी.आर.नं0 4962 वर्ष 2014 :—**

यह मुकदमा नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा श्री राजकुमार के द्वारा निर्मित की जा रही चार-दिवारी के कार्य के सन्दर्भ में execution proceedings पर स्थगन आदेश पारित किये गये हैं। इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 17.11.2015 को है।

2. **कल्पना चावला सिटी पार्क संघर्ष समिति बनाम हरियाणा सरकार तथा अन्य :—**

यह मुकदमा कल्पना चावला सिटी पार्क संघर्ष समिति ने उच्च न्यायालय में श्री राजकुमार, जो स्वयं को कल्पना चावला सिटी पार्क की जमीन के एक हिस्से का मालिक होने का दावा करता है, के विरुद्ध दायर किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 02.12.2015 को है।

3. **नगर निगम, फरीदाबाद बनाम राजकुमार :—**

कल्पना चावला सिटी पार्क के एक हिस्से की जमीन के मालकाना रिकार्ड में राजस्व इन्द्राज की दुरुस्ती हेतू नगर निगम, फरीदाबाद द्वारा जिला न्यायालय में श्री राजकुमार के विरुद्ध एक अन्य मामला दायर किया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई दिनांक 15.09.2015 को है।

Bonded Labour System

***630. Smt. Prem Lata :** Will the Labour and Employment Minister be please to state :—

(a) Whether it is a fact that 'Bonded Labour System is still prevalent in the State; if so, the details of persons, children and women who were rescued from this system during the last 3 years;

(b) The rehabilitation provided to them and steps taken to completely abolish this system from the State ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) :

(क) हरियाणा में बन्धुआ मजदूरी के एकांकी मामले ईंट भट्टा में पाये गये हैं। पूर्व तीन वर्षों में छुड़वाये गये बंधुआ मजदूरों का विवरण निम्नानुसार है :

वर्ष	व्यक्ति	बच्चे	महिलायें
2012-13 to 2014-15	303	178	167

(ख) (1) ये अधिकतम छुड़वाये गये बंधुआ मजदूर अन्य राज्यों के प्रवासी थे। इसलिये ऐसे व्यक्तियों का पुर्नवास अपने-अपने राज्यों द्वारा किया गया।

(2) फिर भी पांच बंधुआ मजदूरी के मामले हरियाणा के थे। उन बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत रुपये 20 हजार रुपए प्रति मजदूर दिये गये। अगस्त, 2013 में एक अन्य मामले में जिला पानीपत के रहने वाले 20 व्यक्ति उत्तर प्रदेश में बंधुआ पाये गये थे, इसलिये उन्हें 20 हजार रुपये प्रति व्यक्ति उक्त वर्णित केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना के अन्तर्गत दिये गये।

(3) बंधुआ मजदूरी की रोकथाम के लिये राज्य में सभी जिलों तथा उप मण्डलों में बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत चौकसी समितियों का गठन किया गया है। चूंकि बंधुआ मजदूरी की अधिकतम शिकायतों की उत्पत्ति वेतन और अग्रिम राशि होती है इसलिये इस बारे ईकाइयों के चलने के मौसम में निरीक्षण किये जाते हैं।

To Supply Drinking Water to Dhanies

***603. Shri Balwan Singh Daulatpuria :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to supply the drinking water in each of the Dhanies; if so, the time by which the drinking water to the Dhanies is likely to be supplied ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : जी नहीं श्रीमान्। नीति अनुसार, केवल उन ढाणियों में पीने के पानी की आपूर्ति की जाती है जिनकी जनसंख्या 100 व्यक्ति या अधिक है।

To Sanction an ITI in Surewala

***783. Sh. Anoop Dhanak :** Will the Industrial Training Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to sanction an ITI at Surewala Mor in Uklana Constituency; if so, the details thereof ?

लोक निर्माण मन्त्री (राव नरबीर सिंह) : हां, श्री मान जी।

सरकार ने उकलाना विधानसभा क्षेत्र के गांव सूरेवाला में 408 छात्र/प्रशिक्षणार्थी क्षमता का आई0 टी0 आई0 स्थापित करने का अनुमोदन कर दिया है। इस आई0 टी0 आई0 के लिए गांव सूरेवाला की 5 एकड़ भूमि 33 वर्ष के लिए पट्टे पर विभाग को दी जा चुकी है। वास्तुकला विभाग को इस आई0टी0आई0 की ड्राईंग तैयार करने हेतू लिखा जा चुका है।

Shortage of Drinking Water

***643. Shri Balkaur Singh :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that there is an acute shortage of drinking water in the villages of Kalanwali Constituency; if so, the steps taken by the steps taken by the Government to provide adequate drinking water in the villages of Kalanwali Constituency ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री धनश्याम सर्राफ) : जी नहीं श्रीमान्।

Illicit Trade in Liquor and Narcotics

***638. Sh. Nagander Bhadana :** Will the Excise and Taxation Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to check the illicit trade in liquor and narcotics in NIT Faridabad constituency; if so, the time by which the action is likely to be taken to check it ?

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) :श्रीमान् जी, राज्य सरकार शराब तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को सम्पूर्ण राज्य में रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। फरीदाबाद जिले में शराब तथा मादक पदार्थों के ऐसे अवैध व्यापार की गतिविधियों को रोकने के लिए विभागीय अधिकारियों तथा पुलिस विभाग द्वारा भी नियमित चैकिंग की जाती है।

Supply of Electricity to Tubewells Through Domestic Feeders

***650. Shri Jagbir, Singh Malik :** Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to connect Public Health Tubewells for water supply in the Villages with domestic feeders supply; if so, the time by which the tubewells of Gohana and Baroda Constituency villages are likely to be connected with domestic supply of electricity ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : जी हां श्रीमान्। जन स्वास्थ्य नलकूपों को कृषि फीडरों से घरेलू फीडरों पर स्थानांतरित किया जा रहा है। गोहाना और बरोदा निर्वाचन क्षेत्र के 171 नलकूपों में से 157 नलकूपों को पहले ही घरेलू फीडरों के साथ जोड़ा जा चुका है तथा शेष 14 नलकूपों के 31 मार्च, 2016 तक जोड़े जाने की संभावना है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Drinking Water in Village Raichandwala

116. Dr. Hari Chand Middha : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state whether it is a fact that there is no supply of drinking water in village Raichandwala of Jind Assembly Constituency; if so, the steps taken by the State Government to ensure the regular supply of drinking water facility to the villages of the abovesaid village ?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) : गांव रायचन्दवाला को गांव में स्थित नहर आधारित जलधर से पीने के पानी की आपूर्ति की जा रही है। तथापि वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए 82.35 लाख रुपये का एक अनुमान विचाराधीन है।

Re-Employment of Police Officer

109. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Chief Minister be pleased to state :—

(a) Whether any retired police officers have been re-employed in the CID wing of Haryana Police in the year 2015; and

(b) If so, the names and designation of such officers togetherwith the reasons of such re-employment ?

मुख्यमन्त्री (श्री मनोहर लाल) :

(क) हां श्रीमान जी।

(ख) श्री तिलक राज सेवानिवृत उप पुलिस अधीक्षक को वर्ष 2015 में बतौर आसूचना विश्लेषक (सलाहकार), विभाग में अनुभवी अधिकारियों की कमी होने के कारण हरियाणा पुलिस के गुप्तचर विभाग में एक वर्ष के लिए अधिकारी के कार्यक्षेत्र में दक्षता, अनुभव एवं सेवा रिकार्ड के आधार पर नियुक्त किया गया है। इसी आधार पर श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, गुप्तचर विभाग से सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री सुरेन्द्र कुमार रंजन, गुप्तचर विभाग से सेवानिवृत पुलिस निरीक्षक, जिन्हें क्रमश: पहले से ही प्रशासनिक सलाहकार एवं समन्वय सलाहकार नियुक्त किया हुआ था, के कार्यकाल में दिनांक 09.12.2014 से एक वर्ष के लिए वृद्धि दी गई है।

Post of Bhakhra Beas Management Board

134. Shri Jagbir Singh Malik : Will the Irrigation Minister be pleased to state—

(a) whether the posts of various categories in Bhakhra Beas Management Board are lying vacant, if so, the details thereof togetherwith share of Haryana in these vacancies alongwith the time by which these vacancies are likely to be filled up; and

(b) what is ratio of expenditure borne by State of Punjab, Haryana and Himachal ?

कृषि मन्त्री (श्री ओम प्रकाश धनखड़) : श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरणी

(क) जी, हां। भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में विभिन्न श्रेणियों के पद खाली पड़े हैं और वर्तमान में हरियाणा के हिस्से के रिक्त पदों का विवरण नीचे दर्शाया गया है। हरियाणा के हिस्सेदारी कोटा के सभी रिक्त पदों को भरने के लिए संबंधित अधिकारियों यानि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और मुख्य सचिव, हरियाणा, सरकार को अवगत करवा दिया गया है। तथापि चयन प्रक्रिया के दौरान आने वाली विभिन्न कठिनाइयों के कारण इन रिक्त पदों को भरने की समय सीमा तय नहीं की जा सकती।

सिंचाई विभाग

श्रेणी	हरियाणा		
	हिस्सा	वास्तविक स्थिति	रिक्तियां
श्रेणी-I व II	115	66	29
श्रेणी - III	920	193	727
श्रेणी - IV	627	58	569

बिजली विभाग

श्रेणी	हरियाणा			
	हिस्सा	वास्तविक स्थिति	रिक्तियां	टिप्पणी
श्रेणी-I एवं II	114	87	27	-
श्रेणी-III	763	200	452	111 को अन्य राज्यों की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है
श्रेणी-IV	188	14	170	4 को अन्य राज्यों की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है
कुल	1065	301	649	115 को अन्य राज्यों की रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है

(क) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन व्यय का अनुपात नीचे दर्शाया गया है।

सिंचाई विभाग

राज्य	भाखड़ा परियोजना	बी.एस.एल.परियोजना, सुन्दरनगर	ब्यास परियोजना, तलवाड़ा, इकाई-II
पंजाब	50.87%	51%	24.9%
हरियाणा	33.91%	34%	16.6%
राजस्थान	15.22%	15%	58.5%
हिमाचल प्रदेश	0	0	0

बिजली विभाग

बिजली की खपत	भाखड़ा बिजली घर	देहर बिजली घर इकाई-I	पोंग बिजली घर, इकाई-I	ब्यास संचलन लाईन्स
पी.एस.पी.सी.एल (पंजाब)	43.91%	41.44%	21.50%	21.88%
एच.वी.पी.एन.एल (हरियाणा)	31.80%	30.01%	15.57%	46.17%
आर.आर.वी.पी.एन. एल.(राजस्थान)	15.22%	20.00%	58.50%	23.80%
एच.पी.एस.ई.बी.एल. (हिमाचल प्रदेश)	6.10%	5.75%	2.98%	5.48%
बिजली विभाग, यूटी. चण्डीगढ़	2.97%	2.80%	1.45%	2.67%

Reconstruction/Widening of Road

115. **Sh. Hari Chand Midha :** Will the PW (B&R) Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct and widen the road from village Amarheri to village Jeetgarh of Jind Assembly Constituency which has been damaged completely; and

(b) if so, the time by which the above-said road is likely to be re-constructed/widened ?

लोक निर्माण मंत्री (राव नरबीर सिंह) :

(क) श्रीमान् जी। कि.मी. 5.20 से 5.70 भाग में नालियां व सीमेंट कंकरीट ब्लाक लगाकर तथा शेष भाग में 20 मी.मी. प्रीमिक्स कार्पेट लगाकर पुनर्निर्माण करना प्रस्तावित है। परन्तु वर्तमान में इस सड़क के चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) पुनर्निर्माण कार्य के 31-03-2016 तक पूर्ण किए जाने की संभावना है।

Replacement of Iron Poles with Cemented Poles

135. Sh. Jagbir Singh Malik : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any policy of Government to replace iron electric poles with Cemented Poles; if so, the time by which these poles are likely to be replaced ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : हां श्रीमान, लोगों तथा पशुओं के जीवन को जोखिम पहुंचाने वाले खराब/जंग लगे लोहे के खम्भों को सीमेंट के खम्भों के साथ बदला जा रहा है। कुछ लम्बित खराब/जंग लगे लोहे के खम्भों को दिसम्बर 2015 के अन्त तक बदला जाएगा।

Compensation to Farmers

110. Sh. Karan Singh Dalal : Will the Revenue and Disaster Management Minister be pleased to State—

(a) the assembly constituency wise area under various Rabi crops during the year 2014-15 as per Girdawari Report in the State;

(b) the assembly constituency wise crops damaged by hailstorm and unseasonal rains during Rabi season of 2014-15 as per special Girdawari report;

(c) the assembly constituency wise total amount of compensation for damage of Rabi crops of 2014-15 assessed and disbursed; and

(d) the amount in lieu of compensation for damaged Rabi crops of 2014-15 recived from Government of India?"

वित्त मन्त्री (कैप्टन अभिमन्यु) : श्रीमान जी, सूचना सदन के पटल पर रखी है।

सूचना

(क) श्रीमान जी वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न रबी फसलों के अधीन विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रवार रकबा क्षेत्र अनुसार निम्न प्रकार से है:—

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 में विभिन्न रबी फसलों के अधीन रकबा (एकड़ में)	क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 में विभिन्न रबी फसलों के अधीन रकबा (एकड़ में)
1	कालका	12764	4	अम्बाला कैन्ट	16052
2	पंचकूला	9065	5	अम्बाला शहर	72476
3	नारायणगढ़	69197	6	मुलाना	81835

7	सढौरा	89085
8	जगाधरी	55557
9	यमुनानगर	24124
10	रादौर	74956
11	लाडवा	72584
12	शाहबाद	90732
13	पेहवा	109992
14	थानेसर	56307
15	गुल्हा	136169
16	कलायत	146955
17	कैथल	76113
18	घुण्डरी	109737
19	नीलोखेडी	14803
20	इन्द्री	10663
21	करनाल	1316
22	घरौन्डा	10263
23	असन्ध	17310
24	पानीपत (ग्रामीण)	33620
25	पानीपत (शहरी)	शून्य
26	इसराना	112494
27	समालखा	82157
28	गन्नौर	63179
29	राई	40168
30	खरखौदा	66054
31	सोनीपत	2694
32	गोहाना	129126
33	बरोदा	109126
34	जुलाना	123080
35	सफीदों	113156
36	उचाना कलां	165544
37	जीन्द	39713
38	नरवाना	147862
39	टोहाना	71920
40	फतेहाबाद	80530
41	रतिया	70484
42	कालांवाली	210765
43	डबवाली	235369
44	रानियाँ	191674
45	सिरसा	69264
46	ऐलनाबाद	209473
47	आदमपुर	171342
48	उकलाना	136492
49	नारनौंद	143445
50	हांसी	102695
51	बरवाला	101635
52	हिसार	63277
53	नलवा	174141
54	लोहारू	26688
55	बाढरा	69637
56	दादरी	16508
57	भिवानी	26918
58	तोशाम	50936
59	बवानी खेडा	48180
60	महम	73625
61	गढी सांपला किलोई	120692
62	रोहतक	3120
63	कलानौर	99991
64	बहादुरगढ	35247
65	बादली	110125
66	झज्जर	102621
67	बेरी	99744
68	अटेली	11493
69	महेन्द्रगढ़	765376
70	नारनौल	67922
71	नांगल चौधरी	56480
72	बावल	44786
73	कोसली	103261
74	रेवाड़ी	137179

[कैप्टन अभिमन्यु]

75	पटौदी	80355	83	होडल	71910
76	बादशापुर	34249	84	पलवल	73885
77	गुड़गांव	5	85	पृथला	75194
78	सोहना	32297	86	फरीदाबाद एन.आई.टी.	9710
79	नूंह	76315	87	बड़खल	37
80	फिरोजपुर झिरका	87353	88	बल्लभगढ	158
81	पुन्हाना	56453	89	फरीदाबाद	59
82	हथीन	94214	90	तिगांव	30174

(ख) विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रवार वर्ष 2014-15 के दौरान ओलावृष्टि और बेमौसमी बरसात से रबी फसलों की विशेष गिरदावरी अनुसार खराबे की रिपोर्ट निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा से रबी फसलों को हुये नुकसान का रकबा (एकड़ में)	क्रम सं०	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 में ओलावृष्टि तथा भारी वर्षा से रबी फसलों को हुये नुकसान का रकबा (एकड़ में)
1	कालका	57	16	कलायत	20619
2	पंचकूला	शून्य	17	कैथल	8738
3	नारायणगढ़	269	18	पुण्डरी	28261
4	अम्बाला कैन्ट	446	19	नीलोखेडी	9666
5	अम्बाला शहर	1231	20	इन्द्री	970
6	मुलाना	385	21	करनाल	113
7	साढौरा	5365	22	घरौन्डा	2137
8	जगाधरी	1112	23	असन्ध	624
9	यमुनानगर	71	24	पानीपत (ग्रामीण)	2119
10	रादौर	1277	25	पानीपत (शहरी)	शून्य
11	लाडवा	4793	26	इसराना	3295
12	शाहबाद	6165	27	समालखा	3357
13	पेहवा	6096	28	गन्नौर	6573
14	थानेसर	4726	29	राई	3885
15	गुल्हा	4166	30	खरखौदा	1158

31	सोनीपत	34	61	गढी सांपला किलोई	63526
32	गोहाना	8679	62	रोहतक	शून्य
33	बरोदा	23360	63	कलानौर	24248
34	जुलाना	9352	64	बहादुरगढ	7600
35	सफीदों	28885	65	बादली	11135
36	उचाना कलां	3662	66	झज्जर	2335
37	जीन्द	10055	67	बेरी	15132
38	नरवाना	10449	68	अटेली	70642
39	टोहाना	1557	69	महेन्द्रगढ़	129757
40	फतेहाबाद	शून्य	70	नारनौल	29568
41	रतिया	शून्य	71	नांगल चौधरी	16111
42	कालांवाली	4076	72	बावल	3902
43	डबवाली	753	73	कोसली	60904
44	रानियाँ	14327	74	रेवाड़ी	5
45	सिरसा	1229	75	पटौदी	51006
46	ऐलनाबाद	3382	76	बादशापुर	4284
47	आदमपुर	शून्य	77	गुड़गांव	शून्य
48	उकलाना	12155	78	सोहना	881
49	नारनौंद	76825	79	नूँह	10194
50	हांसी	8050	80	फिरोजपुर झिरका	8225
51	बरवाला	34127	81	पुन्हाना	4498
52	हिसार	शून्य	82	हथीन	90509
53	नलवा	शून्य	83	होडल	69224
54	लोहारू	14209	84	पलवल	68500
55	बाढरा	51575	85	पृथला	43203
56	दादरी	6027	86	फरीदाबाद एन.आई.टी.	178
57	भिवानी	12996	87	बड़खल	शून्य
58	तोशाम	24442	88	बल्लभगढ	शून्य
59	बवानी खेडा	14840	89	फरीदाबाद	शून्य
60	महम	7222	90	तिगांव	15445

[कैप्टन अभिमन्यु]

(ग) वर्ष 2014-15 में रबी की खराब फसलों के लिये दी गई मुआवजा राशि का आंकलन व बांटी गई राशि का विवरण विधानसभा निर्वाचनक्षेत्रवार अनुसार निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं०	निर्वाचन क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 में रबी की खराब फसलों के लिये आंकलन की गई कुल राशि	वर्ष 2014-15 में रबी की खराब फसलों के लिये बांटी गई कुल राशि (रुपये में)
1	2	3	4
1	कालका	514000	501069
2	पंचकूला	शून्य	शून्य
3	नारायणगढ़	2655500	239334
4	अम्बाला कैन्ट	3762000	3316697
5	अम्बाला शहर	13439000	10402620
6	मुलाना	3992500	3151821
7	सढौरा	40496595	34702941
8	जगाधरी	10413634	9642814
9	यमुनानगर	660401	620155
10	रादौर	10835975	10678784
11	लाडवा	47736574	36268473
12	शाहबाद	49848013	46650362
13	पेहवा	46982013	46128231
14	थानेसर	37474500	35761485
15	गुल्हा	34900000	30900000
16	कलायत	231900000	180400000
17	कैथल	6400000	5400000
18	पुण्डरी	183700000	201200000
19	नीलोखेडी	86452750	73106254
20	इन्द्री	8292182	7384289
21	करनाल	565384	504449

1	2	3	4
22	घरौन्डा	16881945	15083114
23	असन्ध	4730583	4086050
24	पानीपत (गांव)	15419210	15419210
25	पानीपत (शहरी)	शून्य	शून्य
26	इसराना	25137583	25137583
27	समालखा	25922740	25922740
28	गन्नौर	62052347	44829219
29	राई	31439574	25923641
30	खरखौदा	9376026	7096576
31	सोनीपत	367957	364366
32	गोहाना	124725528	44403625
33	बरोदा	158572344	148875801
34	जुलाना	92390256	83122056
35	सफीदों	264824500	255211043
36	उचाना कलां	34008000	18957134
37	जीन्द	60989974	59129579
38	नरवाना	97464500	89852861
39	टोहाना	11129000	10751678
40	फतेहाबाद	शून्य	शून्य
41	रतिया	शून्य	शून्य
42	कलांवाली	17271500	16788736
43	डबवाली	8278500	8007124
44	रानियाँ	166523109	155236522
45	सिरसा	14293891	14020247
46	ऐलनाबाद	32489000	27123231
47	आदमपुर	शून्य	शून्य

[कैप्टन अभिमन्यु]

1	2	3	4
48	उकलाना	85856500	83242850
49	नारनौंद	570250500	549748950
50	हांसी	59888000	54975500
51	बरवाला	242712500	222356124
52	हिसार	शून्य	शून्य
53	नलवा	शून्य	शून्य
54	लोहारू	100900500	87309497
55	बाढ़रा	399133638	346782393
56	दादरी	79578862	70626504
57	भिवानी	117651500	100003775
58	तोशाम	215716500	177803653
59	बवानी खेड़ा	131782000	112906087
60	महम	74533467	68864305
61	गढ़ी सांपला किलोई	627814722	599550293
62	रोहतक	शून्य	शून्य
63	कलानौर	239173765	222416120
64	बहादुरगढ़	78367600	74266951
65	बादली	120043500	112167513
66	झज्जर	17209500	15172220
67	बेरी	172222000	158128480
68	अटेली	521287500	476229825
69	महेन्द्रगढ़	799670000	662492325
70	नारनौल	262057500	227488643
71	मांगल चौधरी	68568500	64334839

1	2	3	4
72	बावल	26851989	22998269
73	कोसली	629494375	563693541
74	रेवाड़ी	34056	34056
75	पटौदी	399520000	380682699
76	बादशाहपुर	42000000	42000000
77	गुड़गांव	शून्य	शून्य
78	सोहना	9709000	9205000
79	नूंह	96766000	85749520
80	फिरोजपुर झिरका	59762500	44477227
81	पुन्हाना	44116000	37197775
82	हथीन	730000000	528200000
83	होडल	567100000	442700000
84	पलवल	798700000	303300000
85	पृथला	326358406	2813731124
86	फरीदाबाद एन.आई.टी.	2578683	2462553
87	बड़खल	शून्य	शून्य
88	बल्लभगढ	शून्य	शून्य
89	फरीदाबाद	शून्य	शून्य
90	तिगांव	126809527	102928599

(घ) वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा कोई विशेष राशि जारी नहीं की गई है। फिर भी मुआवजा राशि राज्य के आपदा प्रबन्धन स्कीम जो कि भारत सरकार तथा राज्य सरकार 75:25 में बंटी है में उपलब्ध राशि में से दिया गया है।

Old Age Pension

117. Sh. Hari Chand Midha : Will the Social Justice and Empowerment Minister be pleased to state the number of old age persion holders in District Jind, Rohtak and Jhajjar together with the details thereof; and the norms prescribed by the Government to avail the facility of old age person ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री (श्रीमती कविता जैन) : महोदय, यह सूचित किया जाता है कि:—

(क) जिला जीन्द, रोहतक तथा झज्जर में वृद्धावस्था पैंशन धारकों की संख्या दिनांक 26.8.2015 को यह है:—

योजना	जींद	रोहतक	झज्जर
वृद्धावस्था पैंशन	90542	65341	63738
इसके अतिरिक्त बहुत सी विधवायें जोकि 60 वर्ष की आयु से ऊपर हैं विधवा पैंशन प्राप्त कर रही है।	4231	4167	7238
कुल	**94773**	**69508**	**70978**

(ख) वृद्धावस्था पैंशन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित मापदण्ड दिये गये है :—

उद्देश्य : वृद्धावस्था भत्ता योजना 2005 नियमों का उद्देश्य राज्य के उन बुजुर्ग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए है जोकि अपने स्वयं के आय स्रोतों से खुद को बनाए रखने में असमर्थ है।

पात्रता : वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की पात्रता यह है कि :—

(क) व्यक्ति की उम्र 60 साल या इससे अधिक की है; और

(ख) व्यक्ति हरियाणा राज्य का अधिवासी और निवासी है; और

(ग) उसकी (पति व पत्नी सहित) सभी स्रोतों से आय 2,00,000 प्रति वर्ष से अधिक नहीं है।

अपवर्जित श्रेणी :

उपरोक्त के होते हुए भी, व्यक्ति अगर किसी भी, व्यक्ति अगर किसी भी सरकार या वैधानिक/स्थानीय निकाय या किसी भी संगठन से पैंशन प्राप्त कर रहा है तो वह वृद्धावस्थ सम्मान भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। विभाग की अधिसूचना से सामाजिक सुरक्षा के विषय में किसी भी सरकार से प्राप्त पैंशन का अर्थ, आय प्राप्त या योजनाओं सहित संचित आय से वाणिज्यिक बैंकों, वित्तीय संस्थानों या बीमा सहित किसी भी स्रोत से प्रोविडेंट, फंड, या वार्षिकियां, भी शामिल है।

भत्ते की दर :

सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 112-एस.डब्लू.(4)-2015, दिनांक 10.02.2015 के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता 1000/- रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1200/- रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है तथा दिनांक 01.01.2015 से 1400/- रुपये प्रतिमाह कर दिया जायेगा।

To Provide Sewerage Facility

118. Sh Hari Chand Midha : Will the Minister of State for Public Health Engineering be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to lay down the sewerage line in Anand Parvat Colony of Jind city; and

(b) whether it is a fact that sewerage line has not been laid down in many authorized colonies of Jind city ?

जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी राज्य मंत्री (श्री घनश्याम सर्राफ) :

(क) हाँ श्रीमान् जी। आनंद पर्वत कालोनी में सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य आबंटित हो चुका है।

(ख) हाँ श्रीमान् जी, शहरी शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जनवरी 2014 में नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी वाले क्षेत्रों के तहत घोषित कालोनियों में सीवरेज लाइन नहीं बिछाई गई है।

घोषणाएं-

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा

(i) चेयरपर्सन्ज के नामों की सूची

श्री अध्यक्ष : हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-13 (i) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापतियों के नामों की सूची में सभापति के रूप में कार्य करने के लिए नामांकित करता हूँ:-

1. श्री ज्ञानचन्द गुप्ता, विधायक
2. श्रीमती संतोष यादव, विधायक
3. श्री आनन्द सिंह दांगी, विधायक
4. श्री जाकिर हुसैन, विधायक

(ख) सचिव द्वारा

श्री अध्यक्ष: अब सचिव महोदय घोषणा करेंगे ।

श्री सचिव : महोदय, मैं उन विधेयकों को दर्शाने वाला विवरण जो हरियाणा विधान सभा ने अपने मार्च, 2015 में हुए सत्र में पारित किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने अनुमति दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूँ:-

1. हरियाणा मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2015.
2. हरियाणा विनियोग(संख्या 1) विधेयक, 2015.

[श्री सचिव]

3. हरियाणा विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2015.

4. भारतीय स्टाम्प(हरियाणा संशोधन) विधायक, 2015.

5. हरियाणा विद्यालय अध्यापक चयन बोर्ड (निरस्त) विधेयक, 2015.

कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गये विभिन्न कार्यों के समय श्रेणी प्रस्तुत करता हूँ:-

समिति ने सिफारिश की है कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान, विधान सभा की बैठक बुधवार, 2 सितम्बर, 2015 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् आरम्भ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिये गये कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी।

वीरवार, 3 सितम्बर, 2015 को विधान सभा की बैठक 10.00 बजे प्रात: आरम्भ होगी तथा 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। शुक्रवार, 4 सितंबर, 2015 को सदन की दो बैठकें अर्थात् 10 बजे प्रात: से 2 बजे मध्यान्ह पश्चात् तक तथा दूसरी बैठक 2.30 बजे मध्यान्ह पश्चात् से सायं 6.30 बजे बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी।

सोमवार, 7 सितंबर, 2015 को विधान सभा की बैठक 2.00 बजे मध्यान्ह पश्चात् आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिये गये कार्य की समाप्ति के पश्चात् स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात् समिति ने आगे सिफारिश की कि 2/3/4 तथा 7 सितम्बर, 2015 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा:-

बुधवार, 2 सितम्बर, 2015 (2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्	1. शोक प्रस्ताव।
वीरवार, 3 सितम्बर, 2015 (10.00 बजे प्रात:)	1. प्रश्न काल। 2. कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना। 3. गैर-सरकारी कार्य ।
शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015 (10.00 बजे प्रात:) पहली बैठक	1. प्रश्न काल। 2. सदन की मेज़ पर रखे जाने वाले कागज़-पत्र। 3. वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुमान (पहली किस्त) प्रस्तुत करना, चर्चा तथा मतदान।
शुक्रवार, 4 सितम्बर, 2015 (2.30 बजे मध्याह्न-पश्चात्) दूसरी बैठक	1. वर्ष 2015-2016 के लिए अनुपूरक अनुमानों (पहली किस्त) के संबंध मे हरियाणा विनियोग विधेयक,2015। 2. विधान कार्य
शनिवार, 5 सितम्बर, 2015	छुट्टी ।
रविवार, 6 सितम्बर, 2015	छुट्टी ।

सोमवार, 7 सितम्बर, 2015
(2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात्)

1. प्रश्न काल।
2. निरंतर बैठक संबंधी नियम-15 के अधीन प्रस्ताव।
3. अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम-16 के अधीन प्रस्ताव।
4. रखे जाने वाले कागज-पत्र, यदि कोई हों।
5. विधान कार्य।
6. कोई अन्य कार्य।

श्री अध्यक्ष : अब संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के साथ सहमति प्रकट करता है।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफ़ारिशों से सहमत है।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा इस बारे में एक सुझाव है कि शुक्रवार को जो आप डबल सिटिंग रख रहे हैं उसकी बजाय सिंगल सिटिंग ही रखें क्योंकि उससे अगले दिन जन्माष्टमी का पर्व है।

श्री अध्यक्ष : दलाल साहब, कार्य सलाहकार समिति की बैठक में आपकी पार्टी के नेता भी उपस्थित थे। सभी की स्वीकृति के साथ यह हुआ है और जैसा कहा गया वैसे के वैसे ही स्वीकार कर लिया गया है। मेरे विचार से ऐसा भी पहली बार ही हुआ होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है -

कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों से सहमत है।

प्रस्ताव पारित हुआ और रिपोर्ट स्वीकार की गयी ।

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपकी सेवा में प्रस्तुत किया है जिसमें गवर्नमैंट ऑफ इंडिया ने सर्वे किया है कि हरियाणा के दो शहरों पलवल और भिवानी में गंदगी की वजह से बहुत समस्या है। जिस तरह से दूसरे शहरों में सुविधायें मुहैया कराई जा रही हैं वैसे ही पलवल व भिवानी में भी सुविधायें मुहैया कराई जाएं। पलवल में हर मोहल्ले में गंदगी के अंबार लगे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी आपकी सेवा में 9 कालिंग अटैंशन मोशंज दिए हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके भी कालिंग अटैंशन मोशंज और करण सिंह दलाल जी के भी कालिंग अटैंशन मोशंज लगे हैं। वह अभी अंडर कंसीड्रेशन है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध है कि मेरे कालिंग अटैंशन मोशंज का फेट बताते समय यह भी बताने की कृपा करें कि कौन से डिसअलाऊ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : मैंने बता दिया है कि वे अभी अंडर कंसीड्रेशन हैं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

किसानों को उनकी अधिग्रहित की गई भूमि के मुआवजे संबंधी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, श्री अभय सिंह चौटाला, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल एवं श्री बलवान सिंह ने किसानों को उनकी अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा देने के बारे में जो अल्प अवधि चर्चा संख्या-1 का नोटिस दिया था मैंने उसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या-9 में बदल दिया है तथा उसे आज 3 सितम्बर, 2015 के लिए स्वीकार कर लिया गया है । अब श्री अभय सिंह चौटाला जी अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पढ़ें ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज नॉन आफिशिएल डे है। हमने इस ध्यानकर्षण प्रस्ताव के लिए दिनांक 4.9.2015 का नोटिस दिया हुआ था लेकिन आपने इसे आज के लिए स्वीकार कर लिया है । इसलिए मैं, श्री परमिन्द्र सिंह ढुल और श्री बलवान सिंह विधायकगण इस महान सदन का ध्यान इस लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं:-

कि राष्ट्रीय राजमार्ग-65 पर कैथल बाईपास की परियोजना से प्रभावित किसानों की समस्या गम्भीर रुप लेती जा रही है। इस विषय में हरियाणा सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को अधिग्रहित भूमि के मुआवजे की राशि बारे अपनाए गए दोहरे मापदंड हैं। हरियाणा सरकार ने दिसम्बर, 2014 में एक अधिसूचना जारी करके ग्रामीण आंचल की भूमि के अधिग्रहण का मुआवजा राशि 4 गुणा से 2 गुणा कम करके तथा शहरों के बराबर मुआवजा करके किसानों के हितों पर करारी चोट मारी है।

कैथल बाईपास के लिए तितरम मोड़ से लेकर गांव क्योडक तक प्योदा, हरसोला, सेगा, नरड, गयोंग और उजयाणा आदि गांव आते हैं। इन गांवों की अधिग्रहण, की जाने वाली जमीन का मुआवजा क्लेक्टर रेट के हिसाब से 12 लाख रुपये प्रति एकड रेट तय किया गया है। इसी प्रकार सोलेशियम और ब्याज राशि मिला कर इन गांवों की जमीन का कुल मुआवजा 27 लाख रुपये प्रति एकड़ आंका गया है। कैथल शहर के नजदीक होने के कारण उक्त गांवों की भूमि का बाजारी भाव 50 लाख से लेकर एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ है जबकि किसानों को मात्र 27 लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा देने का अवार्ड घोषित किया गया है जोकि किसानों के साथ सरासर अन्याय और उनका शोषण है। यह भी विडम्बना है कि कलायत, पेहवा और इस्माईलाबाद से होकर गुजरने वाले बाईपास के लिए जो भूमि अधिग्रहित की गई उसका मुआवजा 30 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से 30 प्रतिशत सोलेशियम तथा ब्याज की राशि मिलाकर 46 लाख प्रति एकड़ देने का अवार्ड घोषित किया है। इस प्रकार एक जैसी परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि

का मुआवजा दोहरे मापदंड के हिसाब से आंका गया है। यहां यह भी याद दिलाना आवश्यक है कि यदि इसी भूमि का अधिग्रहण 31 दिसम्बर, 2014 के अध्यादेश के बाद किया जाता है तो मुआवजे की राशि भूमि के बाजार भाव के अतिरिक्त 100 प्रतिशत सोलेशियम एवं 12 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से 70 लाख रुपये प्रति एकड़ देनी बनती है।

43 दिन से लगातार चल रहे आंदोलन के कारण आज हालात यहां तक बिगड़ गए हैं कि चन्दा सिंह और दरिया सिंह किसान 30 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसानों की इस गम्भीर समस्या के समाधान के लिए सरकार उनकी जमीन का मुआवजा बाजार भाव तथा सोलेशियम व ब्याज को ध्यान में रखते हुए 70 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिलवाकर न्याय दिलवाएं। वक्तव्य देकर मामले में स्थिति स्पष्ट करें।

वक्तव्य-

उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वित्त मंत्री (कैप्टन अभिमन्यु) : अध्यक्ष महोदय, सरकार भूमि मालिकों व किसानों जिनकी जमीन कैथल बाईपास के लिए अधिग्रहण की जानी है कि आशाओं के प्रति सचेत है। सरकार इस तथ्य से भली-भांति अवगत है कि 13 केन्द्रीय अधिनियमों (नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम की चौथी अनुसूची) को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवसथापन में उचित प्रतिकर वर्णित पाददर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत उपलब्ध अधिक मुआवजे के प्रावधानों को इस अधिनियम की लागू होने की तिथि से, एक वर्ष की समय सीमा तक बाहर रखा गया था। केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर वर्णित पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधान 01.01.2015 से राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर लागू किये गये हैं। कैथल बाईपास की भूमि का अधिग्रहण इस एक वर्ष की अवधि के दौरान जारी था जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि तय की जानी थी और नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 पर तिथि 01.01.2015 से भारत सरकार ने दिसम्बर 2014 के निर्णय अनुसार लागू किया गया। इस दौरान कुछ भूमि अधिग्रहण अधिकारियों द्वारा भूमि अवार्ड गलत तरह से कर दिये गये हैं। सरकार इस मामले से पूरी तरह अवगत है और भूमि मालिकों के अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग है। भूमि मालिकों के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री से 27.08.2015 को मुलाकात की है। प्रतिनिधियों ने सरकार के आगे यह मांग रखी है कि उनका मुआवजा इक्विटी के सिद्धांत के अनुसार, जैसे कि कुछ अन्य स्थानों में मुआवजा दिया गया है, के बराबर प्रदान किया जाये। इस मामले को सरकार सक्रियता से विचार कर रही है और इस मुद् दे का समाधान 10.09.2015 तक निकाल लिये जाने की संभावना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सदन के अन्दर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अभय सिंह चौटाला, उनके साथ श्री परमिन्द्र सिंह ढुल और श्री बलवान सिंह माननीय सदस्यों की तरफ से आया है । मुझे बड़ी खुशी हुई कि माननीय अभय सिंह जी ने इस बारे में चिन्ता व्यक्त की हैं किसानों को उनकी जमीन के अधिग्रहण के लिए उनको उचित मुआवजा दिया जाए। अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण प्रस्ताव को स्वीकार किया है। जमीन अधिग्रहण के मामले में किसानों को उचित मुआवजा और उनका अधिकार मिलना चाहिए। मुझे अच्छी तरह से याद है कि वर्ष 2004 से पहले किसानों को उनकी जमीन अधिग्रहण के बदले दो-दो लाख प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला करता था जबकि उस जमीन की मार्केट की कीमत कई गुणा हुआ करती थी ।

[कैप्टन अभिमन्यु]

वर्तमान सरकार के राजनीति के नेतृत्व ने इस बात को समझा है कि किसानों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता । हमारी सरकार ने विशेष रूप से पिछले दस महीनों में किसानों के अधिकारों के साथ खड़ी होने का एक रिकॉर्ड खड़ा करने का काम करके दिखाया है। उसमें चाहे किसान की खड़ी फसल खराब होने का मुआवजा देने का काम हो । हमारी सरकार ने किसानों को इतना मुआवजा दिया है जितना कि उनको पिछले 15 सालों में भी कुल मिलाकर नहीं मिला होगा । पिछले छः महीने में उससे कई गुणा ज्यादा मुआवजा किसानों को देने का काम किया है । पिछली सरकार के कार्यकाल में किसानों की मजबूरी का लाभ उठाते हुए किसानों की हजारो एकड़ भूमि को कम कीमत में ऐक्वायर करने का काम किया। लेकिन बावल विधानसभा क्षेत्र की 3500 एकड़ से भी ज्यादा भूमि का पहला विषय हमारी सरकार के समक्ष आया तथा जो मुआवजा कानून के अनुसार उनको दिया जा सकता था उसके लिए किसानों ने अपनी सहमति नहीं दी है । यह एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट था लेकिन उसकी भी चिंता न करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किसानों व भू-मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए किसानों व भू-मालिकों के पक्ष में खड़ा होकर उस पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना स्वीकार कर लिया लेकिन किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया । कैथल में नैशनल हाई-वे-65 पर जो बाईपास बन रहा है इस बारे में आज इस सदन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है । वर्तमान प्रक्रिया के तहत जो मुआवजा राशि तय हो रही थी उस मुआवजा राशि से किसानों की सहमति नहीं बन रही है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रक्रिया के कुछ अपने विषय हैं जिनको मैं आपके माध्यम से इस महान् सदन के समक्ष लाना चाहता हूँ । हम जानते हैं कि अधिग्रहण को लेकर पिछले दिनों कानून में परिवर्तन होते आए हैं जिसके कारण इस प्रक्रिया में कुछ जटिलताएं सामने आई हैं । वर्ष 2013 में एक Right to Fair compensation and Transparency in land acquisition and Rehabilitation & Resettlement Act, 2013 कानून बना था । इस एक्ट के माध्यम से 1.1.2015 से compensation calculate करने का एक नया फार्मूला सामने आया । उससे पहले जो compensation calculate करने का फार्मूला था उसका अधिकार अधिकारियों की एक कमेटी को होता था और वह कमेटी मार्केट कीमत तय करके उसमे सोलेसियम, ब्याज़ तथा अन्य कुछ चीजें जोड़कर compensation calculate करते थे। इसके बाद एक नई प्रक्रिया आ गई। उस प्रक्रिया के तहत जो जमीन अधिग्रहण की जा रही है उसके रकबे को, उसके गाँव में पिछले सालों में जो रजिस्ट्री हुई है उनमें से 50 प्रतिशत् ऊंची रजिस्ट्रियों के रेट्स को देखकर उनकी मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करके तथा उसमें multiple factor जोड़कर व 100 प्रतिशत् सोलेशियम जोड़कर Compensation calculate करते हैं। इन दोनों प्रक्रियों में एक भिन्नता थी। पहले तो यह प्रक्रिया थी कि अधिकारियों की एक टीम को मार्केट वैल्यू डिटर्मिन करने का अधिकार था जिसमें 30 प्रतिशत् सोलेशियम जोड़कर मुआवजा राशि दी जा सकती थी। दूसरी प्रक्रिया में कुछ मर्यादाएं तय कर दी गई कि या तो 50 प्रतिशत् ऊंची रजिस्ट्री या जो कलैक्टर रेट है whichever is higher उस पर 100 प्रतिशत् सोलेशियम जोड़कर तथा फैक्टर लगाकर Compensation दे दिया जाए। यह अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया जो हुई है इसमें संयोग से बीच में 1.1.2015 से पहले के फार्मूले और इसके बाद के फार्मूले में दो प्रकार की कैल्कुलेशंज़ सामने आई हैं जिनके कारण कुछ भ्रम की स्थिति बनी है तथा सरकार भी उस भ्रम की स्थिति से अवगत है। मैं सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि किसानों के दुःख-दर्द और पीड़ा को

समझते हुए, किसान भले ही आंदोलन की राह पर हों लेकिन उनके लिए उन्होंने एक दिन भी अपने दरवाजे बंद नहीं किए तथा लगातार किसानों व भू-मालिकों के साथ उन्होंने बड़ी संवेदनशीलता से चर्चा की है तथा इस बात की चिंता भी जाहिर की है कि हम किसी भी सूरत में किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे । इसमें National Highway भी involved है तथा National Highway Act की प्रक्रिया भी इसमें शामिल होती है इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस बारे में खुद चलकर दिल्ली में माननीय केन्द्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के साथ अपनी चिंता सांझी की । उन्होंने भी विश्वास दिलाया कि कानून व प्रक्रिया के तहत जो किसानों के लिए अधिक से अधिक मुआवजा बनता है वह उनको दिया जाए जिसको देने के लिए सरकार संकल्पबद्ध है तथा सरकार पूरी तरह से उस प्रक्रिया में लगी हुई है । जैसा कि आप जानते हैं कि इस बारे में जो आर्डिनेंस इशू किया गया था उसकी मियाद खत्म हो गई है तथा नया ऑर्डिनेंस अभी नहीं आया है । इस विषय में केन्द्र सरकार से हमको कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि किसान के हित में कुछ और प्रोविजन्स के सुझाव आ सकते हैं तथा कुछ चीजें अभी रिकार्ड पर आनी बाकी हैं । उन संकेतों के आधार पर मैं इस महान् सदन को सरकार की तरफ से यह भरोसा दे सकता हूँ कि जो किसान कैथल के बाईपास से संबद्ध हों या हरियाणा प्रदेश में कहीं का भी किसान हो, जब भी किसान की जमीन का अधिग्रहण होगा तो उसकी पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें चाहे उनकी सहमति लेने की आवश्यकता है, उसमें सोशल इम्पैक्ट असैसमैंट करना है तथा रिहैबिलिटेशन और रिसैटलमैंट के पूरे इशू को सैटल करना है । इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो श्रेष्ठतम मुआवजा हो सकता है वह देने का काम हमारी सरकार करेगी । हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के गतिशील नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश के किसान पूरी तरह से विश्वस्त और आश्वस्त हैं कि उनके हितों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता और कोई समझौता नहीं किया जा सकता ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान दिलवाया था कि ये जो 7 गांव हैं, इन 7 गांवों में जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अपनाई गई है उनमें जो कलैक्टर रेट फिक्स किया गया है वह डी.आर.ओ. की तरफ से तय किया जाता है उसमें भेदभाव किया गया है । बीच में एक सड़क कैथल से तितरम मोड है, अध्यक्ष महोदय, आप भी जानते हैं कि उस रोड के उस साइड की जो भूमि है उसका रेट 30 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया है तथा उसके जो सामने वाली जमीन है उसका रेट 12 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया है । उसी इशू को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं और वे चाहते हैं कि उनकी जमीन के रेट भी ठीक किए जाएं । एक तरफ सरकार किसान हितैषी होने की बात करती है और कहती है कि अगर अगर किसान इस तरह की दिक्कतों को लेकर प्रदर्शन और धरने कर रहे हैं तो हम उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। वहां आपके मंत्री भी गए थे और उन्होंने वहां जाकर किसानों को आश्वस्त किया था और कहा था कि हम आपको उसके बराबर पैसा दिलवाएंगे । मंत्री जी जबानी कलामी बात करके आ गए, जब लोगों ने यह बात रखी कि यह जो कलैक्टर रेट में भेदभाव है इसको ठीक किया जाए तो यह कह दिया गया कि इसको ठीक करना हमारे लिए सम्भव नहीं है इसलिए किसानों को मजबूर होकर धरने पर बैठना पड़ा । उनकी समस्या ज्यों की त्यों खड़ी रही । मंत्री जी, आपने सारी बातों का विस्तार से जवाब दिया है कि वर्ष 2004 से पहले दो दो लाख रूपये प्रति एकड़ के रेट के हिसाब से जमीन अधिगृहीत की गई । उस जमीन का भाव भी दो लाख रूपये नहीं था । मंत्री जी, आपको शायद पता नहीं है ।

कैप्टन अभिमन्यु : अभय सिंह जी, मुझे पूरी तरह पता है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आपको पता होता तो आप इस तरह की बात सदन में नही कहते ।

कैप्टन अभिमन्यु : अभय सिंह जी, आपने मेरे से सीधा प्रश्न कर दिया इसलिए मेरा अधिकार है कि मैं आपको अपनी बात विस्तार से बताऊं । सारा हरियाणा और पूरा सदन जानता है और मेरे दोस्त राव नरबीर सिंह जी भी जानते हैं कि बहादुरगढ़ में किस तरह से जमीन अधिग्रहण का भाव दो लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया गया था जबकि बहादुरगढ़ में आज से 10 साल पहले दो लाख रूपये की रेट की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था । ऐसे अनेक प्रसंग हैं और आप चाहेंगें तो हम उनको रिकार्ड पर भी ला सकते हैं कि किस तरह से मार्केट रेट की रजिस्ट्रयां उससे ज्यादा रेट की थी लेकिन उस समय सुनने वाला कोई नहीं था लेकिन आज की सरकार सुनने वाली है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि उस वक्त आपकी पार्टी के जो विधायक थे, वे भी हमारे साथ बैठे हुए थे और उस वक्त आपके साथियों ने इस इशू का विरोध इसलिए नहीं किया था क्योंकि आप इस मामले में उनके साथ थे ।

कैप्टन अभिमन्यु : अभय सिंह जी, उस समय हमारे साथी आपके साथ नहीं थे बल्कि आपके साथ बैठे हुए थे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आपके साथी हमारे साथ बैठे हुए नहीं थे बल्कि उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन दिया हुआ था । केवल यहां इस विधान सभा में ही नहीं बल्कि केन्द्र में भी हम एक दूसरे के सहयोगी थे । अगर इस तरह का विषय होता तो उस वक्त कांग्रेस के साथी भी विरोध करते और आपके साथियों को भी विरोध करना चाहिए था लेकिन उस वक्त विरोध नहीं किया था क्योंकि उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं थी । आज केवल तोड़ मरोड़ कर यहां बातें की जा रही हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय विपक्ष के नेता को बताना चाहूंगा कि बहादुरगढ़ का कसार गांव जो नैशनल हाइवे 10 पर स्थित है, की जमीन जब इतने कम मूल्य पर एक्वायर की जा रही थी तो वहां के लोग खून के आंसू रो रहे थे । उस वक्त हम धरने पर बैठे थे और आपकी सरकार थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आपने नई बात बताई है कि आप धरने पर बैठे थे । आप तो उस समय राजनीति में भी नहीं आए थे ।

कैप्टन अभिमन्यु : वर्ष 2004 के लोकसभा के चुनावों के बाद जब इनकी सरकार जा रही थी उस समय पूरा इलाका आन्दोलनरत था । उसका परिणाम इनकी सरकार ने भुगता था कि इनको विपक्ष के नेता के लायक कुर्सी भी नहीं मिली थी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : मंत्री जी, आप केवल इस इशू पर चर्चा करें और उन बातों को न छेड़ें ।

श्री जयप्रकाश : अध्यक्ष महोदय, कलायत से तितरम तक जो लोगों को पैसा मिला उसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को भी उसी के बराबर पैसा

मिलें । सदन के नेता यहां बैठे हुए हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि 30 लाख रूपये की राशि में सोलेशियम व ब्याज की राशि जोड़कर उस तरफ के लोगों को भी दे दो और उनको भी दे दो तो यह लड़ाई खत्म हो जाएगी । यदि पहले की बात करेंगे तो मुझे 2013 का भी पूछना पड़ेगा क्योंकि वहां की जनता ने मुझे विधायक चुनकर यहां भेजा है । मैं जानना चाहूंगा कि वर्ष 2013 में किन लोगों की वजह से यह गलती हुई है । यह अधिकारिक तौर पर गलती नहीं हुई बल्कि राजनीतिक तौर पर यह गलती की गई है । उस समय कौन जनता का प्रतिनिधि था ? किसने ज्ञापन दिया और कहा कि चिंता न करो 70 लाख रूपये दे देंगे लेकिन नहीं मिले और वहां की भोली-भाली जनता को बरगलाने का काम किया गया । क्योंकि उन लोगों की जमीन उस बाई पास पर आती है । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे सारी बातें एक्सप्लेन कर देंगे तो बहुत अच्छा हो जायेगा ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमने जिस बात का जवाब मांगा था उसका जवाब नहीं दिया गया । मंत्री जी ने अपने जवाब में केवल पुरानी बातों को छोड़कर लीपापोती करने का काम किया है । हमें तो उन लोगों का हक चाहिए जो इस विषय को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं ।

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार लोगों का हक देने वाली सरकार है ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हक देंगे तो बहुत अच्छी बात होगी लेकिन केवल मात्र जबान से कहने से काम नहीं चलेगा । कहकर तो इनके राज्य मंत्री भी आए थे जो इनके पीछे बैठे हैं । वे वहां गये थे और कह कर आए थे कि आपका मुआवजा दिया जायेगा । (विघ्न)

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता के पास इस विषय में और कोई बात कहने के लिए नहीं है । उन्होंने केवल यह बात कही है कि दे देना। हमने तो अपने आचरण से साबित किया है कि फसल खराबे का मुआवजा जो कभी पिछले 15 साल में नहीं दिया गया हमने केवल 6 महीने में दिया है । इससे बड़ी बात आचरण को प्रमाणित करने की और क्या होगी ? (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, अभी भी हम तसल्ली से कहते हैं कि उन किसानों को उनका हक दिया जायेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप सभी बैठें । क्या आपको किसानों को मुआवजा देने पर भी एतराज है ?

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, हमने अभी 1092 करोड़ रूपये किसानों को उनकी फसल का नुक्सान होने पर मुआवजे के रूप में दिए हैं । इसके अतिरिक्त पिछली सरकार जो घोषणाएं करके चली गई और पैसा नहीं दिया वह पैसा भी 243 करोड़ रूपये हमने दिया है । वह पैसा पिछली सरकार ने अपने पांच साल के कार्यकाल के दौरान नहीं दिया, अब हमारी सरकार आने के बाद हमने दिया है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत मुआवजा दिया है और किसान रो रहा है क्योंकि वाईट फ्लाई के प्रकोप से किसान बहुत परेशान हैं ।

श्री जय प्रकाश : अध्यक्ष महोदय, वहां की जमीन की रजिस्ट्रीज कम रेट पर की गई और जमीन का भाव भी कम निर्धारित किया गया जिसका खामियाजा वहां के किसानों को भुगतना पड़ रहा है । हम जानना चाहते हैं जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 7 गांवों की जमीन की रजिस्ट्रीयों का रेट अलग से क्यों रखा गया ? वहां के अधिकारियों के साथ हम मीटिंग में बैठे थे उन्होंने भी हमें बताया था कि उन गांवों की जमीन की रजिस्ट्रियां किस कारण से कम रेट पर हुई ? मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि उन लोगों के नाम उजागर होने चाहिएं जिन्होंने यह सब करवाया है।

विद्यार्थियों एवं हरियाणा विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, आर्य कन्या सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, उकलाना की 45 छात्राएं सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में बैठी हुई हैं और हमारे पूर्व विधायक दरियाव सिंह राजौरा जी भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए विशिष्ट दीर्घा में बैठे हैं । उनका मैं स्वागत करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री भायब सैनी : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि मैं वहां गया था। इस बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तितरम भोड़, कैथल गया था । वहां पर किसानों को मैंने आश्वासन दिया था कि किसान के हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार फैसला करेगी ताकि किसानों को फायदा हो सके तथा उनका जो भी मुआवजा बनेगा वह सरकार अवश्य देगी ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी से फिर यही बात पूछना चाहता हूं कि जो यह भेदभाव हुआ है कि सड़क के एक तरफ के लोगों को तो 12 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जा रहा है और दूसरी तरफ के लोगों को 30 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवज़ा दिया जा रहा है। हम इसी भेदभाव को खत्म करने की बात कर रहे हैं । अगर माननीय वित्तमंत्री जी इस बारे में अनशन पर बैठे किसानों के बीच में जाकर इस भेदभाव को समाप्त करने की बात कहेंगे तो इससे जो किसान पिछले एक महीने से या डेढ़ महीने से अनशन पर बैठे हैं उनको राहत मिलेगी और ऐसा करके सरकार उन किसानों की जान भी बचा सकती है। मैं पूरे सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहूंगा कि जो किसान पिछले 30 या 45 दिनों से अनशन पर बैठे हैं उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है और उनकी जान भी जा सकती है । इसीलिए मैं यह बात फिर से दोहरा रहा हूं कि जो 12 लाख रूपये प्रति एकड़ का मुआवज़ा निर्धारित किया हुआ है उसको बढ़ाकर 30 लाख रूपये प्रति एकड़ किया जाये और उनको 100 फीसदी सोलेशियम दिया जाये क्योंकि उन किसानों की जो ज़मीन है वह कैथल शहर के साथ लगती है इसलिए यह बहुमूल्य ज़मीन है। पहले तो यह ज़मीन कैथल शहर से पांच-छः किलोमीटर दूर थी लेकिन अब तो नये-नये प्रोजैक्ट्स स्थापित हो जाने के कारण यह दूरी और भी कम हो गई है । आज के दिन ज़मीनों के भाव दिनोंदिन बढ़ते ही जा रहे हैं । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो एक्चुअल में ज़मीनों का रेट है किसानों को उसके मुताबिक ही उनकी ज़मीनों का मुआवज़ा मिलना चाहिए । इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज इस बात को इस सदन के अंदर स्पष्ट किया जाना चाहिए कि यह अनशन जिस कारण से चल रहा है उस कारण का पता लगवाकर उस कारण को तत्काल दूर किया जाये और अगर यह किसी व्यक्ति विशेष ने अपने निजी स्वार्थ के लिए या किसी और मंशा से किया या करवाया है तो

उस दोषी व्यक्ति के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्यवाही तुरन्त प्रभाव से की जाये। मैं एक बार फिर यह कहना चाहता हूं कि अगर आप उन किसानों के सच्चे हितैषी हैं और आप दिल से चाहते हैं कि वे किसान धरने से उठें तो आपको यह काम करना ही पड़ेगा और उनको उनकी ज़मीन का उचित मुआवज़ा बिना किसी भेदभाव के देना ही होगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस बिन्दु को फोकस करके अपनी बात रखें न कि यह बतायें इससे पहली वाली सरकार ने क्या किया। मैं यहां यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अगर आप से पहले वाली सरकार ने कोई ठीक काम किया होता तो आज आप सत्ता पक्ष में नहीं बैठे होते ।

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के नेता ने जो अपनी बात को दोहराया है उसके उत्तर में मैं भी उस बात को दोहराते हुए कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में केन्द्रीय मंत्री जी से भी बात की है और हमने भी इस बात का फिर से पूरा विश्वास दिलाया है कि अभी मुआवज़े की कैलकुलेशन की प्रक्रिया बाकी है यानि अधूरी है। उसकी जटिलताओं को भी मैंने इस महान सदन के सामने रखा है और उनके जल्दी से जल्दी निराकरण का भी इस महान सदन को विश्वास दिलाया है । मैं समझता हूं कि इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता कि मैं on the floor of this august House यह कह रहा हूं कि किसानों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होगा । विपक्ष के नेता ने ठीक ही कहा है कि तितरम, रसौला, नरड़, प्यौदा, उझाना और ग्योंग इत्यादि गांवों में ज़मीनों के क्लेक्टर रेट के अंदर अंतर आया है लेकिन इसका भी हमने कानून की प्रक्रिया के अंतर्गत मार्ग निकालने का प्रयास किया है। मैं यह बात एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि अभी यह मुआवज़ा अंतिम तौर पर तय नहीं हुआ है । डिप्टी कमिश्नर को पॉवर्ज़ हैं और डिप्टी कमिश्नर अपनी पॉवर्ज़ का इस्तेमाल करते हुए इस बारे में निर्धारित कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए इस मुआवज़े को नये सिरे से मुकर्रर कर सकता है। उसमें इक्विटी और जस्टिस के सिद्धांत के आधार पर भी अलग-अलग गांवों की ज़मीनों के जो फ्लोर रेट हैं उनको मुकर्रर करने का भी डिप्टी कमिश्नर को अधिकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को इस बारे में आवश्यक हिदायतें दी हैं कि कानून की परिधि में और कानून के दायरे में इक्विटी और जस्टिस को ध्यान में रखते हुए इस बारे में कार्य किया जाये। अगर कोई क्लैरिकल या मैथेमैटिक्स ऐरर है उसको दूर करने का भी उनको अधिकार है। मुख्य रूप से हम यह चाहते हैं कि इक्विटी और जस्टिस के अधिकार को ध्यान में रखते हुए जो उचित से उचित और अच्छे से अच्छा किसान के हित में फ्लोर रेट तय हो सकता है वह तय किया जाये । इसके साथ ही साथ उसमें जो सोलेसियम एड होना है वह भी कानून के अनुसार होना ही चाहिए । मैंने संकेत में भी कहा है कि हमें केन्द्र सरकार से ये संकेत प्राप्त हुए हैं कि इस ज़मीन का प्रति एकड़ इतना मुआवज़ा हो सकता है जिसकी किसी ने अपेक्षा भी नहीं की होगी । हमारी भी यही कोशिश है कि हम इस ज़मीन का सम्बंधित किसानों को इतना मुआवज़ा दिलवायें जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की होगी । हमें यह आशा भी है और विश्वास भी है कि इस ज़मीन का मुआवज़ा बहुत बेहतर होगा । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बारे में किसानों से लगातार बातचीत की है । मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार वह सरकार है जो किसानों पर गोली चलाने की बात नहीं करती और न ही किसानों पर लाठी ही चलाने की बात करती है। इसके विपरीत हमारी सरकार वह सरकार है जो किसानों के साथ बैठकर सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत करने में विश्वास रखती है। हमारी सरकार किसानों को गोलियों का शिकार नहीं बनवाती। हमारी सरकार वह सरकार नहीं है जो किसानों से वोट

[कैप्टन अभिमन्यु]

लेकर किसानों की पीठ में खंजर घोंप दें । हमारी सरकार किसानों का सरेआम कत्लेआम भी नहीं करवाती है । हमारी सरकार वास्तव में किसानों की सच्ची हितैषी सरकार है । हमारी सरकार किसानों को छाती से लगाकर बातचीत करके उनको उनकी ज़मीनों का उचित और अधिकतम मुआवज़ा दिलाने की बात करती है । इसी नाते से और कलेक्टर के नाते डिप्टी कमिश्नर द्वारा अपना फैसला सुनाये जाने के बाद भी कानून में प्रावधान हैं जिनके तहत आरबीट्रेशन का रास्ता और खुल जाता है लेकिन इसके बावजूद भी पूरी प्रक्रिया होने तक इस महान सदन के पटल पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ से किसानों से अपील करते हुए उनको विश्वास दिलाता हूं कि इस सरकार के रहते हुए उनको मुआवज़े के लिए किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन या आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है । मैं उनको विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि सभी के साथ-साथ किसानों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाज़े 24 घंटे खुले हैं इसलिए वे अपनी सभी समस्याओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर बात करें । वैसे तो सभी मामले माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हैं इसलिए उनको अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखने की भी ज़रूरत नहीं है वे उनकी सभी समस्याओं का अपने आप ही समाधान कर देंगे। मैं यह बात भी ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें किसानों का भला करने के लिए उन लोगों के कंधों की ज़रूरत नहीं है जिन लोगों ने किसानों पर गोलियां और लाठियां चलवाई थी । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सक्षम हैं और इनके कंधे भी पूरी तरह से मज़बूत हैं। मैं यह बात बार-बार और ज़ोर देकर कहना चाहता हूं कि हम किसानों के साथ पूरा न्याय करेंगे।

श्री जयप्रकाश: अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ धरने पर बैठे लोगों के पास जायें और उनको इस बात से अवगत करवायें कि उनको भी पहले की भांति बराबर मुआवजा देंगे । उन लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करवायें कि उनको 30 लाख रूपये मुआवजा और 100 प्रतिशत सोलेशियम दिया जायेगा । जब तक यह फैसला नहीं होता तब तक यह बात उनको वहाँ जा कर अवगत करा दी जाये तो बेहतर होगा ताकि वे लोग उठें या कोई दूसरा फैसला करें क्योंकि बुजुर्ग लोग हैं और कई दिन से धरने पर बैठे हुये हैं । यह बात मुख्यमंत्री जी हाउस में भी कहें और वहाँ उन लोगों के पास भी जायें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने भाषण तो बहुत लम्बा-चौड़ा दे दिया । इन्होंने कई बातें कही कि बंदूकें चलाई गई, किसानों को मारा गया, उनको उजाड़ा गया । अगर मंत्री जी किसानों के हितैषी हैं तो आप इस काम को करने की बात क्यों नहीं करते ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, जो आर्बिट्रेशन क्लॉज में लिखा हुआ है वह माननीय साथी को समझ में नहीं आया होगा । केन्द्र सरकार ने प्रक्रिया को सुधारने के लिए जो संकेत दिये हैं वे भी इनको समझ नहीं आये लेकिन गोली वाली बात समझ में आ गई। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो सभी बातें समझ में आती हैं लेकिन मंत्री जी को यह बात अभी तक समझ में नहीं आई कि यहाँ हाउस में ये इस प्रश्न का क्या उत्तर दें ? इन्होंने जो उत्तर दिया है वह गोलमोल दिया है । अंत में फिर वही बात आ जाती है कि हम किसान के हितैषी हैं । अगर आप किसान के हितैषी हैं तो यहाँ खड़े हो कर यह बात क्यों नहीं

कहते कि जब पहले 30 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिल रहा है तो इनको भी 30 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से ही मुआवजा देंगे । यह सीधी-सीधी दो शब्दों की क्लीयर बात है । (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को शायद प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है और इसलिए मेरा इनके लिए सुझाव है कि ये थोड़ी बहुत कानूनी प्रक्रिया की पढ़ाई शुरू कर दें । अगर इनको कानून की बातें समझ में आने लग जायेंगी तो ये समझ जायेंगे । इसके साथ ही साथ मेरा इनके लिए सुझाव है कि इनको सदन की मर्यादाओं को भी समझना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूँ कि वे हमें ज्यादा समझाने की कोशिश न करें हमें सभी बातों का पता है, हमसे कुछ छिपा हुआ नहीं है लेकिन मंत्री जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि कानून की किताबें पढ़ना शुरू कर दें तो मैं मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि रेट तय केन्द्र सरकार करती है या क्लेक्टर तय करता है ? (शोर एवं व्यवधान)

कैप्टन अभिमन्यु : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को पहले भी बताया है और अगर इन्होंने ध्यान से नहीं सुना है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि रेट तय करने के लिए क्लेक्टर के तौर पर डिप्टी कमिश्नर की पॉवर्स हैं । उन पॉवर्स को किसान के हित में इस्तेमाल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत दी हैं । मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ कि कानून की परिधि में अच्छे से अच्छा निर्णय होगा ।(शोर एवं व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह दांगी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कह रहे हैं कि हिदायतें दी गई हैं । जब मुआवजा ही तय हो कर आ जायेगा तो फिर बाद में उन हिदायतों का क्या फायदा होगा ?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बहुत सी बातें कही हैं लेकिन अंत में इन्होंने जो आर्बिट्रेशन की बात कही है वह बहुत अच्छी बात कही है । एक बार फरीदाबाद में भी ऐसा ही हुआ था । हम नेशनल हाईवे के लिए जमीन एक्वायर कर रहे थे और उसमें भी इसी तरह का अन्तर आ गया था । उस समय हमने नेशनल हाईवे से बात करके आर्बिट्रेशन का प्रावधान किया था । अब कोई लम्बा-चौड़ा अन्तर नहीं रहा है । अगर मंत्री जी हाउस को यह आश्वासन दे दें कि आर्बिट्रेशन में हम उस जमीन का भाव जो साथ लगती दूसरी जमीन एक्वायर हुई है उससे कम नहीं होने देंगे तो मुद्दा ही खत्म हो जायेगा । उसके बाद न तो मुख्यमंत्री जी को कुछ कहना पड़ेगा और न ही मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर जाना पड़ेगा । आप किसानों को आश्वासन दे दीजिए कि आर्बिट्रेशन में हम उनकी जमीन का मुआवजा कम नहीं होने देंगे । किसान तो आर्बिट्रेशन में सभी जायेगा जब आपकी तरफ से आश्वासन मिल जायेगा ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, कुल मिलाकर नेशनल हाईवे-65 के आसपास चार बाई पास हैं अगर उनको क्रम से देखेंगे तो सारा विषय ध्यान में आ जाएगा । उसमें पहला बाईपास पेहवा का है जिसका मुआवजा 22.12.2014 को घोषित किया गया और 22.12.2014 तक जो पुराना कानून था वही लागू था क्योंकि नया कानून 01.01.2015 को लागू किया गया है । पुराने कानून में किसी प्रकार का कोई प्रोसीजर तय नहीं था कि जमीन की कितनी कीमत लगेगी ? क्योंकि जमीन की कीमत डी.आर.ओ. तय करता था कि मार्किट रेट के हिसाब से उस जमीन की

[श्री मनोहर लाल]

कीमत क्या है ? वह उस जमीन की बैकवर्ड कैलकुलेशन करता था कि उस जमीन के लिए कितना सोलेशियम होना चाहिए । अगर सोलेशियम 30 प्रतिशत है तो उसके ऊपर इन्ट्रस्ट लगाकर उस जमीन का मार्किट रेट क्या आता है ? इस प्रकार मार्किट रेट के हिसाब से उस जमीन की 45 लाख रूपये के आसपास कीमत आंकी गई है । जब उस जमीन की बैकवर्ड कैलकुलेशन की गई तो उस जमीन की कीमत 30 लाख रूपये बढ़ी है । यह कीमत केवल बैकवर्ड कैलकुलेशन के कारण ही बढ़ी है । यह मार्किट रेट देना सरकार ने स्वीकार भी कर लिया और इस्माईलाबाद में कोई किसी प्रकार का इस पर विवाद नहीं है । आगे जब 6 जनवरी को इस्माईलाबाद बाई पास की घोषणा हुई तो इसके बारे में घोषणा भी डी.आर.ओ. को नये कानून में 6 जनवरी को ही करनी चाहिए थी । उसका मार्किट रेट के हिसाब से कोई संबंध नहीं है । नये कानून में एक प्रोसीजर तय है वह प्रोसीजर क्या है कि जब नोटिफिकेशन हुआ उस समय तक की तीन साल की जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हैं उन रजिस्ट्रियों की ऊपरी कीमत का 50 प्रतिशत या उसका एवरेज या कलैक्टर रेट which ever is higher उन दोनों में जो ज्यादा है वह और उसके बाद उसका 100 प्रतिशत सोलेशियम और उसका इन्ट्रस्ट यह कुल कितना पैसा बनता है क्योंकि वहां पर रजिस्ट्रियाँ बहुत कम हुई थी इसलिए अगर वह हिसाब लगाते तो वह बहुत कम बनता शायद 25-27 लाख रूपये ही बनता 45 लाख रूपये नहीं बनता था । उस अमाउंट को 45 लाख रूपये तक बैठाने के लिए उन्होंने उस रेट को वहां तक लाने के लिए वापिस 30 लाख रूपये पर 100 प्रतिशत सोलेशियम लगाकर उसको 45 लाख रूपये तक पहुंचा दिया । 30 लाख रूपये की कैलकुलेशन का नये एक्ट में किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है और नेशनल हाईवे का भी यही ऑब्जैक्शन है कि आप इस जमीन के रेट को सिस्टम से कैलकुलेट कीजिए और सिस्टम से कैलकुलेट करने के बाद यदि इस जमीन का रेट कम आता है तो इक्विटी के सिद्धान्त के आधार पर आपको यह अधिकार है कि आप उस रेट को वहां तक ला सकते हैं । नये एक्ट के आधार पर यदि उस जमीन का रेट 27-28 लाख रूपये भी बनता है तो उसको इक्विटी के सिद्धान्त के बेसिज पर 45 लाख रूपये तक लाने का अधिकार इस सरकार को है, डी.आर.ओ. को है और डी.सी. को है यानी सभी को यह अधिकार है । जब इनको पुराने रेट पर उस जमीन का रेट 45 लाख रूपये मिल गया है तो मैं समझता हूं कि उन किसानों को इसलिए भी कोई आपत्ति नहीं है । तीसरा जो मुआवजा दिया गया है वह कलायत के क्षेत्र के लोगों को दिया गया है । कलायत में भी इसी प्रकार नये एक्ट के आधार पर 30 लाख रूपये की राशि लगाकर वही 45 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देना तय किया है इसलिए वहां के किसानों को भी इसके बारे में कोई आपत्ति नहीं है । अब जिस बारे में विवाद चल रहा है और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वह कैथल बाईपास और तितरम मोड़ की जमीन के बारे में है। कैथल के बाईपास पर भी दो गांवों की जमीन का रेट पुराने एक्ट के हिसाब से दिया गया है इसलिए वहां के किसानों को भी कोई आपत्ति नहीं है । इनमें जो चार गांव बाकी बचे हैं क्योंकि अब केन्द्र सरकार ने यह कह दिया है कि पुराने एक्ट के हिसाब से आप किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते इसलिए इन गांवों की जमीन का मुआवजा देने के लिए सरकार ने नया एक्ट लगाया है नये एक्ट के हिसाब से उन चार गांवों की जमीन का जो कलैक्टर रेट थ तीन साल की रजिस्ट्रियों की औसत के हिसाब से जो रेट निकलना चाहिए था उस हिसाब से मुआवजा देना था क्योंकि रजिस्ट्रियों का रेट बहुत कम था इसलिए उस जमीन का रेट कलैक्टर रेट के हिसाब से तय किया गया । कलैक्टर रेट तो बहुत पहले से घोषित होता है

उसे आज तो तय करना नहीं था । इसलिए वहां तीन गांवों की जमीन का कलैक्टर रेट 12 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से निकला और चौथे गांव की जमीन का 18 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से कलैक्टर रेट निकाला गया जिन तीन गांवों की जमीन का कलैक्टर रेट 12 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से था उस 12 लाख रूपये में 100 प्रतिशत सोलेशियम मिलाकर वह 24 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से बनता है और उसमें इन्ट्रैस्ट लगाकर वह 27-28 लाख रूपये प्रति एकड़ बनता है । इसी प्रकार से चौथे गांव की जमीन का रेट 18 लाख रूपये प्रति एकड़ था उसमें 100 प्रतिशत सोलेशियम लगाकर 36 लाख रूपये और ब्याज मिलाकर 41 लाख रूपये प्रति एकड़ बनता है । इस प्रकार इन चारों गांवों की जमीन का रेट 45 लाख रूपये प्रति एकड़ से कम ही बनता है । चूंकि एन.एच.ए.आई. ने यह ऑब्जैक्शन लगा दिया है कि आप पुराने एक्ट के हिसाब से मुआवजा तय नहीं कर सकते । आपको नये एक्ट के हिसाब से जमीन का मुआवजा तय करना पड़ेगा और इसका जो प्रोसीजर है उसके हिसाब से ही तय करना पड़ेगा । उसके हिसाब से 28 लाख रुपये और लगभग 40 लाख रुपये यह रेट आया है । लेकिन इसको भी इक्विटी के सिद्धान्त पर 45 लाख रूपये किया जा सकता है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। इसमें कठिनाई एक ही है कि हम जैसे लोग जो वहां किसान को जाकर हिसाब-किताब बताते हैं कि आप बेस रेट 30 लाख रूपये प्रति एकड़ से नीचे मत आने देना । जो कि किसी भी कानून में संभव नहीं है। अब इसमें पेंच यह फंसा हुआ है कि कानून के हिसाब से जो तय है इक्विटी के हिसाब से उसको बढ़ाने का सरकार के पास एक अधिकार है जिसको वे किसान मानने के लिए तैयार हैं और वे कहते हैं कि हमें भी दूसरी जमीन के बराबर राशि दे दीजिए लेकिन इसमें 30 लाख रूपये प्रति एकड़ का पेंच फंसा हुआ है। नये कानून में सैट प्रोसीजर है कि जो रजिस्ट्रियां हुई है उनकी आधी रजिस्ट्रियों का ऐवरेज अथवा कलैक्टर रेट जो भी ज्यादा हो, वह रेट हम दे सकते हैं। इसलिए इस मामले में हम तय करके वे 45 लाख रूपये किसान को दे देते हैं तब फिर अगला विषय आर्बिट्रेशन का आता है। हो सकता है कि केन्द्र की सरकार एन.एच.ए.आई. के नये कानून के अन्तर्गत इससे भी ज्यादा राशि दे दे लेकिन प्रदेश की सरकार के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वह इससे ज्यादा राशि दे सके। आर्बिट्रेशन में केवल यही नहीं बाकी के बाई पास के लिए जो जमीन ऐक्वायर की गई है वे लोग भी जा सकते हैं। नैशनल हाईवे 65 में भी सैकड़ों, हजारों एकड़ किसानों की जमीन ऐक्वायर होनी है या हुई है वे सब किसान भी जा सकते हैं। जो भी तय होगा वह आर्बिट्रेशन में तय हो सकता है, कोर्ट में तय हो सकता है। हम इक्विटी बेस पर 45 लाख, 40 लाख, 43 यानी जो भी रेट बनेगा, टाइम पीरियड ज्यादा हो जाने से इंट्रस्ट भी बढ़ जाता है, वह राशि दे सकते हैं। हमारी बातचीत हो गई है हमने उनको 10 तारीख को बुलाया है और दे देंगे। (थम्पिंग)

श्री जसविन्द्र सिंह संधू: अध्यक्ष महोदय, मुझे भी इस बारे में अपनी बात कहनी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस प्रस्ताव पर श्री परमिन्द्र सिंह ढुल के और बलवान सिंह जी के भी सिग्नेचर हैं इसलिए पहले उनको आप अपनी बात कह लेने दें।

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल: अध्यक्ष महोदय, जो यह जमीन ऐक्वायर हुई है और जहां पर यह बाई पास बनने लग रहा है। उसके साथ एक ड्रेन है उस ड्रेन के साथ-साथ मन्डी बोर्ड ने मंडी के लिए जमीन ऐक्वायर की है और उस जमीन का भाव 60 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से तय किया गया है । हांसी-बुटाना नहर के लिए जो जमीन ऐक्वायर की गई थी उसके केस में

[श्री परमिन्द्र सिंह ढुल]

हाईकोर्ट ने भी यह माना है कि उस जमीन के 20 लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से कम से कम रेट तय किए जाने थे । उसके बाद उस पर सौलेशियम दिया जाना था। यह जो बाईपास के लिए जमीन ऐक्वायर की गई है यह जमीन ड्रेन के एक तरफ है तथा वह जमीन ड्रेन के दूसरी तरफ है । ड्रेन के दूसरी तरफ जो जमीन है उस जमीन के लिए 60 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया है और इस साइड के लिए केवल 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया गया है। मंत्री जी इस बारे में स्पेसिफिकली बताएं कि पहले आपके ही द्वारा ड्रेन के दूसरी तरफ जो जमीन अधिग्रहण की गई है क्या उस जमीन के बराबर ड्रेन के इस तरफ की जमीन का भाव देंगे या नहीं ? किसान जो धरने पर बैठे हैं क्या उनका धरना खत्म करवाएंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आप भी अपना क्वेशचन पूछ लें ताकि इस बारे में इकट्ठा जवाब आ जाए।

श्री बलवान सिंह : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मंत्री महोदय ने इस बारे में जो बिना परिणाम का उत्तर दिया उससे सदन को भ्रमित और गुमराह करने का प्रयास किया। हरियाणा प्रदेश का किसान 155 से 165 लाख टन अनाज का उत्पादन करके न सिर्फ हरियाणा प्रदेश का पेट भरता है बल्कि सैन्ट्रल पूल में भी अपना योगदान देता है और दूसरा सबसे ज्यादा योगदान देने वाला प्रान्त है। (शोर एवं व्यवधान) कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वर्ष 1966 में केवल 26 लाख टन अनाज पैदा करने वाला प्रांत हरियाणा इतनी ऊंचाइयों को छुएगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं उसी बात पर आ रहा हूं। आज उसी हरियाणा प्रदेश के किसानों को अपनी जमीन का मुआवजा लेने के लिए मरण व्रत पर बैठना पड़ रहा है, आमरण अनशन करना पड़ रहा है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई हो ही नहीं सकती। सरकार यह बताएं कि 12 लाख रुपये का जो अवार्ड है उसको कैंसिल करके क्या उन किसानों को समान मुआवजा देगी ? जो किसान धरने पर बैठे हुए हैं उस धरने को समाप्त करने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है ? जिन किसानों की भूमि ली जा चुकी है क्या उनके पुन:वास के लिए सरकार कोई व्यवस्था करेगी । माननीय वित्त मंत्री जी किसानों को मुआवजा देने की बात कर रहे थे । इसके बारे में मैं सदन को एक उदाहरण दे कर बताना चाहता हूं कि मुआवजा देने में किस तरह से भेदभाव किया गया । हमारे टोहाना, रतिया और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्रों में एक विधायक भारतीय जनता पार्टी का है और दो विधायक इण्डियन नेशनल लोकदल पार्टी के हैं । टोहाना के किसानों को तो मुआवजा दे दिया गया लेकिन रतिया और फतेहाबाद के किसानों को 100 रुपये का मुआवजा भी नहीं दिया गया है क्या यह क्षेत्रवाद की बात नहीं है, क्या यह सबका साथ, सबका विकास करने की बात है ?

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आप ध्यानकर्षण प्रस्ताव के बारे में अपनी बात कीजिए।

श्री बलवान सिंह : सर, मैं मुआवजे की बात कर रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : बलवान सिंह जी, आपने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है वह किसानों की जमीन अधिग्रहण की गई है उसके मुआवजे की बात कही गई है आप उस बारे में बात कीजिए ।

श्री बलवान सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात कही है कि वर्ष 2004 से पहले किसानों को किस प्रकार मुआवजा दिया जाता था। उस समय प्रदेश की जनता देख रही थी कि कर्मयोगी व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और सारी व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन होगा । जनता पैनी नजर से देख रही थी कि ऊंट किस करवट बैठ रहा है । लेकिन जब उन्होंने आकलन किया तो पाया कि ऊंट ज्यों का त्यों बैठा पाया । जब प्रदेश के एक सीनियर मंत्री ने और दो ब्यूरोक्रेट्स ने उस ऊंट से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया । उन अधिकारियों ने और उस मंत्री ने अपने ट्विट्र के माध्यम से अपना दु:ख ब्यां किया है तो उससे लगता है कि कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति काम कर रही है ।

श्री अध्यक्ष : आपके भाषण को कल सुन लेंगे अब आप अपनी सीट पर बैठ जाएं ।

सरदार जसविन्द्र सिंह सन्धू : अध्यक्ष महोदय, पेहवा विधान सभा क्षेत्र जिसमें से नेशनल हाईवे न. 65 गुजरता है जो एक तरफ गाँव थाना से शुरू होता है और अम्बाला की तरफ आखिरी गाँव खेड़ी शहीदां पड़ता है । उस एरिया की जमीन का जो रेट दिया गया है वह डी.आर.ओ. कुरूक्षेत्र ने दिया है और उसने दो रेट तय किए हैं । उसमें पेहवा से आगे तो किसानों को जो रेट दिया जा रहा है वह 45 लाख एकड़ प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा चुका है और पेहवा से अम्बाला की तरफ जो रेट दिया जा रहा है वह 67 लाख रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाना है जिसकी पेमेंट होनी अभी बाकी है । मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन किसानों को अगर सोलेशिएम को जोड़कर दिया जाए तो दोनों जगह एक समान सा रेट बैठता है । यह मामला तितरम मोड़ वाले मामले से थोड़ा भिन्न है । मेरा वित्त मंत्री जी से अनुरोध है कि दोनों जगह के किसानों को एक समान मुआवजा दिया जाए ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जमीन के मुआवजे के बारे में अपना जवाब दिया है । उसके बारे में मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से एक अनुरोध है कि अभी केन्द्र सरकार में किसी कारण से लैण्ड एक्वीजीशन बिल था वह पेश नहीं हो सका । उसके बारे में मैंने अखबारों के माध्यम से यह पढ़ा है कि केन्द्र सरकार ने यह कहा है कि राज्य सरकारें लैण्ड एक्वीजीशन बिल के बारे अपना कानून बना सकती हैं । आज इस बारे में मुद्दा इस महान सदन में आया है । आज हरियाणा प्रदेश की स्थिति ऐसी है कि गुड़गाँव, फरीदाबाद और दिल्ली के नजदीक शहरों की जो जमीन है उसकी कीमत प्रदेश के दूसरे भागों से बिल्कुल अलग है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि जब राज्य सरकारों को अपना कानून बनाने का अधिकार केन्द्र सरकार ने दे दिया है तो वे हरियाणा में भी इस प्रकार का कानून बना दें । इसके लिए पहले एक कमेटी बना दी जाए और वह कमेटी इस बारे में पूरे प्रदेश का सर्वे करे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट पेश करे । इस तरह से लैण्ड एक्वीजीशन बिल, 2013 से अच्छा प्रारूप हरियाणा प्रदेश के लिए बनाया जा सकता है । क्या सरकार ऐसा कानून बनाने के लिए विचार करेगी ?

विद्यार्थियों का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा): स्पीकर सर, आर्य कन्या महाविद्यालय, उकलाना मण्डी की 45 छात्राएं इस महान सदन की कार्यवाही देखने के लिए सदन की दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं, हम उनका हार्दिक अभिनन्दन करते हैं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

श्री परमिन्द्र सिंह ढुल : अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी ने अपना जवाब देते हुए पिछली सरकारों के कार्यकाल का जिक्र किया है । आज माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी सदन में बैठे हुए हैं । हरियाणा प्रदेश का गठन एक नवम्बर, 1966 को हुआ था । क्या उस दिन से आज तक पिछली सरकारों के कार्यकालों में भ्रष्टाचार के मामले में प्रदेश की अनदेखी किस सरकार द्वारा की गई इसके बारे में क्या वे किसी न्यायिक आयोग से जाँच कराने का काम करेंगे ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ?

कैप्टन अभिमन्यु : आदरणीय अध्यक्ष जी, इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बहुत ही विस्तार से इस सदन में महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और सभी माननीय सदस्यों ने उस चर्चा में भाग लिया है और कई अच्छे सवाल भी पूछे गये हैं । सदन की गरिमा के अनुरूप सदन के नेता ने इस प्रस्ताव पर अभी इस सदन में अपनी स्टीक टिप्पणी, मार्गदर्शन व कमिटमैंट दी है । हमारे माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि सरकार उनके सुझाव पर निश्चित तौर पर विचार करेगी । कोई भी माननीय सदस्य किसानों के हित में निश्चित तौर पर इस भरोसे के साथ अपने सुझाव दे सकते हैं जिनको हमारी सरकार अमलीजामा पहनाने में अपनी भूमिका अवश्य निभाएगी । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में विस्तार से चर्चा हुई जिसमें सदन के नेता ने भी खुलकर विस्तार से बताया कि प्रदेश में कहाँ-कहाँ कितनी जमीन एक्वायर हुई है तथा एक्वीजिशन के क्या रेट्स थे । आप यह कहते हैं कि आप उन किसानों को भी दूसरे किसानों को दिए गए रेट्स के बराबर राशि देने की कोशिश करेंगे । मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे कृपया सदन में खड़े होकर ब्यान दे दें कि जो किसान इस समय धरने पर बैठे हैं उन किसानों को भी उनकी ऐक्वायर्ड जमीन के वही रेट्स दिए जाएंगे जो रेट्स अन्य किसानों को दिए गए हैं ताकि आपके सदन में उनके एक वक्तव्य देने मात्र से किसानों का वह आंदोलन खत्म हो जाएगा ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया है तथा मैं फिर अपनी बात को दोहराता हूं कि जो किसान धरने पर बैठे हैं उनको भी उसी रेट्स की राशि दी जाएगी जो राशि दूसरे बाईपास के केसिज़ में अन्य किसानों को दी गई है । अंतर केवल इतना है कि उन किसानों का कहना है कि उनको मुआवजा राशि पुराने एक्ट के अनुसार कैलकुलेट करके दी जाए । मैं बताना चाहूँगा कि यह राशि पुराने एक्ट के अनुसार कैलकुलेट नहीं हो सकती है । अब तो एकमात्र विकल्प यह है कि जो नया एक्ट बना हुआ है उसके मुताबिक 1.1.2015 के बाद नए एक्ट के मुताबिक कैलकुलेशन करके इन किसानों को राशि दी जा सकती है । इसलिए नए एक्ट के अनुसार जो राशि कैलकुलेट हो रही है वह राशि पुराने एक्ट के मुताबिक कैलकुलेट की गई राशि से काफ़ी कम है लेकिन फिर भी हम इक्विटी के सिद्धांत को अपनाते हुए इन किसानों को उन किसानों के बराबर राशि देने के लिए तैयार हैं। (थंपिंग)

गैर सरकारी संकल्प

(i) हरियाणा को डिजिटल बनाने संबंधी

श्री अध्यक्ष : अब श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे ।

श्री ज्ञान चन्द गुप्ता(पंचकूला) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हरियाणा विधान के Rules of Procedure and Conduct of Business के रूल-171 के तहत मैं निम्नलिखित गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत करता हूँ :

> "कि यह महान् सदन राज्य सरकार से डिजिटल हरियाणा के सपने को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हरियाणा के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस प्रोग्राम को शीघ्रता से लागू करने की सिफारिश करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए Information Technology का जितना उपयोग किया जाए उतना ही कम है । सरकार को जनता की भलाई के लिए चलाई गई स्कीमों की जानकारी तथा सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा जनता को दी जाने वाली सेवाओं का कम्प्यूटराईजेशन होना अत्यावश्यक है । आज सारा विश्व E-Governance की ओर बढ़ रहा है और हरियाणा सरकार को भी इसमें पहल करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं समझता हूँ कि डिजिटल हरियाणा का सपना जल्दी से पूरा होना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, ई-गवर्नेंस और डिजिटल हरियाणा के सपने को साकार करने के लिए आपकी तरफ से सभी विधायकों को लेपटॉप प्रदान किए गए हैं । इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ तथा स्वागत करता हूँ । हमारे यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी यू.एस.ए. और कनाडा का सफल दौरा करके लौटे हैं वहाँ पर ई-गवर्नेंस के लिए Information Technology में Google की सबसे बड़ी विश्व की जो कम्पनी है, उस कम्पनी के साथ समझौता करने के लिए मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ । अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार का जो लक्ष्य रहा है वह यह है कि हमारी सरकार ने पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वायदा किया है । पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन प्रदान करने के लिए डिजिटल हरियाणा अति आवश्यक है । मुझे पूरा यकीन है कि आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में डिजिटल हरियाणा के स्वप्न को रियलिटी में साकार करने के लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है । हमारी सरकार ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जिससे कि हमने ई- गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाए हैं । हरियाणा स्टेट वाइड एरिया नैटवर्क में स्टेट हैडक्वार्टर को सभी जिलों से, सभी ब्लाकों से , सभी तहसीलों और सभी सब तहसीलों से और सिविल सैक्रेटेरिएट को हरियाणा भवन, नई दिल्ली से जोड़ा गया है ताकि डाटा ट्रांसफर और इंटरनेट से अधिक एफीशियंसी से काम हो सके । नैशनल ओप्टिकल फाइबर नैटवर्क परियोजना के अंदर सभी ग्राम पंचायतों को ओप्टिकल फाइबर के जरिए कनैक्ट किया जा रहा है ताकि सिटिजन सर्विस सैंटर्ज के माध्यम से जी टू सी और सी टू जी सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाया जा सके । अभी तक 1712 ग्राम पंचायतों में काम पूरा हो चुका है और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4000 ग्राम पंचायतों को इस नैटवर्क के साथ जोड़ने की योजना है । पूरे प्रदेश में 961 कॉमन सर्विस सैंटर्ज खोले जा चुके हैं । इन सैंटर्ज में बर्थ सर्टिफिकेट, डैथ

[श्री ज्ञान चन्द गुप्ता]

सर्टिफिकेट, एस.सी. और बी.सी. सर्टिफिकेट, पासपोर्ट और पैनकार्ड के लिए एप्लीकेशंज की सुविधाएं उपलब्ध हैं । आधारकार्ड बनाने के लिए पूरे प्रदेश में 209 परमानैंट इनरोलमैंट सैंटर्ज स्थापित किए गए हैं । मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में लगभग 94.7 परसैंट लोगों को आधार कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके है जोकि मैं समझता हूं कि अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है । ई डिस्ट्रिक्ट प्रोजैक्ट के तहत 11 सर्विसिज आफ रिवैन्यू, 9 सर्विसिज आफ बर्थ एण्ड डैथ और एक सर्विस आफ डी.एच.बी.वी.एन. को कॉमन सर्विस सैंटर्ज के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा रहा है । बच्चे के जन्म के सर्टिफिकेट के साथ उसका आधार कार्ड की योजना का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने पंचकूला के गांव कोट में 2 सितम्बर, 2015 को किया है और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि अब तक पूरे प्रदेश में लगभग 25 हजार ऐसे नए जन्मे बच्चे हैं, जिनको जन्म सर्टिफिकेट के साथ साथ आधार कार्ड भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं । इसके अलावा पिछले 8 महीनों में राज्य में सूचना केन्द्र एवं हारट्रोन की सहायता से विभिन्न विभागों की एप्लीकेशंज को विकसित किया गया है । ब्राउन फील्ड कलस्टर के रूप में औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना की गई है । सूचना प्रोद्योगिकी को आकर्षित करने के लिए जिला गुड़गांव, तहसील बावल, सब तहसील धारूहेड़ा, जिला पंचकूला और फरीदाबाद को भारत सरकार द्वारा ब्राउन फील्ड एरिया के रूप में अधिसूचित करवाने में सफलता मिली है जबकि अम्बाला, यमुनानगर, कुंडली, राई मॉडल इंडस्ट्रियल एरिया टाउन, झज्जर के एरिया को अधिसूचित करवाने के लिए हमारी सरकार ने प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है । इन्फोर्मेशन टैक्नोलोजी की बढ़ती हुई मांग को मद्देनजर रखते हुए पंचकूला, राई और रोहतक में सोफ्टवेयर टैक्नोलोजी पार्क विकसित करने के लिए कदम उठाए गए हैं । यहां पर आई.आई.टी. जोकि मैं समझता हूं कि सोनीपत के किलोढ़ गांव में खोला जा रहा है जिस पर कुल लागत 128 करोड़ रूपये आनी है जिसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार और एच.एस.आई.आई.डी.सी. पार्टनर हैं। उसका एम.ओ.यू. भारत सरकार के पास साईन होने के लिए गया हुआ है । हारट्रोन द्वारा अपने ई-शिक्षा केन्द्रों पर प्रदेश के बोर्ड, निगम और विभागों के कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है । करीबन 80 ई शिक्षा केन्द्रों पर हारट्रोन द्वारा 90 हजार कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया जा चुका है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आई.टी. विभाग ने भी करीबन 35 हजार कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण दिया है । इसी तरह से हरियाणा नॉलेज कारपोरेशन ने प्रदेश में 205 एथोराईज्ड लर्निंग सैंटर खोले हैं और आने वाले समय में 500 से ज्यादा सैंटर खोलने का लक्ष्य है । इसी तरह से इलैक्ट्रोनिक्स एवं सूचना संचार प्रोद्यौगिकी अकादमी हरियाणा के कालेजों और तकनीकी संस्थानों में कार्य कर रहे संकायों के कौशल में सुधार के लिए एन.आई.टी., कुरूक्षेत्रा में एंक इलैक्ट्रोनिक्स एवं आई.सी.टी. एकेडमी की स्थापना करने की योजना है । इसी तरह से इनफार्मेशन टैक्नोलोजी एवं आधार डाटा को जोड़ने के लिए स्टेट रेजीडैंट डाटा बेस तैयार किया गया है । इसमें लगभग 1.57 करोड़ नागरिकों का रिकार्ड उपलब्ध है । इस डाटा बेस के साथ राजस्व, शहरी स्थानीय निकाय और स्वास्थ्य विभाग की लगभग 20 ई सेवाओं को एकत्रित किया गया है । आई.टी. क्षेत्र में योगदान सामान्यत: संपूर्ण देश में आई.टी. सैक्टर में राज्य की गणनानुसार रोजगार 6.8 प्रतिशत है । आधार कार्ड के बारे में जैसा कि मैंने पहले कहा 2.53 करोड़ से ज्यादा की आबादी में से 2.35 करोड़ लोगों का प्रदेश में आधार कार्ड बनाये जा चुके हैं जो कि अपने आप में एक रिकार्ड है और वर्ष 2015 में इसके 100 प्रतिशत टार्गेट

अचीव करने की संभावना है । इसी तरह से centralized file movement and tracking information system लागू किया गया है ताकि सरकारी ऑफिसिज में फाईलों की मूवमैंट में तेजी लाई जा सके । इस सिस्टम के द्वारा संबंधित व्यक्ति को अपनी फाईल की पूरी मूवमैंट की जानकारी घर बैठे उपलब्ध हो सकेगी । 75 बोर्ड, निगम और विभागों ने यह सिस्टम एडोप्ट कर लिया है । 15 जुलाई तक इस सिस्टम में करीबन 980763 फाईल रजिस्टर हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से ई-स्टैंपिंग की योजना भी हमारी सरकार ने शुरू की है जो कि बहुत ही अच्छी योजना है । पहले जो व्यक्ति प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने के लिए पेपर खरीदता था तो उसे बहुत चक्कर ट्रेजरी आफिस के काटने पड़ते थे लेकिन अब ई-स्टैंपिंग लागू करने से व्यक्ति बिना चक्कर लगाये अपने आप पेपर खरीद सकता है । ई-स्टैंपिंग तथा ई-रजिस्ट्री लागू करने से पूरे प्रदेश में एक मैसेज गया है कि करप्शन पर लगाम लगा है । आने वाले समय में सभी स्थानों पर ई-रजिस्ट्री की सेवा शुरू की जायेगी । ई-रजिस्ट्री जिन-जिन तहसीलों में शुरू हुई है वहां इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आए हैं । अभी पांच तहसीलों/सब तहसीलों रतिया, रोहतक, महम, फतेहाबाद, और हिसार में ई-स्टैंपिंग सिस्टम शुरू हो चुका है । इसके अतिरिक्त इंदकाल भी ऑनलाईन शुरू हो चुके हैं। यह सब हमारी सरकार द्वारा इनफार्मेशन टैक्नोलोजी को बढ़ावा देने के लिए और इसके माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से हमारी सरकार ने Aadhar Enable Biometric Attendance मार्च, 2015 से शुरू कर दी है । जिसके तहत 70500 कर्मचारी रजिस्टर हो चुके हैं तथा 19 हजार कर्मचारियों की हाजरी इसी के थ्रू लगती है । पूरे प्रदेश में 1550 एक्टिव डिवाईस (टैबलेट फिंगर प्रिंट) सरकारी आफिसिज में लगाये हुए हैं जिनके थ्रू हाजरी लगती है । अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार ने ई-टिकटिंग सूरजकुण्ड मेले से पहली बार शुरू की है। ई टिकटिंग भ्रष्टाचार को रोकने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्लीज, गुप्ता जी को अपनी बात पूरी करने दें ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, मैं कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं इनकी सरकार के समय में 10 साल में जो काम नहीं हुआ है वह हमारी सरकार ने मात्र 10 महीनों में ही कर दिखाया है। (शोर एवं व्यवधान) मैं जो भी बात बता रहा हूं वह फैक्ट्स के साथ बता रहा हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री कुलदीप शर्मा : स्पीकर सर, ...(विघ्न)

श्री अध्यक्ष : कुलदीप जी, आप अभी बैठिए । जब आपको बोलने के लिए समय दिया जायेगा उस समय आप अपने सुझाव सरकार को दे देना सरकार आपके सुझावों को अवश्य अमल में लायेगी । (शोर एवं व्यवधान) हम सभी चाहते हैं कि प्रदेश से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाये । इसलिए सरकार उसी दिशा में तेज़ी से काम कर रही है । आप कृपया करके बैठ जाईये और जब आपको बोलने का मौका दिया जाये उस समय आप सभी अपने-अपने सुझावों से सरकार को अवगत करवा दें । (शोर एवं व्यवधान) अभी आप सभी बैठ जायें । (शोर एवं व्यवधान) कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर सदस्य इस प्रस्ताव के खिलाफ हैं। (शोर एवं व्यवधान) आप कृपया करके बैठ जायें और सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने दें । मैं भी आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो यह नई टेक्नोलॉजी है वह भ्रष्टाचार को समाप्त करने में बड़ी कारगर साबित होगी ।

श्री ज्ञान चंद गुप्ता : स्पीकर सर, कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने अपने 10 साल के शासन काल में कुछ किया नहीं और जो हमने इन 10 महीनों के अंदर किया है उसको ये सुनना भी नहीं चाहते । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सभी कृपा करके बैठ जायें । (शोर एवं व्यवधान)

प्रो. रविन्द्र बलियाला : स्पीकर सर, ... (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : प्रोफैसर साहब, आप बैठिए सदन के नेता अपनी बात कहना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, आज सदन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को चर्चा करने के लिए रखा गया है जो शायद प्रदेश, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं जिन्होंने 'डिजिटल' इंडिया के नाम से पूरे देश का आह्वान किया है । इस डिजिटल इंडिया के कार्यक्रम की तर्ज़ पर हमने यह महसूस किया कि हमारे हरियाणा के लिए भी 'डिजिटल हरियाणा' नामक कार्यक्रम को बनाया जाना चाहिए। ऐसी बात भी नहीं है कि इस विषय को आज ही पहली बार शुरू किया गया है। आज इसका महत्व बढ़ाने के लिए यहां पर एक आह्वान किया गया है। कुल मिलाकर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह विषय तो बहुत पुराना है। यह हमने देखा है कि आई.टी. से जुड़े हुए कितने ही प्रोग्राम पिछली सरकार के कार्यकाल के समय से फाईलों में दबे पड़े हैं जिन पर धूल पड़ी हुई थी । हमने सत्ता में आने के बाद उन फाईलों को बाहर निकलवाया । हमने यह महसूस किया कि जो काम 10-10 साल पहले हो जाने चाहिएं थे उन्हें आज तक नहीं किया गया है । यह बड़े दुख की बात है कि किसी ने भी इन चीज़ों के सही और जन साधारण के फायदे के लिए इस्तेमाल करने की ओर क्यों ध्यान नहीं दिया । मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पद्धति लोगों की दखलअंदाजी से चलेगी उसमें भ्रष्टाचार की व्यापकता मिलेगी ही मिलेगी । इतनी बड़ी आबादी के बाद, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं के बाद और इतने बड़े सिस्टम के बाद अगर हम इसको मैनुएल तरीके से चलायेंगे तो अब तक जो अनुभव आते रहे हैं वे अनुभव हमेशा-हमेशा आते ही रहेंगे । हम लोग यदि प्रदेश और देश के अंदर आई.टी. के माध्यम से और ई.गवर्नैंस के माध्यम से कार्यों का सम्पादन शुरू करेंगे तो हम बहुत सी व्यवस्थायें सही तरीके से प्रशासन के निचले स्तर तक दे पायेंगे । हमने यह तय किया कि कुल मिलाकर 163 सर्विसिज़ ऐसी हैं जो घर पर बैठे व्यक्ति को हम दे सकते हैं उनके लिए उसको ब्लॉक के कार्यालय में, सब-डिवीज़न के कार्यालय में, जिला के कार्यालय में या प्रदेश के हैडक्वार्टर के कार्यालय में जाने की ज़रूरत नहीं है । हम गांव के स्तर पर ये छोटी-छोटी सर्विसिज़ 5/- रूपये या 10/- रूपये की मामूली धनराशि में उपलब्ध करवा सकते हैं । आई.टी. के क्षेत्र में जो इतना बड़ा नैटवर्क बना हुआ है इस नैटवर्क का उपयोग हमारे द्वारा अभी तक नहीं किया गया । जो नैटवर्क चण्डीगढ़ से लेकर जिला हैडक्वार्टर, सब-डिवीज़न हैडक्वार्टर और ब्लॉक हैडक्वार्टर स्तर तक बना हुआ है इसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया हुआ है। इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी ये सारी की सारी व्यवस्थायें बड़ी बुरी तरह धराशाही हुई पड़ी थी । हमने आकर इन सारी व्यवस्थाओं को रेल टैल ऑर्गेनाईजेशन के माध्यम से पुनर्जीवित करने के लिए सारे का सारा काम करवाया। पूरे प्रदेश में सब गावों में ब्रॉडबैंड नेटवर्क बने इसके लिए हम काम करवा रहे हैं । 4500 गांवों तक हमारा सिस्टम पहुंच

चुका है। हम 6500 गांवों तक यह सिस्टम पहुंचाना चाहते हैं। जो सर्विस एक बड़े शहर को मिल रही है क्या वह एक गांव को नहीं मिलनी चाहिए ? सभी को नेटवर्क सर्विस मिलनी चाहिए। यह सब करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। हमने सी.एम. विंडो के माध्यम से एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की जिससे आदमी घर बैठे ही अपनी समस्या का समाधान करवा सकता है। यह सर्विस पहले भी समाधान केन्द्र के नाम से थी लेकिन वह सारा प्रोग्राम फ्लॉप रहा । सी.एम. विंडो की मॉनिटरिंग मैं आज तक स्वयं कर रहा हूँ । हजारों लोगों को उनकी समस्या का समाधान घर बैठे करवाने का प्रयत्न हमने किया है और वह हो रहा है । क्या घर बैठे पुलिस की कोई भी कंप्लेंट कोई आदमी नहीं कर सकता ? इसके लिए हमने "हरसमय" नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया है 24x7 । पुलिस में आपको कोई शिकायत करनी है आप कीजिए । इस प्रकार एक बहुत बड़े कार्यक्रम की हमने शुरूआत की है और बहुत से कार्यक्रम अभी बाकी हैं । एक आदमी पैदा हुआ है उसकी उम्र 100 वर्ष तक जा सकती है और उसको हर समय किसी न किसी चीज की आवश्यकता होती है । उस आवश्यकता के हिसाब से अगर हमारे पास एक डाटा बैंक हो तो उस आदमी को हम घर बैठे सेवा दे सकते हैं । जब आदमी 18 साल का हो जाता है तो हम उससे फार्म 6 भरवाते हैं कि हम आपका वोटर कार्ड बनवायेंगे । अगर हमारे पास उसका डाटा होगा तो 18 साल पूरे होने के बाद क्या हमें यहाँ बैठे पता नहीं लग सकता कि वह आदमी 18 साल का हो गया है इसलिए उसका वोटर कार्ड बना कर उसके घर भेजा जा सकता है । एक बच्चा 5 साल का हो गया और वह स्कूल गया है या नहीं गया है उसका भी पता लग सकता है । पढ़ना उसकी ही चिन्ता नहीं है यह हमारी भी चिन्ता है । हम भी चिन्ता करें कि इतने बच्चे आज 5 साल की आयु के हैं और ये इन-इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं बाकी जो स्कूलों में पढ़ने के लिए नहीं गये उनकी चिन्ता कर लें । जो पढ़ने चले गये उनकी चिन्ता माँ-बाप भी कर रहे हैं और स्कूल भी कर रहा है लेकिन जो पढने नहीं गये उनकी चिन्ता हमें करनी चाहिए । एक बालक 3 साल का हो गया उसको इम्यूनाईजेशन का टीका लगा या नहीं लगा यह चिन्ता हमको करनी चाहिए । सरकार आपके द्वार का मतलब यही होता है कि आदमी अपना काम करता रहे, पढ़ने वाला पढ़ता रहे, खेती करने वाला खेती करता रहे, उद्योग चलाने वाला अपना उद्योग चलाता रहे तथा रोजगार चलाने वाला रोजगार चलाता रहे लेकिन सरकार की जो सेवाएं हैं वे उसको घर बैठे ही मिलती रहें । उसको द्वार-द्वार जाना पड़ता है, उसको ऑफिस-दर-ऑफिस चक्कर काटने पड़ते हैं और ऑफिस की फाईलें चलती रहती हैं । 5-5 7-7 साल पुरानी फाईलें हमारे पास आ रही हैं । ऐसी व्यवस्था को अगर हम सरकार बना कर भी ठीक नहीं कर सके तो यह व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं हो सकती. इस बात से आज मुझे बहुत अचम्भा हुआ कि हम इतने सालों तक क्या करते रहे ? पिछले एक साल में आई.टी. के क्षेत्र में हरियाणा में जितना काम हुआ है उससे हम विश्व के मानचित्र पर आ गये हैं । हरियाणा को पूरी दुनिया में सराहा गया है और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हरियाणा इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा है और इसलिए हरियाणा को इसके लिए एक अवार्ड मिलने जा रहा है । इस बारे में 22-23 सितम्बर के लिए मेरे पास एक निमंत्रण आया है । (इस समय मेजें थपथपाई गईं।) हमने आधार बेस्ड अटैंडेंस सिस्टम शुरू किया है । आज तक सरकारी कर्मचारी अधिकारी अपनी मर्जी से आते-जाते थे । हालाँकि यह सिस्टम अभी बहुत नीचे तक नहीं गया है, अभी यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर तक लागू हुआ है । स्टेट के सभी ऑफिसिज में जिला केन्द्रों पर इस सिस्टम को शुरू किया है । इम्पलाईज को आधार कार्ड के तहत रजिस्टर्ड करना शुरू कर दिया है । इसके तहत इसमें 88785 कर्मचारियों

[श्री मनोहर लाल]

को रजिस्टर्ड करना है और अब तक 25 हजार कर्मचारियों पर यह लागू हो चुका है । ये 25 हजार कर्मचारी सुबह 9 बजे कार्यालय पहुंचे या नहीं पहुंचे इसका एक दम से पता चल जाता है । हमारे बड़े-बड़े अधिकारी इस पर कमैंट्स करते हैं कि उनको तो क्लर्क बना दिया गया है। मैंने कहा कि क्यों क्या हुआ तो मुझे बताया गया कि ठीक 9 बजे ऑफिस जाना पड़ता है । इसका मतलब यह हुआ कि 9 बजे जाने का टाईम क्लर्क का होता है न कि अधिकारी का । अधिकारी को भी 9 बजे ऑफिस पहुंचना चाहिए और बेशक 5 बजे अपने घर चला जाये क्योंकि बहुत देर तक रात काम करने की आवश्यकता नहीं है । अगर वह 9 से 5 बजे तक ठीक ढंग से काम करता है तो उसको अपने परिवार का भी पालन-पोषण करना है और उनके सुख-दुख आदि का भी ख्याल रखना है । इसलिए उसको इस बात की छूट है । अगर ये मशीनें न हों तो पता ही नहीं चलता कि वे हर दिन ऑफिस आये या नहीं आये । कहीं से भी फोन करो तो पता नहीं चलता कि वे कहाँ पर हैं? अगर वह अपनी अटैंडैंस लगायेगा तो पता चलेगा कि वह ऑफिस में आया है या नहीं आया है इसलिए Haryana is the first State to go for State-wide roll-out of AEBAS अर्थात आधार एनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडैंस सिस्टम । यह सिस्टम पूरे स्टेट में लगाया गया है। हमने स्टेट रजिडैंट डाटा बेस कार्यक्रम को भी चलाया है अभी तक अलग-अलग विभाग अपनी इस आई.टी. के उपयोग के नाते अपने-अपने सोफ्टवेयर, अपने-अपने प्रोग्राम, अपनी-अपनी वैबसाईट चला रहे हैं । हमने सोचा कि आखिर सबको मिलाकर व्यक्तियों का एक कॉमन डाटा बेस बनना चाहिए क्योंकि आज हमें अपने व्यक्तियों की आबादी का भी पता नहीं लगता कि हमारी आबादी कितनी हो गई है । 10 साल के बाद हम गिनती करते हैं कि पॉपूलेशन सैंक्सैस कितनी हो गई है वह भी डोर टू डोर सर्वे करके आता है । इसके लिए क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि पैदा होने वाले हर बच्चे का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । अगर दुर्भाग्य से, बदकिस्मती से या अपनी आयु से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होना चाहिए । यदि सबका रजिस्ट्रेशन है तो at any given time क्या हम नहीं जान सकते कि हमारी आबादी कितनी है, क्या उसकी योजना नहीं बना सकते कि किस वर्ग के, किस आयु के, किस व्यवसाय के, किस एजुकेशन के कितने लोग हमारे पास हैं ? The click of the button क्या हम उसकी जानकारी नहीं ले सकते ? हम ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें ऐसे सिस्टम खड़े करने पड़ेंगे। इसलिए इस स्टेट रजिडैन्ट डाटा बेस सिस्टम का जो प्रयोग है यह भी first time in any state of the country लागू किया जा रहा है । सैंटर लैवल पर इसका एक एन.पी.आर. (नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर) जरूर बन रहा है लेकिन वह भी अभी अण्डर प्रोसैस है । हम सैंटर से भी आगे बढ़ गये हैं और लगभग अपनी आबादी का 60 प्रतिशत यानी एक करोड़ 57 लाख लोगों का डाटा इस सिस्टम में रजिस्टर हो चुका है बाकि का अभी प्रोसैस में हैं । पिछले मई मास में हमने यह कार्यक्रम तय किया था कि बच्चे का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए । यह बात ठीक है कि पूरे प्रदेश में जितने भी ऐसे केन्द्र हैं उन सब में नये बच्चे के जन्म का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है । इसके लिए बहुत जल्द ही हम ऐसा सिस्टम बनायेंगे कि बच्चे का जन्म होते ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाए । क्योंकि प्रदेश में केवल दो प्रतिशत ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म हमारे होस्पिटल या दूसरे ऑरगेनाईजिज तरीके के स्थान हैं जहां बच्चे का बर्थ होना चाहिए वहां नहीं होता इसलिए उनके बारे में जानकारी लेना कठिन हो जाता है बाकी 98 प्रतिशत बच्चों के जन्म के समय रजिस्ट्रेशन at the time of the Birth & the place of the birth करना संभव है । अगर

हम उन दो प्रतिशत बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे तो हम सभी को जीवन प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी । बड़ी विड़म्बना है कि पेंशनधारकों को साल में एक बार जिस बैंक में उनकी पेंशन बनती है वहां पर अपना जिन्दा रहने का प्रमाण-पत्र देना पड़ता है कि मैं फिलहाल जिन्दा हूँ । यानी उनको जिन्दा रहने का भी प्रमाण-पत्र देना पड़ता है तब जाकर उनको पेंशन मिलती है । अगर हमारे पास सभी व्यक्तियों का डाटा बेस है, जन्मा है, मरा नहीं है it means automatically he is jinda यह विषय मैं इसलिए सदन में रख रहा हूं क्योंकि यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । इस विषय पर मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है कि वे इस विषय को आगे बढ़ाएं । इसको आगे बढ़ाने के लिए हमको स्वयं पहल करनी होगी । मैं अध्यक्ष महोदय, का आभार प्रकट करता हूं कि इन्होंने हमारे सभी विधायकों को लैपटॉप दिये हैं उसमें इस प्रकार के सॉफ्टवेयर भी डलवाएं जिसमें स्टेट लेवल की व सैंटर लेवल की सभी जानकारियाँ आ सकती हैं और जो-जो उसमें आवश्यकता है उसके हिसाब से सभी सदस्य अपनी जानकारी उसमें अगर डलवाएंगे और उसको स्वयं सीखेंगे और उसका उपयोग करेंगे तो अपनी जनता जनार्दन को अच्छी सर्विसिज दे पाएंगे । इस बार प्रदेश की सभी आई.टी.आईज. में ऑन लाईन एडमिशन हुए हैं पहले तो कुछ ही आई.टी.आईज. में एडमिशन होते थे लेकिन अबकी बार टोटल 60 हजार विद्यार्थियों ने 500 ट्रेडज में एडमिशन लिया है यानी इस बार 100 प्रतिशत एडमिशन आई.टी.आईज. में हुए हैं । इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले 'डिजिटल इण्डिया' वीक मनाया था। इसी प्रकार से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए मेरा सभी सदस्यों से आग्रह है और निवेदन है कि सभी इस कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ें । धन्यवाद ।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सदन को बहुत महत्वपूर्ण और कुछ जानकारियाँ जो उनके पास थी वह उन्होंने दी । इसके अन्त में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पड़ोस में हिमाचल प्रदेश की जो ऐसेम्बली है वह पेपर लैस घोषित हो चुकी है । पेपरलैस घोषित की गई है। अर्थात् वहां पर किसी भी पेपर की आवश्यकता नहीं है । मेरी अपील है कि उसी प्रकार से हमारी हरियाणा प्रदेश की असैंबली को भी पेपरलैस करने की दिशा में कदम उठाए जाएं। कागज पर प्रदेश सरकार का जो बहुत बड़ा खर्च होता है जिसके लिए वृक्षों का कटान भी करना पड़ता है, उससे पर्यावरण को काफी नुक्सान होता है, उससे भी बचाव होगा और खर्च भी बचेगा। वैसे भी सभी माननीय सदस्यों को लैपटॉप दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो थोड़ी बहुत सुविधायें हैं वह भी माननीय सदस्यों को दे दी जाएं और असैंबली पेपरलैस हो जाए तो यह हमारे प्रदेश के लिए काफी गौरव की बात होगी। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

> "कि यह महान सदन राज्य सरकार से डिजिटल हरियाणा के सपने को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हरियाणा को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नैंस प्रोग्राम को शीघ्रता से लागू करने की सिफारिश करता है।"

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर, एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। (इस समय

[श्रीमती गीता भुक्कल]

सभापतियों की सूची में से एक सदस्य श्री जाकिर हुसैन चेयर पर पदासीन हुए।) सभापति महोदय, यह जो विषय आज सदन में रखा गया है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर इस नॉन ऑफिशियल रैजौल्यूशन में पूरी रुचि दिखाते हुए, इसमें इन्टरफियर करते हुए इस विषय का महत्व बढ़ाने का काम किया है। सभापति महोदय, ई-गवर्नेंस इन हरियाणा एंड इन कंट्री की बात हो रही है, यह एक बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कहीं न कहीं प्रत्यक्ष रूप में जो ई-गवर्नेंस नजर आनी चाहिए वह नहीं आ रही है। हम ई-गवर्नेंस के खिलाफ नहीं हैं। ई-गवर्नेंस लानी चाहिए लेकिन ऐसा भी लगना चाहिए कि सरकार चल रही है और जनता के काम हो रहे हैं। मैं इस महान सदन का धन्यवाद करना चाहूंगी कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने 21वीं सदी का सपना देखा था, युवा भारत का सपना देखा था । उसमें कंप्यूट्राईजेशन, आई.टी. और आई.टी.सी. की बात कही गई थी जब श्री राजीव गांधी जी ने प्रधान मंत्री के तौर पर अपनी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया था तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात का बहुत ज्यादा विरोध किया था। अब समय बदला है और जरूरत भी महसूस हुई है तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस पर नॉन ऑफिशियल रेजौल्यूशन लाया गया है। इसका मतलब यह है कि जो शुरुआत उस समय हुई थी उसको अब पूरी तरह से मानने का काम किया गया है। मुझे बड़ी खुशी है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने भी ई गवर्नेंस पर बहुत सारी योजनाएं चलाई थी। हमारे भारत देश में 1987 में एन.आई.सी.नैट.इन की लॉचिंग की गई थी। नेशनल सैटेलाइट बाई कंप्यूटर नैटवर्क की शुरुआत उसी समय हुई थी। इस विषय में अध्यक्ष महोदय और श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने भी बहुत रुचि दिखाई है और अपनी बातचीत के दौरान हिमाचल प्रदेश असैंबली की तर्ज पर इस असैंबली को भी पेपरलैस करने की बात कही है। माननीय अध्यक्ष महोदय और श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी इस बारे में हिमाचल की असैंबली में स्टडी करने गए थे। यह अच्छी बात है। इसी तरह से केरल में जहां कांग्रेस-लैड गवर्नमैंट है वहां सबसे ज्यादा ई-गवर्नेंस लागू है। वैसे तो पूरे कंट्री में भी इस समय इस बारे में काम चल रहा है लेकिन केरल को ई-गवर्नेंस के मामले में अग्रणी माना जा सकता है। वहां फ्रैंड्स (Fast Reliable instant and efficient Network for disbursement of services) नामक सिस्टम काम कर रहा है। हमें इस बात की खुशी है। आज के युग में यह सब किया जाना अत्यंत आवश्यक है। Equitable Assessing Public Interest पब्लिक रिलेटेड सर्विसेज हैं उसमें ई- गवर्नेंस रहती है यह अच्छी बात है इससे देश की तरक्की होगी और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी और लोगों की रुचि भी बढ़ेगी लेकिन इन सारी बातों के साथ ही हमें इस बारे में भी विचार करने की जरूरत है कि क्या इस चीज के लिए हमारा हरियाणा प्रदेश पूरी तरह से तैयार है? क्या हमने इस बारे में पूरी तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है ? इसी तरह से इस सदन में स्मार्ट सिटी की बात आई। करनाल माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना क्षेत्र है इसलिए उसे तो स्मार्ट सिटी बनना ही था इसलिए करनाल शहर को सूची में शामिल किया गया और फरीदाबाद शहर को भी इसमें शामिल किया गया लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नजदीक होने के कारण क्या गुड़गांव को स्मार्ट सिटी बनने का अधिकार नहीं बनता था ? इसी तरह से पंचकूला जो कि प्रदेश की राजधानी के नजदीक है। जहां से श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी आते हैं क्या उन्होंने इस बारे में आवाज नहीं उठाई या उनकी बात को नहीं माना गया ? यह क्यों कहा गया कि रोहतक में ज्यादा काम हुए हैं ? जब स्मार्ट सिटी बनाने की बात आई तो इन डिस्ट्रिक्ट को क्यों इग्नोर किया गया?

सरकार द्वारा पूरे प्रदेश को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी की सी.एम. विन्डो के बारे में मैं बात कहना चाहूंगी। यह अच्छी बात है कि हरियाणा प्रदेश में सी.एम. विन्डो खोली गई है। मैं पूछना चाहती हूं कि हरियाणा के ग्रामीण आंचल में जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, दलित हैं, युवा हैं वे सी.एम. विन्डो पर कितनी शिकायतें भेज पाये हैं और उनके कितने कष्ट दूर हुए हैं या उल्टे लोगों को ज्यादा कष्ट हुए हैं ? अब लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि सरकार ने खिड़की तो खोल दी लेकिन उसके किवाड़ बन्द कर दिए। सी.एम. विन्डो के माध्यम से शिकायतें तो की जाती हैं लेकिन उनका समाधान कोई नहीं हो रहा है। हम इसके खिलाफ नहीं हैं लेकिन इससे पहले भी इस प्रकार की प्रक्रियाएं प्रदेश में हमेशा से की जाती रही हैं। हमारे देश में हमारा एक डैमोक्रेटिक सैट-अप है। लोकतंत्र में लोग सबसे महत्वपूर्ण हैं और लोगों से सम्पर्क सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ई-गवर्नैंस की बात की जा रही है, सरकारी कार्यालयों में पेपरलैस सिस्टम की बात की जा रही है, लेकिन लोकतंत्र में जो सरकार है वह of the people, by the people and for the people है। इसलिए लोगों से डायरेक्ट परिचय करना अति आवश्यक है, लोगों से कागज लेना अति आवश्यक है, लोगों की समस्या का समाधान करना अति आवश्यक है। ठीक है, सरकार ने सी.एम. विन्डो खोल दी लेकिन उसके दरवाजे भी जनता के लिए पूरी तरह से खोल देने चाहिए, विधायकों, मंत्रियों के दरवाजे भी जनता के लिए हमेशा खुले रहने देने चाहिए ताकि प्रदेश का जो आम नागरिक है वह आकर अपनी बात पूरी तरह से कह पाए। मैं सरकार के मैनीफेस्टो के बारे में एक बात जरूर कहना चाहूंगी। सरकार द्वारा अपने मैनीफेस्टो में, ऐसे-ऐसे वायदे किए गये जिन पर सरकार शायद कोई चर्चा नहीं कर रही है। ये कभी स्वच्छता की बात करते हैं, कभी "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" की बात करते हैं, कभी योग की बात करते हैं और कभी सरस्वती नदी की बात करते हैं। ये सारी चीजें तो पहले की सरकारों में भी चलती थी लेकिन वर्तमान सरकार इन चीजों का नाम बदलने का काम कर रही है। अगर सरकार कोई नई योजनाएं लेकर आती है तो हम सरकार का सदन में भी पूरी तरह से स्वागत और अभिनन्दन करेंगे। हमारा भारत यंग इण्डिया है और आज हमारे युवा भी सदन की कार्यवाही देखने के लिए आये हैं हम उनका स्वागत करते हैं। आज ग्रामीण आंचल में इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की आवश्यकता है। क्या हम लोग स्टेट में ब्लॉक स्तर तक इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि ई-गवर्नैंस को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रामीण आंचल में लागू कर पाएंगे? इसके लिए पॉवर सप्लाई की बहुत जरूरत है। आज हम ग्रामीण क्षेत्र में बिजली नहीं दे पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े पॉवर कट लग रहे हैं। ई-गवर्नैंस को लागू करने के लिए क्या नेट में पॉवर लोड बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है ? आज एक पोस्टमैन जो पत्र की डिलीवरी करता है उससे स्लो आज हमारा नेट चल रहा है चाहे उसमें बैंकिंग है, पोस्टल है, रेलवे है, चाहे स्टाईफण्ड के लिए स्कॉलरशिप देने की बात है, इन सभी सेवाओं को हम ई-गवर्नैंस के माध्यम से शुरू करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि नेटवर्क के लिए बिजली के लौड के प्रति भी सरकार गम्भीरता दिखाए क्योंकि इस सुविधा को इतने लोग इस्तेमाल करते हैं। अब मैं एजुकेशन के बारे में विशेष तौर से एक बात कहना चाहूंगी। एजुकेशन के बारे में न केवल प्रदेश की बल्कि विश्व की जानकारी भी हमें ई-गवर्नैंस के माध्यम से मिल रही है चाहे वह ई-बुक्स के माध्यम से, चाहे ई-जरनल के माध्यम से या लैक्चर के माध्यम से हमें मिल रही है इसके लिए पूरी तरह से ई-गवर्नैंस की अति आवश्यकता है। हम बच्चों को चाहे एजूसैट के माध्यम से शिक्षा दें, चाहे कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा दें। यह अच्छी बात है लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कम्प्यूटर के माध्यम से शिक्षा देने के लिए हमारी सरकार ने करीबन 2622 स्कूलों में कम्प्यूटर टीचर्ज भर्ती करने का काम किया, लैब एटैण्डैंट्स लगाने का काम किया और लैंग्थेज लैब बनाने का काम

[श्रीमती गीता भुक्कल]

किया । एक तरफ तो वर्तमान सरकार ई-गवर्नेंस की बात कर रही है, कम्प्यूटर टीचर्ज की बात कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कम्प्यूटर टीचर्ज पर लाठी बरसाने का काम भी कर रही है। आज लैब एटेण्डैंट्स पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। हमारा शिक्षा सदन आज धरना स्थल बनकर रह गया है । (विघ्न)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : चेयरमैन सर, मैं आज चौधरी जाकिर हुसैन जी को बधाई देता हूं कि वे आज इस महान सदन की चेयर पर विराजमान हैं । उनके अब्बु श्री तैयब्ब हुसैन जी हमारे साथ यहां पर विधायक रह चुके हैं । अभी हमारी आदरणीय बहन श्रीमती गीता भुक्कल जी जो पिछली सरकार के समय में शिक्षा मंत्री थी वे हमारी पड़ौसी भी हैं क्योंकि वे मातनहेल की रहने वाली हैं । चेयरमैन सर, बहन जी ने अभी कम्प्यूटर व एजुसैट के बारे में जिक्र किया कि पिछली सरकार ने 2622 कम्प्यूटर टीचर्ज और 2623 लैब अटैण्डैंट्स लगाने का काम किया। लेकिन पिछली सरकार ने 19 महीने तक उनका वेतन नहीं दिया है । (शेम) सभापति जी, वे कर्मचारी आंदोलन पर रहे। पिछली सरकार ने यह सब कुछ हमको दिया है । मैं आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी की जानकारी में वृद्धि करना चाहता हूँ कि उन बेरोजगार नौजवान भाई-बहनों से 24 हजार रूपए सिक्योरिटी के रूप में लिए गए थे और पिछली सरकार ने अपने चहेतों की फर्जी आउटसोर्सिंग कम्पनी बना दी थी । वह सारी 71 करोड़ रूपए की अदायगी हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के समय में उनके साथ 8-8, 10-10 बैठकें करके की । पिछली सरकार हमारे ऊपर इतना बड़ा आर्थिक बोझ छोड़कर गई है इसके बावजूद भी उन नौजवानों को हमने 71 करोड़ रूपए की राशि की अदायगी की और अब 5 सितंबर से उनके रोजगार की व्यवस्था भी हम फिर से करने जा रहे हैं । (थपिंग)

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति जी, हमारे भाई श्री रामबिलास शर्मा जी जो मौजूदा शिक्षा मंत्री हैं । (हंसी) ये बेटियों को बचाने और पढ़ाने की बात कर रहे हैं । यह अच्छी बात है । हमारे भाई ने हमारे लिए कहा तो बहुत कुछ है लेकिन चलो बहन कहा है यह बहुत अच्छी बात है । सभापति जी, मैं एक बात जरूर इस सदन में कहना चाहूंगी कि चाहे वह सिक्योरिटी की बात थी या कम्पयूटर टीचर्ज की भर्ती की बात थी लेकिन आई.सी.टी. प्रोजैक्ट को हरियाणा में लाने के लिए शिक्षा विभाग ने बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं । कई बार कामयाबी भी नहीं मिलती है लेकिन High Powered Purchase Committee के माध्यम से उस समय जो भी कम्पनीज़ आई थी उनको टैंडर देने के बाद यह कार्य हुआ है । जब हमारे संज्ञान में यह आया कि इस तरह की सिक्योरिटी ली गई है तो उसी समय सरकार ने यह प्रयास किया था कि उनकी सिक्योरिटी वापिस होनी चाहिए । लेकिन सभापति जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगी कि इनके मैनीफैस्टो में कहाँ लिखा था कि जब कम्प्यूटर टीचर्ज़ पक्का होने के लिए सरकार के पास आएंगे तो उनके ऊपर पानी की बौछारें बरसाई जाएंगी । एक कम्प्यूटर टीचर ने आत्महत्या कर ली । सभापति जी, आज प्रदेश में गैस्ट टीचर्ज़ आत्महत्या कर रहे हैं । क्या उस समय उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि यह मामला sub judice है इसलिए यह संभव नहीं हो सकता है फिर भी इन्होंने इसको क्यों अपने मैनीफैस्टो में रखा ? सभापति जी, मैं कहना चाहूँगी कि आई.सी.टी. व ई-गवर्नेंस लागू करना बहुत अच्छी बात है जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है। हमने अपने समय में भी बच्चों को उनके खाते खुलवाकर स्टाईफंड व स्कॉलरशिप देने का काम

किया था । मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आज बच्चों को ठीक तरीके से स्टाईफंड व स्कॉलरशिप मिल रही है ? (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : सभापति जी, बहन गीता भुक्कल जी बोल रही हैं । एक महिला होने के नाते इतनी courtesy तो होनी चाहिए कि इनको अपनी बात पूरी करने दी जाए तथा माननीय सदस्य बीच में इंट्रप्ट कर रहे हैं मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब उनका समय आएगा, उस समय आप उनको बोलने का मौका दीजिएगा।

श्री महीपाल ढांडा : सभापति जी, बहन गीता भुक्कल जी बहुत अच्छा बोल रही हैं इसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन मुझे इस बात की आपत्ति है कि बहन जी तथ्यों से परे बोल रही हैं ।

श्री सभापति : बहन गीता भुक्कल जी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी विषय से न भटकें तथा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है केवल उसी पर अपने सुझाव सदन में दें तथा जो भी कहना है वह संक्षिप्त में कहें ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति जी, मैं आई.सी.टी. और ई-गवर्नेंस के विषय पर ही बोल रही हूँ । मैं कहाँ भटक रही हूँ ? मैं पूछना चाहती हूँ कि मेरे वक्तव्य के बीच में इंट्रप्ट करने का उनको किसने अधिकार दिया है ? सभापति जी, हमने आई.सी.टी. पर पूरा जोर दिया है । Bank of Thailand में I.C.T. in Education पर एक कॉंफ्रेंस हुई तथा मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे भारत की तरफ से वहाँ पर जाने का मौका मिला । उस समय श्री कपिल सिब्बल जी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे । यहां पर आकाश टेबलेट व कम्प्यूटर शिक्षा देने की बात कही गई । मैं तो केवल सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री जी से यह चाहती हूँ कि कम्प्यूटर शिक्षा को पूरा बढ़ावा दिया जाना चाहिए । माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों व कर्मचारियों की आफिसिज़ में biometric attendance के बारे में कहा । मैं तो कहती हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है इसलिए यह जरूर इन्श्योर कीजिए कि अटैंडेंस हो लेकिन उन्होंने साथ ही साथ खुद ही अपने जवाब में यह भी कहा है कि उन्हें बाबू बना दिया गया है । मैं कहती हूँ कि आई.ए.एस., आई.पी.एस. ऑफिसर्ज़ और डी.सीज़ अटैंडेंस व अंगूठा लगाकर ही फील्ड में क्यों जाएं ? मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार का ब्यूरोक्रेसी से विश्वास उठ चुका है ? बहुत से कर्मचारी सुबह आकर अंगूठा लगाकर हाजिरी लगा देते हैं और फिर सारा दिन तफरी करते हैं और शाम को 5 बजे आकर फिर से अंगूठा लगा लेते हैं । सभापति महोदय, आपकी सरकार को ऐसी गवर्नेंस देनी चाहिए जिसमें कर्मचारियों को अपने मंत्रियों, अधिकारियों, और सरकार पर पूरा भरोसा हो । सभापति महोदय, मैं यहां पर पैंशन की बात भी करना चाहूंगी । इसी सरकार ने बुढ़ापा पैंशन 2000 रूपये करने की बात की थी । बैंकों में खाते खोलने का प्रयास तो हमारी सरकार ने भी किया था । मैं पूछना चाहती हूं कि आज गांवों में पैंशनर्ज के जो खाते खोले गए हैं क्या उनके माध्यम से विडोज, बुजर्ग और 100 परसैंट हैडीकैप्ड लोगों को पैंशन मिल रही है ?

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (श्रीमती कविता जैन) : माननीय बहन जी ने एक बात उठाई कि उन्होंने भी पैंशनर्ज के खाते खोलने का प्रयास किया था लेकिन उनका प्रयास केवल प्रयास तक ही सीमित रह गया था । सभापति महोदय, वर्ष 2011 में इन्होंने फीनो कम्पनी के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत बैंकों के माध्यम से 'डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम' शुरू

[श्रीमती कविता जैन]

की गई थी लेकिन वह स्कीम कुछ ही महीनों में दम तोड़ गई थी। आज विपक्ष के साथी आरोप लगाते हैं कि कई महीनों से बजुर्गो की पैंशन पैंडिंग है । 2011 में ऐसा हुआ था कि उस फीनो कम्पनी द्वारा बजुर्गो की कई महीनों की पैंशन जब्त कर ली गई थी और बजुर्गो को पैंशन नहीं दी गई थी । आज मैं दावे के साथ कहती हूं कि हरियाणा की जो वर्तमान सरकार है उसने अल्प समय के अंदर इतना बड़ा टारगैट यानि लगभग 23 लाख बैनीफिशरीज को 'डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर स्कीम' के आधार पर पैंशन देने की शुरूआत की है । कल 2 सितम्बर को हमने एक बटन दबाकर 13 लाख के करीब बैनीफिशरीज की पैंशन की राशि उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी है । लगभग 5000 गांवों और 81 शहरों में पैंशन वितरण का यह सिस्टम कम्पलीट हो चुका है और केवल कुछ गांव ही शेष बचे हैं । मैं बहन जी को बताना चाहूंगी कि असम्भव लगने वाले इस सिस्टम को जो इनकी सरकार में विफल हो चुका था, हम सफलतापूर्वक लेकर जाएंगें और पूरा करेंगें ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात पूरी कर लूंगी । मैं मंत्री महोदया का धन्यवाद करती हूं कि इन्होंने सदन में अपडेट दी । मैं मानती हूं कि हमने प्रयास किया लेकिन हम कामयाब नहीं हुए । यह सरकार भी प्रयास करेगी । अगर यह सरकार कामयाब नहीं हुई तो हम बजुर्गो के हित में सड़कों पर धरने देंगे । सभापति महोदय, आज 100 परसैंट हैंडीकैप्ड लोग रिक्शा और आटो के माध्यम से पैंशन लेने जा रहे हैं और धक्के खा रहे हैं लेकिन उनको पैंशन नहीं मिल रही है।(शोर)

श्री सभापति : गीता भुक्कल जी, आप अपनी बात जल्दी कम्पलीट करें ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, एक विपक्षी दल होने के नाते हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि जिन पैंशन धारकों की समय पर पैंशन नहीं मिल रही है, क्या यह सरकार उनको ब्याज सहित पैंशन देने का काम करेगी ?

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, बकाया पैंशन का मैं जिक्र करना चाहूंगी कि यह पहली सरकार है जिसने लगभग 28 करोड़ रूपये की पैंशन के एरियर्ज दिए हैं । हमने ब्याज राशि के साथ बकाया पैंशन दी है । मैं दावे के साथ कह सकती हूं और इसको साबित भी कर सकती हूं कि जिसने अपने खाते को अपलोड करा लिया है उसकी जितने महीनों की बकाया पैंशन बनती थी उसको हमने पैंशन दे दी है । जब से हमारी सरकार बनी है उस दिन से लेकर कल तक हमने 28 करोड़ रूपये की राशि की बकाया पैंशन दी है तथा आगे भी जो बैनीफिशरी अपना खाता अपलोड करा लेगा उसकी बाकायदा उस दिन तक की, जितनी पैंशन बकाया होगी वह हम दे देंगें । हमारी सरकार ने एक वैबसाइट बनाई है जिसके द्वारा कोई भी अपना खाता नम्बर खोलकर अपनी पूरी डिटेल देख सकता है कि उसकी कब तक की पैंशन आ गई है और कब तक की पैंशन मिल चुकी है ।

श्री सभापति : गीता भुक्कल जी, आप जल्दी अपनी बात वाईंड-अप करें ।

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, क्या यह सरकार एश्योर करेगी कि सभी गांवों में सभी पैंशनर्ज के इस समय खाते खोले जा चुके हैं और 'थारी पैंशन थारे हाथ' स्कीम के तहत सभी बुजुर्गों को समय पर पैंशन मिल जाएगी ?

श्री सभापति: गीता मुक्कल जी, आप एक मिनट में अपनी बात वाइंड अप करें ।

श्रीमती गीता मुक्कल : अध्यक्ष महोदय, पैंशन लेना तो लोगों का हक है वह सरकार को देनी ही पड़ेगी । They are not on the mercy of the Government. पैंशन हमारी सोशल स्कीम है जिसको हमारी सरकार ने लागू करने का काम किया था । भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव मैनीफैस्टो में बुढ़ापा पैंशन 2000 रूपये करने की बात की थी लेकिन हमारी पार्टी के दबाव डालने पर ही इन्होंने इसे 1200 रूपये करने का काम किया है ।

श्री सभापति : गीता मुक्कल जी, आप प्रस्ताव पर अपने सुझाव दें ।

श्रीमती गीता मुक्कल : सभापति जी, मैं प्रस्ताव पर ही सजैशन दे रही हूं कि बैंकिंग सिस्टम के माध्यम से जो पैंशन दी जा रही है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है । क्योंकि लोग बार-बार पैंशन पता करने के लिए बैंक्स में जाते हैं जिसके कारण 400-500 रूपये के करीब तो उनका किराया लग जाता है । इस कारण से यह सम्मान पैंशन न होकर अपमान पैंशन हो गई है ।

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो यह "अपमान" शब्द का प्रयोग किया है वह सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए । (विघ्न)

श्रीमती गीता मुक्कल : सभापति महोदय, जहां तक आधार कार्ड से पैंशन को जोड़ने की बात कही गई है । उस बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जिस समय यह कार्य हमने करना शुरू किया था उस समय इन लोगों ने इसका विरोध किया था । यह प्रस्ताव अच्छा है लेकिन इसमें सुधार की आवश्यकता है ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : माननीय सभापति जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को जानकारी देते हुए यह बात कही कि इस वर्ष आई.टी.आईज. में ऑनलाईन एडमिशन हुए हैं । यह बड़ी अच्छी बात है क्योंकि ई गवर्नैंस किसी भी देश या प्रदेश के लिए विकास का बहुत अच्छा नमूना पेश करता है । पंडित जी, आपको भी याद होगा कि बेरी हल्के में मेरे गांव दुबलधन की आई.टी.आई. में भी इस वर्ष ऑनलाईन एडमिशन हुए हैं । वहां के 10-12 गांवों के बच्चों ने ऑनलाईन एडमिशन लिए । वहां पर आई.टी.आई. के लिए 6 करोड़ रूपये का नया भवन बना हुआ है जिसमें लॉक लगा हुआ है । जिन बच्चों ने वहां एडमिशन लिया उनको वहां से 30 कि.मी. दूर मातनहेल आई.टी.आई. में क्लासिज लगाने के लिए कहा गया । मैं यही जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों किया गया क्योंकि दुबलधन के साथ 4 कि.मी. पहाड़ी पर भी आई.टी.आई. है वहां पर भी उनकी क्लास लगाई जा सकती हैं तथा नजदीक दूसरी और आई.टी.आईज. भी हैं । जब सरकार ने दुबलधन में भवन बना दिया और एडमिशन की भी सारी फार्मलटीज पूरी कर ली तो वहीं पर क्लासिज लगनी चाहिए ।

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : सभापति जी, आदरणीय डाक्टर साहब ने जो सवाल पूछा है वह वाजिब है । मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि इस वर्ष टैक्नीकल एजुकेशन विभाग, आई.टी.आईज. और कॉलेजिज में ऑनलाईन एडमिशन हुए हैं जिसकी पहली और दूसरी काउंसिलिंग हो चुकी है । जिस दुबलधन का माननीय साथी जिक्र कर रहे हैं वहां मैं गया हुआ हूं । (विघ्न) वह माननीय साथी का गांव है, यह मैं जानता हूं । माननीय कादियान

[श्री राम बिलास शर्मा]

साहब ने स्वयं यह माना है कि ऑनलाईन एडमिशन हुए हैं । जहां तक दुबलधन की बिल्डिंग के उद्घाटन का ताल्लुक है, उस बिल्डिंग का उद्घाटन जल्दी ही करके वहां क्लासिज लगा दी जायेंगी ।

डा. पवन सैनी (लाडवा) : सभापति जी, हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री भाई नरेन्द्र सिंह मोदी जी हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं और उन्होंने डिजीटल इण्डिया का सपना लिया है। उस सपने को साकार करने के लिए हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी डिजीटल हरियाणा का संकल्प लेकर उसमें जुड़ने का काम किया है । माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने सदन में इसके बारे में विस्तारपूर्वक बताया है। मैं भी यह मानता हूं कि इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में लेकर हम सब को काम करना चाहिए । मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने इस बारे में सदन को महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई । मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ई-गवर्नेंस, ई-टैंडरिंग और ई-स्टैम्पिंग से भ्रष्टाचार समाप्त होगा क्योंकि पिछले जमाने में जो बातें हुआ करती थीं उनके बारे में हम ऐसा सुनते हैं कि 10 लोगों द्वारा टैण्डर भरा जाता था उसमें अपने लोगों को बोल दिया जाता था कि वे टैण्डर में रेट की जगह को खाली छोड़ दें और इस प्रकार से जब टैण्डर खुलते थे तो अपने व्यक्ति के द्वारा उसके टैण्डर में रेट की जो जगह खाली छोड़ी जाती थी उस पर सबसे कम कीमत भर दी जाती थी इससे इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लग जायेगा। आज अगर किसी व्यक्ति के बैंक खाते में से पैसे निकल जाते हैं तो तुरंत उसका मैसेज उसके मोबाईल पर आ जाता है । इस प्रकार से इस सिस्टम का लोगों को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त हो रहा है । पूरे हरियाणा प्रदेश के हर-एक ब्लॉक के अंदर ग्राम सचिवालय की कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई है । आज हर-एक व्यक्ति को जिला स्तर पर स्थित लघु सचिवालय के अंदर अपनी बात लेकर जाना पड़ता है। जो खेत में काम करने वाले किसान और खेत में मज़दूरी करने वाले मज़दूर हैं अगर उनको थोड़ी सी भी परेशानी हो जाती है तो उसे जिला सचिवालय या मुख्यालय पर जाना पड़ता है। चाहे उनके रॉशन कार्ड की बात है, चाहे रॉशन कार्ड पर अनाज या दूसरा सामान लेने की बात है, चाहे किसी प्रकार के सर्टीफिकेट की बात है या और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो भी उसे जगह-जगह भागना पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में आई.टी. का 100 प्रतिशत प्रचलन हो जाने से जन-साधारण को अधिकारियों से बात करने के लिए भी अनावश्यक भाग दौड़ करने से मुक्ति मिलेगी । जो आई.टी. के तहत ग्राम सचिवालय की स्थापना की बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है अभी वह हर ब्लॉक में खोला गया है इसी प्रकार से हर गांव के अंदर जब ग्राम सचिवालय खुलेगा तो मेरे ग्रामवासियों को अपनी छोटी-छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए जिला मुख्यालय या कहीं अन्यत्र जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी । इस प्रकार से इसका बहुत ज्यादा महत्व है। यहां पर आधार कार्ड की भी बात की गई । मैं यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हॉस्पिटल्ज़ हैं उनमें जहां पर डिलीवरी सैंटर्ज़ हैं वहां पर भी यह मशीन रखने की व्यवस्था की जाये । मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर प्रत्येक डिलीवरी सैंटर के अंदर इस प्रकार की मशीन रखने की व्यवस्था होगी तो इसका आम जनता को बहुत फायदा होगा ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य डॉ. पवन सैनी जी और पूरे सदन को यह बताना चाहूंगा कि बर्थ रजिस्ट्रेशन के स्थानों पर अभी तक हमने 490 इंस्ट्रूमैंट्स उपलब्ध कराने के ऑर्डर दे दिये हैं। इनके इंस्टाल हो जाने से बर्थ-प्लेस पर ही बच्चे का आधार कार्ड भी बनेगा और वहीं पर उसका बर्थ सर्टीफिकेट भी दे दिया जायेगा ।

डॉ. पवन सैनी : सभापति महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जन-साधारण के हित में यह व्यवस्था करने की घोषणा के लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ । सर, पिछले दिनों इस प्रकार के लोगों की भर्तियां हुई हैं जिनके द्वारा साधारण से साधारण काम में भी बड़ी भारी गलतियां की जा रही हैं। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं जैसा कि मुझे पता चला कि एक व्यक्ति 7-8 महीने से परेशान होकर दर-दर की ठोकरें खाने के बाद आखिरकार हार थक कर अपने घर पर बैठ गया । उसकी समस्या भी ऐसी थी कि उसका कोई भी कसूर नहीं था क्योंकि संबंधित कर्मचारी द्वारा उसके बच्चे की जन्म तारीख को 31 नवम्बर दर्शाया गया था जबकि नवम्बर का महीना 30 दिन का ही होता है जो उसके लिए परेशानी का कारण बन गया लेकिन आई.टी. के आ जाने के कारण इस प्रकार की परेशानियों से लोगों को स्वत: ही निजात मिल जायेगी । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर ये सारी की सारी चीज़ें बहुत पहले लागू हो जाती तो इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा ही न होती । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं यह भी रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी इसको एक अभियान के रूप में लें । हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रशासन से जुड़े सभी काम ऑन-लाईन होने चाहिएं । प्रदेश में रजिस्ट्री ऑन-लाईन हुई है तथा उसमें भ्रष्टाचार की सारी की सारी गुंजाईशें समाप्त हो गई हैं। इससे हरियाणा प्रदेश का नागरिक और हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक मतदाता बहुत खुश है। ई-स्टैम्पिंग से भी लोगों का बहुत फायदा हुआ है क्योंकि पहले तो रजिस्ट्री के लिए जब स्टैम्प पेपर लेने होते थे तो जब तक चालान फार्म के साथ 50 या 100 रूपये का नोट नहीं लगाया जाता था तब तक स्टैम्प पेपर ही नहीं मिलते थे । इस प्रकार से बिना रिश्वत के तो रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टैम्प पेपर भी नहीं मिलते थे । ऐसे ही यहां पर ई-टैंडरिंग की बात हुई । इस मामले में ज्यादा न कहते हुए मैं सभी साथियों से एक बार फिर इस कार्यक्रम को एक अभियान के रूप में लेकर चलने की प्रार्थना करना चाहूंगा । अगर प्रशासन से जुड़े हुए हमारे ज्यादातर कार्य आई.टी. के माध्यम से होंगे तो भ्रष्टाचार का पूरी तरह से खात्मा हो जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सभापति महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ ।

13.00 बजे

श्री राजदीप फौगाट (दादरी): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री श्रीमती कविता जैन जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इस सदन में इतनी अच्छी-अच्छी बातें बताई । इसके साथ ही मैं श्रीमती गीता भुक्कल जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने निर्भीकतापूर्वक यह मान लिया कि उनकी सरकार की जो पैंशन की बैंकिंग योजना थी वह बुरी तरह से धराशायी हो गई थी अर्थात दम तोड़ गई थी । इसी प्रकार से मैं यह भी कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री श्रीमती कविता जैन जी भी स्वयं इस प्रकार की स्वीकारोक्ति करेंगी । उनकी योजना तो धराशायी हुई थी लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से इस योजना को लागू किया है और अगर माननीय मंत्री जी इसी तरह से अपनी जिद पर अड़ी रही तो सभी बुजुर्ग धराशायी हो जायेंगे । मेरा गांव खातीवास है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : राजदीप जी, आप इस बारे में अपने सुझाव दीजिए कि आप इसमें क्या संशोधन चाहते हैं ? (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, आप इनसे सुझाव मांग लीजिए कि उनका क्या सुझाव है अन्यथा मुझे पैंशन स्कीम के बारे में पूरी डिटेल हाउस में बतानी पड़ेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री राजदीप सिंह फौगाट : सभापति महोदय, मेरा गांव खातीवास है जो कि भिवानी जिले में पड़ता है । माननीय मंत्री जी 3 दिन पहले भिवानी गई थी और मैंने इनके सामने अपनी समस्या रखी थी । मैंने इनको बताया था कि मेरे गांव की पैंशन मोरवाला गांव में देनी शुरू कर दी है जो कि मेरे गांव से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है । वही सुविधा हमें गांव रावलधी या समसपुर गांव में भी मिल सकती थी जो कि मेरे गांव से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर हैं । इन्होंने मुझे स्वयं यह आश्वासन दिया था कि आपकी पैंशन समसपुर गांव में भी देना शुरू कर देंगे और अगर रावलधी में चाहोगे तो रावलधी में भी देना शुरू कर देंगे लेकिन आज तक वही स्थिति है तथा हमारे गांव के लोग 14 किलोमीटर दूर मोरवाला गांव से पैंशन लेकर आते हैं । इनकी यह योजना ठीक नहीं है । वह हमारे गांव का एप्रोच रोड है जहां पर लोग पैदल चल कर जाते हैं ।

श्री सभापति : मंत्री जी, जो-जो सदस्य बोलते हैं आप उनके सुझाव नोट कर लें और फिर सभी का जवाब एक साथ ही दे दें । इस प्रकार से अगर आप हर सदस्य का जवाब अलग-अलग देंगी तो एक स्पीच बन जायेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, इस गैर-सरकारी प्रस्ताव का जवाब तो दूसरे मंत्री को देना है लेकिन यहाँ पर मेरे विभाग से संबंधित सवाल पूछा गया है इसलिए उसका जवाब तो मुझे ही देना पड़ेगा । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : बहन जी, फिर तो हर कोई सवाल करने लग जायेगा और आपको जवाब देना पड़ेगा और इस प्रकार तो प्रश्नकाल ही शुरू हो जायेगा ।

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, जब मैं पूरी जानकारी सदन को दे दूंगी तो फिर कोई पूछेगा ही नहीं ।

श्री सभापति : ठीक है, आप बोलिए ।

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, जैसा कि आपको पता है कि पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से हम बैंकों के माध्यम से बुजुर्गों को पैंशन दे रहे हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : बहन जी, इस प्रकार से तो फिर पूरा भाषण शुरू हो जायेगा । आप यह बता दीजिए कि इनके गांव की पैंशन क्या आप इनके गांव में भिजवा देंगी या नहीं ?

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, इनके गांव की सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री सभापति : वे पैंशन के विषय को लेकर कुछ दिन पहले आपसे मिले थे, उसकी जानकारी उनको दे दीजिए । (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती कविता जैन : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोलना चाह रहे हैं, इसलिए पहले ये ही बोल लें ।

श्री राजदीप सिंह फौगाट : सभापति महोदय, अभी सदन में हमारे साथी श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लम्बे-चौड़े भाषण दिये हैं । भाषण देना तो आसान होता है, सदन को बताना भी आसान होता है लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं तो पता चलता है कि दिक्कत कहाँ है । माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आप पुलिस स्टेशन में एक टेलीफोन कीजिए और आपकी एफ.आई.आर. दर्ज हो जायेगी । मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर उपस्थित कोई भी सदस्य या स्वयं मुख्यमंत्री केवल अपना नाम लेकर स्पीकर ऑन करके किसी भी पुलिस स्टेशन में फोन मिला लीजिए कि मैं मनोहर लाल बोल रहा हूँ और मुझे एफ.आई.आर. दर्ज करवानी है तो सामने से आवाज आयेगी कि आपको थाने में आ कर ही अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी पड़ेगी । यदि आप किसी भी थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराने जाओगे तो वहां से यह जवाब आयेगा कि आप जैसे बहुत आदमी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं । इसलिए आप इस बात को मान लीजिए कि कहना तो आसान होता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लागू करना बड़ा मुश्किल होता है । अभी शिक्षा के बारे में माननीय शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे । इसी संबंध में मैं भिवानी व अपने हल्के की बात बताना चाहता हूं । हमारे भिवानी जिले के तीन कन्या विद्यालय पिछले 15-20 दिनों से बन्द पड़े हैं । इसलिए मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि कहना तो आसान होता है लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लागू करना बहुत मुश्किल होता है । धन्यवाद ।

श्री नसीम अहमद (फिरोजपुर झिरका): सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका धन्यवाद । श्री ज्ञानचन्द गुप्ता जी ने जो गैर सरकारी प्रस्ताव सदन में रखा है वह बहुत ही बढ़िया सोच है और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जो "डिजिटल इण्डिया" का सपना देखा है, वाकई आज हमारे देश और प्रदेश में उसकी जरूरत है, लेकिन उससे पहले हमें अपने धरातल को भी देखना चाहिए कि हमारे देश और प्रदेश की जो स्थिति व हालात हैं उसके अनुसार क्या हम इसको लागू कर पाएंगे या नहीं । आज हम "डिजिटल इण्डिया" की बात कर रहे हैं । एन.डी.ए. की सरकार के समय में हिन्दुस्तान में बीएसएनएल की शुरूआत हुई थी । मैं समझता हूं कि आज जितने भी सदस्य यहां बैठे हुए हैं मुश्किल से किसी के पास बीएसएनएल का मोबाईल सिम-कार्ड होगा । सरकार को सोचना चाहिए कि जो प्राईवेट कम्पनियाँ है वह हमें बहुत अच्छी-अच्छी फैसिलिटीज कैसे देती हैं तथा गवर्नमैंट की जो कम्पनियाँ हैं उनकी सहूलियतों में हमें कहां पर और क्यों दिक्कत आती है ? बातें करना तो बड़ा आसान है लेकिन योजनाओं को लागू करना मुश्किल होता है । कुछ औद्योगिक घराने हैं तथा प्राईवेट संस्थाएं तो इस चीज को लागू कर रही हैं लेकिन सरकारी संस्थाओं द्वारा इसको अमलीजामा पहनाने में बड़ी कठिनाई क्यों आती है ?

श्रीमती गीता भुक्कल : सभापति महोदय, प्राईवेट टेलीफोन कम्पनियाँ भी बहुत अच्छी फैसिलिटी नहीं दे रही हैं उनके नम्बर पर भी एक मिनट की कॉल में चार बार फोन कटते हैं । प्राईवेट कम्पनियों की सर्विस भी बहुत अच्छी नहीं है उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए ।

श्री नसीम अहमद : बहन जी, आपको इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं है सरकार इसका जवाब दे देगी ।

श्री सभापति : बहन जी, आप कृपया बैठ जाईये । आप इस तरह बीच में न बोलें इससे डिस्टर्बैंस होती है ।

श्री नसीम अहमद : सभापति जी, वर्ष 2011 में पिछली सरकार के दौरान "नैशनल ओप्टीकल फाईबर नैटवर्क" की घोषणा की गई थी जिसके माध्यम से देश की ढ़ाई लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनैक्शन से जोड़ने की बात की गई थी लेकिन यह योजना कामयाब नहीं हो पाई । कहीं पर भी ग्राम पंचायतों को इन्टरनैट से जोड़ा नहीं गया है । इस तरीके से अगर घोषणा करना तो आसान है लेकिन उसको अमलीजामा पहनाना और लागू करना यह बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है ।

श्री ज्ञानचन्द गुप्ता : सभापति जी, पिछली सरकार ने जो वर्ष 2011 में घोषणाएं की थी उनको भी पूरा नहीं किया गया था लेकिन यह तो वर्ष 2014 की हमारी सरकार है जो घोषणाएं भी करती है और उनको पूरा भी करती है ।

श्री परमिन्दर सिंह ढुल : ज्ञानचन्द जी, आपकी सरकार के समय में भी इन्टरनैट का बहुत बुरा हाल है । जब तक इन्टरनैट की सुविधा को ठीक नहीं करोगे तब तक इसमें सुधार नहीं हो सकता ।

श्री नसीम अहमद : सभापति जी, एक तरफ तो "डिजिटल इण्डिया" की बात की जा रही है दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की इतनी भारी समस्या है कि केवल 4-5 घण्टे ही बिजली आती है । इन हालातों में ये सरकार 24 घण्टे इन्टरनैट को चलाने की बात करती है । डिजिटल हरियाणा के सपने को पूरा करने में हमें कैसे मुकम्मल कामयाबी मिलेगी यह सोचने की बात है । इसके लिए सबसे पहले हमें अपने धरातल पर बिजली के स्ट्रक्चर को मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि "डिजिटल इण्डिया" का जो सपना देखा जा रहा है उसके लिए हमे सबसे पहले बिजली की आपूर्ति पूरी करनी चाहिए उसके बाद आगे कदम बढ़ाना चाहिए। सभापति जी, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और माननीय साथी भी कह रहे थे कि आज हर विभाग में कर्मचारियों की हाजिरी बायोमैट्रिक मशीन के माध्यम से अंगूठा लगाकर लगाई जा रही है और जो कर्मचारी कम्प्यूटर ऑप्रेटर के पद पर नियुक्त हैं लेकिन वह कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं रखते हैं उनको कम्प्यूटर सिखाया जा रहा है । **(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)** अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विधान सभा में भी हर विधायक को लैपटॉप दिये गये हैं लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जो कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं रखते हैं । सरकारी विभागों में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाने तथा एक दूसरे की बात की जानकारी के लिए कम्प्यूटर ऑपरेट करना बहुत जरूरी है । पिछली सरकार के समय में स्कूलों के अन्दर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए "एजुसेट" के नाम से एक परियोजना शुरू की गई थी और जिसमें बहुत बड़ा घपला हुआ था। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा जहां एजुसेट के माध्यम से कोई कार्यवाही हो रही हो। यह सब चीजें बहुत बढ़िया हैं। "स्मार्ट सिटीज" बनाने की घोषणा हुई है। "स्मार्ट सिटी" का पूरा स्ट्रक्चर डिजिटल बेस पर टिका हुआ है। 100 स्मार्ट सिटी पूरे देश में बनने हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर सिटीज में अभी तक वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, कंप्यूट्राइजेशन अभी पूरी तरह से लागू नहीं है। इस तरह से प्रधानमंत्री जी जो यह बातें कहते हैं कि डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेरे हिसाब से

ये बात "मुंगेरी लाल के हसीन सपने" देखने वाली बात है। सरकार को पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए और जितना जल्दी हो सके इस कार्यक्रम को लागू करना चाहिए।

सांसद का अभिनन्दन

शिक्षा मंत्री (श्री राम बिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि पूर्व विधायक एवं वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य श्री शादी लाल बत्रा जी आज इस महान सदन की कार्यवाही को देखने के लिए दी आई पी गैलरी में उपस्थित हैं, हम उनका तहेदिल से स्वागत करते हैं।

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री हरविन्द्र कल्याण (घरौंडा): अध्यक्ष महोदय, हमारे साथी विधायक श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी ने ई-गवर्नेंस पर एक प्रस्ताव इस महान सदन में रखा है यह बहुत ही सराहनीय है। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में इस सरकार ने जो कदम पिछले दस महीनों में उठाए हैं उनका असर दिखना शुरु हो गया है। अगर ई-रजिस्ट्रियों की बात करें तो 25 दिसंबर, 2014 को यह पायलट प्रौजेक्ट शुरु हुआ था और फरवरी, 2015 में हमारी सभी तहसीलों में ई-रजिस्ट्री का काम शुरु हुआ था । हमें ई-रजिस्ट्रयों के साढ़े तीन लाख आवेदन मिले थे जिनमें से 3 लाख 1 हजार रजिस्ट्री सेम डे पूरी हुई। इस प्रकार रजिस्ट्रियों का 85-86 प्रतिशत काम एक दिन में पूरा हो गया । यदि पिछले वर्ष का आंकड़ा उठाकर देखें तो यह मालूम होगा कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अभी विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने बोलते हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर बायोमीट्रिक अटैंडेंस के बारे में टिप्पणी की तब मुझे एक बात याद आ गई जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा । मैं कोई 2-3 महीने पहले श्री कर्ण देव कंबोज जी के दफ्तर में बैठा था वहां एक व्यक्ति ने आकर यह सिफारिश की कि उनके गांव से चंडीगढ़ के लिए सुबह 6.00 बजे एक बस जो चलती है, उसका समय सुबह 5.30 बजे का कर दिया जाए । मैंने उस व्यक्ति से जब अलग से इस बारे में बात की और इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि यदि सुबह 6.00 बजे बस चलती है तो मुझे आफिस आने में 9.30 बज जाते हैं अत: यदि बस सुबह 5.30 बजे चलेगी तो मैं ठीक समय पर कार्यालय पहुंच जाऊंगा। मैं बताना चाहूंगा कि यह बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और इसी से इस बात का पता चलता है कि सरकार ई-गवर्नेंस पर कितनी दृढ़ता से काम कर रही है और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम आने वाले हैं, यह सभी जानते हैं। माननीय विपक्ष की सदस्या ने बोलते हुए यह बात कही कि ई-गवर्नेंस की बहुत समय पहले नींव रखी गई थी और साथ ही एक सवाल भी किया। उनकी ये दोनों बातें कंट्राडिक्टरी हैं। यदि तीस साल पहले इस कार्य की योजना बनी थी तो सरकार ने क्या इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किया ? मेरा सुझाव है कि जहां विपक्ष की भूमिका अदा करने की बात है वहां विपक्ष को अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए लेकिन जहां अच्छे काम हुए हों, नुक्ताचीनी की बजाय उन कार्यों की सराहना भी करनी चाहिए, सहयोग भी करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं। धन्यवाद।

श्री असीम गोयल (अम्बाला शहर): अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री ज्ञान चन्द गुप्ता जी ने जो एक प्रस्ताव सदन के पटल पर रखा है वह बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है । इसके बारे में

[श्री असीम गोयल]

पहले तो मेरा माननीय विपक्ष के साथियों से एक निवेदन है कि यह ठीक बात है कि विपक्ष के नेताओं की भूमिका हर एक बात की आलोचना करने की होती है । मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार के समय में वे खुद एजुसैट लेकर आये थे । अगर वे व्यावहारिक बात करते हैं तो उन्होंने अपने समय में एजुसैट को लागू क्यों नहीं किया? माननीय सदस्या श्रीमती गीता भुक्कल जी जो प्रदेश की पूर्व शिक्षा मंत्री रही हैं उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया और कुछ सवाल भी उठाये । मैं आपके माध्यम से उनसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं कि जब वे प्रदेश की शिक्षा मंत्री थी तो उस दौरान क्या उन्होंने किसी स्कूल का दौरा किया ? (विघ्न) किसी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, किसी स्कूल में फर्श नहीं हैं और किसी स्कूल की छत नहीं हैं। कहीं कहीं तो क्लास रूम नहीं है । सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि कहीं-कहीं पर विद्यालयों में टीचर भी नहीं है । कई स्कूल तो ऐसे हैं जहां पर एक-एक शिक्षक ही है । आज हमारी सरकार लगभग दस हजार टीचर्ज की भर्ती करने जा रही है।

श्री अध्यक्ष: गोयल साहब, आप इस प्रस्ताव के बारे में ही अपनी बात करें ।

श्री असीम गोयल: अध्यक्ष महोदय, वर्तमान सरकार दस हजार नौकरियां शिक्षा के क्षेत्र में देने जा रही है । माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर एक विधानसभा क्षेत्र में पांच स्कूलों को सम्मानित किया जायेगा । जहां तक व्यापारियों की बात को गम्भीरता से लेते हुए हम सी-फार्म को लेकर आये हैं । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री असीम गोयल जी ने यह बात कही कि पूर्व शिक्षा मंत्री अपने कार्यकाल में स्कूलों के दौरे पर गई या नहीं । मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार के समय में हम बहुत से स्कूलों में एजुसैट, आई.सी.टी., मॉड़ल स्कूल और संस्कृति स्कूलों को लेकर आये । जहां तक स्कूलों के दौरे की बात है तो मैं कहना चाहूंगी कि मैंने बहुत से स्कूलों का दौरा किया और उन दौरो के आधार पर बहुत से स्कूलों की शिक्षा में सुधार भी किया । इसके अलावा मुझे यह बताने में बहुत खुशी है कि हमने न केवल हरियाणा प्रदेश के स्कूलों का दौरा किया बल्कि भारत वर्ष के कई राज्यों के स्कूलों का दौरा भी किया और अपनी रिपोर्ट Central Advisory Board के सामने पेश की । माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी यहां पर बैठे होंगे, उन्हें इस बारे में मालूम होना चाहिए कि हमारी सरकार के समय की रिपोर्ट के आधार पर ही अब एच.आर.डी. मिनिस्ट्री ने वह रिपोर्ट अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट को भेज दी है ।

श्री अध्यक्ष: बहन जी, आपको बहुत अनुभव है इसीलिए यह प्रस्ताव सदन में सरकार लेकर आई है । आप अपने अनुभव के आधार पर अपने सुझाव दें ताकि इसमें और अधिक सुधार किया जा सके तथा हरियाणा की जनता इससे और ज्यादा लाभ उठा सके । इसलिए आप अपने अच्छे सुझाव दें । (विघ्न)

वैयक्तिक स्पष्टीकरण

(श्रीमती गीता भुक्कल, एम0एल0ए0 द्वारा)

श्रीमती गीता भुक्कल : अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन पर बोलना चाहती हूं। मुझे बड़ी खुशी होगी जब माननीय शिक्षा मंत्री श्री रामबिलास शर्मा जी हमें बताएंगे कि "No

detention" की जो बात कही गई है कि बच्चा पास या फेल होना चाहिए कि नहीं, जिस पर हमने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी वह Centrla Advisory Board की मीटिंग में इस बार place on record हुई है । यह मीटिंग सवा साल के बाद आयोजित हुई है । मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सुझावों को मानते हुए परीक्षा लेने और फेल व पास का जो मुद्दा है उस बारे में Parliamentary Right to Education Act में अमैंडमैंट के लिए Central Advisory Board में पास कर दिया है । (विघ्न)

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री अनिल विज: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस समय इनके ही सुझाव को इनकी सरकार ने क्यों नहीं माना था ? तुमने तो बच्चों का भविष्य ही खराब कर दिया । (विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कल : विज साहब, आप तमीज से बात करो । आप "तुमने तुमने" मत बोलो । I had been Education Minister also and now I am a sitting M.L.A.(Interruption)

शिक्षा मंत्री (श्री रामबिलास शर्मा) : अध्यक्ष महोदय, मैं बहन गीता भुक्कल जी का बहुत सम्मान करता हूँ । मैं कहना चाहूँगा कि पिछली सरकार के दौरान श्री कपिल सिब्बल, तत्कालीन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने एक impractical provision शिक्षा विभाग में डाल दिया तथा बच्चों को फ्री कर दिया । उसके बाद "No detention" पर एक कमेटी बनाई गई जिसकी चेयरपर्सन हमारी आदरणीय बहन गीता भुक्कल जी थीं । उस कमेटी की रिपोर्ट उस समय नहीं आई थी बल्कि वह रिपोर्ट अब आई है । (विघ्न) पिछले दिनों हमारे केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री व देश के सभी शिक्षा मंत्रियों की एक बैठक हुई जिसमें मैंने प्रस्ताव रखा था कि श्रीमती गीता भुक्कल जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसने रिपोर्ट दी थी कि बच्चों की 5वीं कक्षा में भी परीक्षा होनी चाहिए, 8वीं कक्षा में भी परीक्षा होनी चाहिए तथा 10वीं कक्षा में भी परीक्षा होनी चाहिए क्योंकि यदि आपने बच्चे को साईकोलोजीकली फ्री कर दिया तो बच्चा सीखने की आदत भूल जाएगा। उस मीटिंग में उस रिपोर्ट को as it is स्वीकार किया गया तथा आने वाले समय में हम इनकी रिपोर्ट की सिफारिशों पर अमल करेंगे ।

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हमारी सरकार ने व्यापारियों के हित में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है । कई महीने जगह-जगह चक्कर लगाने के बावजूद भी उनके सी फार्म की वैरीफिकेशन नहीं होती थी । इसलिए लोगों की इन समस्याओं को मद्देनज़र रखते हुए हमारी सरकार ने इंस्पेक्टर-राज को खत्म करने का काम किया है तथा सी फार्म को ऑनलाईन कर दिया है । डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए आपने सभी माननीय विधायकों को लैपटॉप बाँटे हैं तथा पेपरलैस विधान सभा बनाने के लिए इस सदन में बार-बार मेरे माननीय साथी विधायकों द्वारा आवाज उठाई गई है। इस सदन में biometric atten-dance तथा सरकारी कार्य-पद्धति की बात की गई तथा एक बात यह भी आई कि हर एक अधिकारी व कर्मचारी को लगता है कि उसे अपने कार्यालय में प्रात: 9.00 बजे समय पर पहुंचना है । उनको अब आभास हुआ है कि ऑफिस में समय पर पहुंचना उनका सबसे पहला कर्त्तव्य है जो ई-गवर्नैंस के माध्यम से ही संभव हो पाया है । मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को बधाई देता हूँ । मैं हमारे साथी विधायक आदरणीय श्री ज्ञान चंद गुप्ता जी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि वे इतना अच्छा प्रस्ताव इस

[श्री असीम गोयल]

महान् सदन में लेकर आए हैं । इसके साथ ही मैं विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों से एक निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा जो अच्छी शुरूआत की गई है उसमें सहयोग करके इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें और प्रत्येक चीज़ में नकारात्मक सोच को त्याग दें । धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है :-

"कि यह महान् सदन राज्य सरकार से डिजिटल हरियाणा के सपने को पूरा करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए हरियाणा के लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए ई-गवर्नेंस प्रोग्राम को शीघ्रता से लागू करने की सिफारिश करता है।"

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ।)

(ii) हरियाणा के किसानों के नलकूपों पर मुफ्त सौर उपकरण लगाने संबंधी

श्री अध्यक्ष : करण सिंह दलाल जी, अब आप अपना नॉन ओफिशियल रैजोल्यूशन मूव करें।

श्री करण सिंह दलाल (पलवल): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं-

" कि यह सदन राज्य सरकार से हरियाणा के प्रत्येक किसान के प्रत्येक नलकूप पर मुफ्त सौर उपकरण लगाने तथा राज्य में किसानों के नलकूप कनेक्शनों के बिजली के बिलों पर सबसिडी के रूप में खर्च की जा रही भारी धनराशि को बचाने की सिफारिश करता है । "

अध्यक्ष महोदय, आज हमारा प्रदेश और देश जिस हालात में खड़ा हुआ है उसके लिए आज मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कई मुद्दे ऐसे होते हैं जैसे आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों की क्या तकलीफें होंगी और उनकी क्या जरूरतें होंगी उनके ऊपर हमें राजनीति से ऊपर उठकर चर्चा करनी चाहिए और उनका समाधान ढूंढना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव आज मैंने आपकी ईजाजत से सदन में रखा है । नासा जोकि अमरीका की एक विश्वनीय संस्था है । पिछले दिनों उनकी एक रिपोर्ट इंगलिश ट्रिब्यून में प्रकाशित हुई थी जिसमें लिखा था कि punjab facing veritable water crisis और उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, वैस्टर्न यू.पी. और राजस्थान राज्यों में भूमि का जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है । हालांकि यह बात मेरे इस प्रस्ताव से अलग लग रही होगी लेकिन मैं इसकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बताया गया है कि हरियाणा में 6 लाख के करीब ट्यूबवैल्ज हैं । आज भी 32 हजार नए लोग और कनैक्शंज लेना चाहते हैं लेकिन सरकार ने मजबूरियों को देखते हुए उनको रोका हुआ है । अध्यक्ष महोदय, हमें इस बात की तह में जाना होगा कि इन ट्यूबवैल्ज को सरकार बिजली देती है और राज्य सरकारों ने चाहे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या उससे पहले हमारी पार्टी की सरकार थी या किसी और पार्टी की सरकार थी, बिजली के बिलों में कई हजार करोड़ रूपये सब्सिडी के तौर पर दिए । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें धरती के

पानी को निकालने से रोकना होगा । आज हम मुफ्त बिजली और सबसिडाइज्ड बिजली देने में लगे हुए हैं और किसान अज्ञानता में धरती के नीचे से पानी निकालने में लगा हुआ है । अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये सरकारें किसानों को कब तक मुफ्त बिजली देती रहेंगी और उस मुफ्त बिजली की आड़ में हम कब तक धरती के नीचे से पानी निकालते रहेंगें ? हमें इन हालात को समझकर अपने फैसले बदलने होंगें । हम हमेशा ही राजनैतिक धाराओं में बहकर कि हमारे वोट बढ़ेंगें या घटेंगे, इस चक्कर में पड़कर अगर आने वाले समय का ख्याल नहीं करेंगें तो बहुत बड़ी हानि होगी । सौर उर्जा भारत सरकार की स्कीम है जो हरियाणा राज्य में वर्ष 2014 में चलाई गई थी लेकिन यह नाकाफी है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सौर उर्जा का और बिजली के बिलों का हिसाब लगाएं तो जो सब्सिडी के तौर पर हम हजारों करोड़ रूपये दे रहे हैं, अगर वही पैसा खर्च करके ट्यूबवैल्ज के ऊपर सौर उर्जा के उपक्रम लगा दिए जाएं तो हमेशा के लिए यह पैसा बचेगा । इसके साथ मेरा यह भी सुझाव है कि अगर सरकार इस प्रस्ताव से सहमत होती है और हम ट्यूबवैल्ज के ऊपर सौर उर्जा के उपक्रम लगाने का मन बनाते हैं तो यह सुविधा केवल उन किसानों को दी जानी चाहिए जो स्प्रिंकलर सैट्स से या ड्रिप सिस्टम से अपने खेतों में पानी की सप्लाई करना चाहेंगें ताकि पानी की बचत हो सके । हमें धरती के नीचे के पानी को बचाना है । कई बार जरूरत के बिना ही ट्यूबवैल्ज चलते रहते हैं हमें उस चीज पर भी रोक लगानी है । इसके अतिरिक्त केवल ट्यूवैल्ज् के लिए सौर उपकरण लगाने से ही बात नहीं बनेगी । भारत सरकार और हरियाणा सरकार ने सौर उपकरण रूफ टॉप्स पर लगाने की स्कीम्ज़ निकाली हैं । इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े उद्योगपतियों के लिए भी राजस्थान तथा गुजरात राज्यों में सौर उर्जा से संबंधित स्कीम्ज आई हैं । इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि हम किसानों के ट्यूबवैल्ज के लिए सौर उर्जा उपलब्ध करवाकर खाली समय में जो बिजली बचे, उसके लिए ग्रिड सिस्टम भी बनवायें ताकि जो बिजली किसान के ट्यूबवैल में यूज करने के बाद बचे उसे सरकार किसान से खरीद कर उसे पैसे दे । यह हमारे लिए बड़ी चिंता और चुनौती का विषय है । इस पर सरकार को विचार करना चाहिए । पंजाब और राजस्थान सरकार ने इसे चिंता का विषय मानते हुए इस पर चर्चा करके पहल करने की कोशिश की है । इससे वहां के किसानों को और उनके बच्चों को बहुत बड़ा लाभ होता नजर आ रहा है । अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में ट्यूबवैल्ज़ पर सौर उर्जा उपकरण इस तरह से इन्सटॉल किए जाएं कि जब ट्यूबवैल्ज़ को बिजली की जरूरत हो तो उनमें बिजली इस्तेमाल की जा सकें और खाली समय में जो एक्स्ट्रा बिजली बने वह ग्रिड में चली जाए । जो नैट-मीट्रिंग सिस्टम है वह अभी नाकाफी है, उस पर भी पुनर्विचार किया जाए । सौर उर्जा से जो बिजली उत्पन्न होगी उसमें से फालतू बिजली सरकार खरीदे और उसका पैसा किसान को दे । अध्यक्ष महोदय, हम सभी सदस्य गांवों की पृष्ठभूमि से हैं । हम सभी जानते हैं कि गांवों में किसानों और उनके बच्चों की क्या पोजीशन है ? जो उद्योगपति हैं वे अपने बच्चों के लिए उद्योग या कारखाने लगाते हैं लेकिन किसान अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाते । हमारे यहां किसानों के बच्चे राजनीतिक दलों के चक्कर में झूठे सपने लेते रहते हैं । चाहे वह कोई भी पार्टी हो उसके साथ उनके सपने जुड़े रह जाते हैं । वे सोचते हैं कि हमारी पार्टी की सरकार आयेगी तो यह होगा, वह होगा लेकिन उनके सपने धरे रह जाते हैं। इसलिए मैं फिर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों के ट्यबवैल्ज़ पर सौर उर्जा के उपकरण लगाकर जो बिजली उत्पन्न हो तथा उसमें से जो फालतू बिजली बचे उसे सरकार किसानों से खरीदे और किसानों को उसके

[श्री करण सिंह दलाल]

पैसे दिए जायें तो किसान और उनके बच्चे उद्योगपतियों की श्रेणी में आ जायेंगे । आज फालतू समय में ही वे गांव की चौपालों में ताश खेलते रहते हैं तथा राजनीतिक दलों के चक्कर में झूठे सपने लेते रहते हैं और अपने जीवन को खराब करते रहते हैं । अगर ऐसा कर दिया जाता है तो उनको काम भी मिल जायेगा और उनका भविष्य भी सुरक्षित हो जायेगा । अध्यक्ष महोदय, यदि स्प्रिंकलर सैट्स, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम और सौर ऊर्जा उपकरण लगाने का कार्य किया जायेगा तो प्रदेश की जनता की इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है। चाहे हम विपक्ष में हैं लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि यदि सरकार इस स्कीम को आगे बढ़ाती है तो न केवल राजनैतिक दल बल्कि गांव-गांव के अंदर आज जो किसान कभी फसल का अच्छा भाव न मिलने से मायूस हैं या किन्हीं दूसरी दिक्कतों के कारण मायूस हैं, वे भी इसकी सराहना करेंगे, क्योंकि उनके लिए प्रोपर सौर उर्जा सिस्टम लागू करके उनसे फालतू बिजली लेंगे तो उनका जीवन सुधर सकता है । आज अमेरिका में जहाज भी सौर उर्जा के बनाये गये हैं और वे आधे से ज्यादा काम सौर उर्जा से करते हैं । वहां पर सूरज की ज्यादा धूप भी नहीं होती जबकि हमारे यहां तो सूरज की धूप बहुत होती है । इसका एक्सप्लोयटेशन किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, मुझे जर्मनी जाने का अवसर मिला था । मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि वहां पर हर शहर में कोई भी ऐसा घर नहीं था जिसकी रूफ-टॉप पर सौर उर्जा सिस्टम न लगा हो जबकि वहां भी धूप ज्यादा नहीं होती है। उन लोगों में जागरूकता है और अपने देश के प्रति बहुत निष्ठा है । अध्यक्ष महोदय, नासा ने हमें वार्न भी किया है और साथ में अपना उदाहरण दिया है कि कैलीफोर्निया जहां पहले सारे अमेरिका की सब्जियां और खाने की दूसरी चीजों का उत्पादन होता था क्योंकि उन्होंने ग्राउंड वाटर को बहुत एक्सप्लोयट किया था, आज वहां अंडर-ग्राउंड वाटर समाप्त हो चुका है और दूसरी जगहों से वहां सब्जियां और खाने की दूसरी चीजें पहुंचाई जाती हैं । अध्यक्ष महोदय, आपने भी इस बारे में अखबारों में पढ़ा होगा कि कैलीफोर्निया में इतना ज्यादा ग्राउंड-वाटर एक्सप्लोयट किया गया कि वहां पर अंडर-ग्राउंड वाटर समाप्त हो गया और अब वे साईंटिफिक तरीके से बादल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं ताकि उससे बरसात की जाये । जब अमेरिका जैसा देश इस बात को पहचान रहा है और हमें वार्न कर रहा है कि हम जिस धरती पर बसे हुए हैं वहां नीचे का मीठा पानी और नीचे जा रहा है और खारा पानी ऊपर आ रहा है तो इसके बारे में हमें भी विचार करने की आवश्यकता है । अध्यक्ष महोदय, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो फ्लड इरीगेशन है और दूसरा कारण यह है कि रात के समय किसान को बिजली दी जाती है । यह सरकार की मजबूरी है क्योंकि रात के समय बिजली सस्ती मिलती है लेकिन रात को बिजली मिलने से किसान बहुत परेशान हैं अगर बिजली सौर उर्जा से बनने लगेगी तो इससे बहुत सी परेशानियों से स्वत: ही मुक्ति मिल जायेगी । अध्यक्ष महोदय, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि किसानों से बिजली के बकाया बिलों की रिकवरी करने के लिए हरियाणा प्रदेश में कितने लोगों की हत्यायें हुई हैं, कितनी गोलियां चली हैं और कितने मुकद्दमें बने हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो उससे इस प्रकार की घटनाओं में कमी आ सकती है। आज के समय में आपकी सरकार के साथ ही साथ किसी भी प्रदेश की सरकार की अगर कोई सबसे बड़ी परेशानी है तो वह बिजली बिलों की उगाही है जिसके ऊपर राजनीति होती आई है। इसलिए अगर हम यह सौर उर्जा गांवों में पहुंचायेंगे तो इससे एक बहुत बड़ी सिरदर्दी खत्म हो सकती है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि यह इतना आसान काम नहीं है । अगर हम इस बारे में बिजली

महकमे वालों से बात करें तो वे कहते हैं कि एक ट्यूबवैल पर कम से कम साढ़े सात हॉर्स-पॉवर की मोटर लगती है। जो भारत सरकार की स्कीम है और वह स्कीम शायद हरियाणा प्रदेश में भी चली हुई है । उस स्कीम के तहत 20 हज़ार किलोवॉट पर सब्सिडी दी जाती है। इस बारे में जो मैंने अनुमान लगवाया है उसके मुताबिक अगर कोई किसान साढ़े सात हॉर्स पॉवर की मोटर का इस्तेमाल अपने ट्यूबवैल को चलाने के लिए करता है तो उसके लिए उसको जो सब्सिडी उपलब्ध होगी वह 1,12,000/- रूपये होगी और उसके ऊपर टोटल लागत 3,94,000/- रूपये आयेगी । इस प्रकार से केवल 2,80,000/- रूपये बचे हैं जिनका हमें इंतज़ाम करना है। इसके लिए हम यह कर सकते हैं कि चाहे यह धनराशि हम किसानों को बिना ब्याज के उपलब्ध करवायें या फिर उनसे कोई ऐसा करार करवायें कि जब वह बिजली वहां बनेगी और ग्रिड में जायेगी तो वहां से जो पैसा आयेगा वह उसमें से काट लिया जाये । मैं यह मानता हूं कि इससे बड़ा कोई सपना हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए नहीं हो सकता है और न ही इससे बड़ी हरियाणा प्रदेश के लोगों की कोई ज़रूरत ही हो सकती है। बिजली विभाग कहता है कि जहां पर धरती के नीचे वॉटर लैवल बहुत गहरा है वहां पर यह प्रणाली इस्तेमाल नहीं हो सकती है। इसके लिए हम कई कैटेगरीज़ बना सकते हैं । यमुनानगर जिलों में भूमिगत जल स्तर 15 से 20 फुट पर है । इसलिए जहां-जहां पर 15 से 20 फुट पर अण्डरग्राऊंड वॉटर लैवल है वहां पर यह प्रणाली सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है । इस मामले में दूसरा काम हम यह कर सकते हैं कि जो 32 हज़ार ट्यूबवैल्ज़ कनैक्शंज हमारे पास पैंडिंग हैं अर्थात लोग सरकार से कनैक्शंज़ मांग रहे हैं जिनको हमारी सरकार नहीं दे पा रही है । इस मामले में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों को इस शर्त के साथ कनैक्शंज़ दे दे कि वे सौर उर्जा के उपकरण लगवायेंगे । बिजली विभाग कहता है कि जहां पर अण्डरग्राऊंड वॉटर ज्यादा गहरा है वहां से सौर उर्जा से चलने वाली मोटरें पानी नहीं खींच पायेंगी । जो बड़े-बड़े गांवों और शहरों में वॉटर टैंक्स हैं जब वहां पर बिजली चली जाती है तो उनके लिए बड़ी भारी परेशानी खड़ी हो जाती है क्योंकि जब तक बिजली नहीं आ जाती तब तक वे पूरे के पूरे बड़े-बड़े गांव और शहर बिना पानी के ही बैठे रहते हैं । इसलिए उनके ऊपर जो सौर उर्जा के इक्विपमैंट्स हैं वे सबसे ज्यादा कामयाब हो सकते हैं क्योंकि वहां पर तो धरती के नीचे से भी पानी नहीं खींचना होता है। यह एक बहुत ज़रूरी काम है क्योंकि इस क्षेत्र में जिस प्रकार से सारी दुनिया के सब लोग बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं उसी प्रकार से हमें भी इस क्षेत्र में जल्दी से जल्दी सबसे आगे निकलने के ठोस प्रयास करने चाहिएं। स्पीकर सर, मेरा आपकी मार्फत सरकार से यह भी निवेदन है कि जो यह 04 सितम्बर, 2014 वाली पॉलिसी है उसको पंजाब व राजस्थान सरकार के साथ बैठकर रिव्यू किया जाये। इसके अलावा मेरा एक और सुझाव है कि जो आई.ए.एस. ऑफिसर्ज़ को इस महकमे का कमिश्नर और डॉयरैक्टर नियुक्त कर दिया जाता है, वह ठीक नहीं है। इसके विपरीत हमें इस विभाग के उच्च पदों पर टैक्निकल लोगों को ही नियुक्त करना चाहिए। चाहे हमें उन्हें साऊथ कोरिया से लाना पड़े या फिर जर्मनी से ही लेकर आना पड़े । इसके अलावा हमारे देश में भी इस तरह की टैक्निकल क्वालिफिकेशन रखने वाले लोगों की कमी नहीं है। हमारे यहां पर भी बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं जिनको इस बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है इसलिए बाकायदा अकाऊंटेबल सिस्टम बनाकर उनको इस विभाग के उच्च पदों पर नियुक्त किया जाये । इस मामले में राजनीति और दूसरी निरर्थक बातों से ऊपर उठकर एक ठोस संकल्प के साथ अर्थात पूरा मन बनाकर यदि हम सभी लगें तो मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जो यह

[श्री करण सिंह दलाल]

depletion of ground water है वह रूकेगा और निकट भविष्य में कैलीफोर्निया जैसे हालातों का सामना करने से भी हम बच जायेंगे । इसके अलावा जो हॉई-सबसिडाईज्ड पॉवर पर हज़ारों करोड़ रूपये सरकार द्वारा खर्च किये जाते हैं उनसे भी हम बच जायेंगे । इसके साथ-साथ जो फ्लड इरीगेशन है वह भी बंद हो जायेगी । गुड़गांव, मेवात, नारनौल और रिवाड़ी के हमारे साथी यहां पर बैठें हैं ऐसा हो जाने से उनकी पानी की समस्या का भी काफी हद तक निदान हो जायेगा। मैं पिछले 25 साल से इस विधान सभा में आता हूं और यहां पर बराबर यह देख रहा हूं कि इन जिलों के लोग बार-बार यही कहते आ रहे हैं कि हमें कुछ और नहीं चाहिए हमें सिर्फ पानी चाहिए। स्पीकर सर, अगर हम इस सिस्टम को कामयाब करने में पूरी तरह से सफल हो जाते हैं तो फ्लड का जो पानी खेतों में पड़ा-पड़ा खराब हो रहा है वह पानी रिवाड़ी भी पहुंचेगा, वह नारनौल भी पहुंचेगा और मेवात में भी पहुंचेगा। इस प्रकार से इन जिलों में हमारी पानी की जो बहुत बड़ी समस्या है वह समाप्त हो सकती है । इसलिए आज केन्द्र की सरकार, हरियाणा की सरकार और हमारे सभी साथी विधायक जितने भी यहां पर हम सब लोग उपस्थित हैं हम सबको मिलकर इस सिस्टम को कामयाब बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर भरसक प्रयास करने चाहिएं । अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक और अच्छी बात यह है कि हमारे देश में साल में 320 दिन अच्छी धूप खिली रहती है । शायद दुनिया के कुछ ही मुल्कों में यह सम्भव है जहाँ साल में 320 दिन तक धूप खिली रहती हो । हम यूरोप में गये थे, वहाँ हमने देखा कि जिस दिन धूप निकलती थी उस दिन दिवाली मनती थी । जिस दिन धूप निकलती थी उस दिन लोग बहुत खुश होते थे कि आज धूप निकली है तथा आज तो हम खूब मौज-मस्ती करेंगे । हमारे देश में तो इतनी धूप निकलती है कि उस धूप से बचने के लिए हमें ए.सी. चलाने पड़ते हैं और हमारी बिजली की खपत बढ़ जाती है । सिंचाई के लिए साल में 200 दिन का समय पर्याप्त होता है । चाहे कोई किसान साल में 2 फसल पैदा करे या 3 फसल पैदा करे लेकिन उसको सिंचाई के लिए 200 दिन का समय पर्याप्त होता है । मेरा तो यह मानना है कि सरकार द्वारा सोलर पम्प्स को को मैंडेटरी कर देना चाहिए कि सोलर पम्प तो लगाना ही लगाना पड़ेगा । इस कार्य में अगर सरकार को साल दो साल लगते भी हैं तो कोई बात नहीं लेकिन यह मेरा दावा है कि बेशक यह बहुत बड़ा काम है लेकिन असम्भव नहीं है । अगर यह काम हो जाता है तो हम केवल किसान के ट्यूबवैल के लिए ही बिजली उपलब्ध नहीं करवायेंगे बल्कि एक कारखानेदार की तरह ईज्जत का पैसा किसान के घर में आयेगा और वह भी गर्व से सीना चौड़ा करके अपने गांव तथा इलाके में कह सकेगा कि उसके खेत में इतनी बिजली पैदा होती है । इसमें जो इन्विपमैंट्स लगते हैं वह धरती का ज्यादा हिस्सा नहीं घेरते हैं वह तो थोड़ी ही जगह में लग जाते हैं । गांवों में बुजुर्गों की बनाई हुई बहुत सी हवेलियाँ खाली पड़ी हुई हैं जिन पर ये स्लाइड लग सकती हैं क्योंकि आजकल युवाओं में एक अलग ही ट्रेंड चल पड़ा है कि उनके बाप-दादा का बनाया हुआ मकान चाहे कितना ही अच्छा हो, कितना ही बड़ा व सुन्दर हो लेकिन आजकल के युवक गांव के अन्दर के मकान को छोड़ कर बाहर खेतों में नया मकान बना लेते हैं । इसलिए उन पुरानी खाली हवेलियों का या और खाली स्थानों का जिनमें कोई नहीं रहता है, सोलर ऐनर्जी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है । अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस गैर-सरकारी प्रस्ताव पर बोलने के लिए इतना समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और फिर से निवेदन करता हूँ कि हमें और सरकार को इसमें जो भी ताकत बने यथा संभव वह लगानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ -

"कि यह सदन राज्य सरकार से हरियाणा के प्रत्येक किसान के प्रत्येक नलकूप पर मुफ्त सौर उपकरण लगाने तथा राज्य में किसानों के नलकूप कनैक्शनों के बिजली के बिलों पर सब्सिडी के रूप में खर्च की जा रही भारी धनराशि को बचाने की सिफारिश करता है।"

परिवहन मंत्री (श्री कृष्ण लाल पंवार) : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने सौर ऊर्जा और पॉवर के बारे में सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत किया और उन्होंने बहुत विस्तारपूर्वक तथ्य प्रस्तुत किये हैं । यह बात ठीक है कि आज के दिन यह एक जरूरत है कि सौर ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जाये क्योंकि पॉवर एक नसैस्टी है तथा इसके जो हमारे सोर्स हैं चाहे वह थर्मल प्लांट हों या हाईडल प्रोजेक्ट हों उनसे हम कितनी ही बिजली ले लें लेकिन हमारी माँग दिनोंदिन बढ़ती ही रहती है । इसलिए इस प्रकार के सौर ऊर्जा के स्रोत लगाने जरूरी हैं । इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री भी खुद चिंतित हैं । इस बारे में जब भी कोई मीटिंग होती है तो वे अवश्य बात करते हैं । उन्होंने एक दो प्रोजैक्ट्स पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की योजना भी बनाई है । पानीपत थर्मल प्लांट में 10 मैगावॉट तथा यमुनानगर में एक सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की भी योजना है जो कि पाइपलाईन में है । इसी प्रकार से माननीय साथी श्री करण सिंह दलाल जी ने चिंता जाहिर की है कि हरियाणा प्रदेश में किसानों के ट्यूबवैल्स के कनैक्शन पैंडिंग हैं । अपने वक्तव्य में उन्होंने 32000 पैंडिंग कनैक्शन्ज का आँकड़ा प्रस्तुत किया था मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि यह आँकड़ा 32 हजार का नहीं है बल्कि 34721 का है और सरकार ने 31 दिसम्बर, 2012 तक की जितनी भी किसानों की पैंडिंग दरख्वास्त हैं उनके डिमांड नोटिस जारी कर दिये हैं । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने 8 अप्रैल, 2015 को एक फैसला लिया कि हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश में 10 हजार नये कनैक्शन्ज देने जा रही है और जिनमें 7 हजार तो जनरल कनैक्शन्ज होंगे । (विघ्न)

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जो कह रहे हैं, वह मेरी बात नहीं है । हम तो इनको कह रहे हैं कि ये पॉवर कनैक्शन देना बंद करें और सोलर के कनैक्शन देना शुरू करें ।

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, माननीय साथी ने पैंडिंग कनैक्शन का जिक्र किया था इसलिए इनके प्रश्न का जवाब देना मेरा फर्ज बनता है । मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम 10 हजार नये ट्यूबवैल कनैक्शन्ज देंगे जिनमें से 7 हजार तो जनरल कनैक्शन्ज होंगे और 3 हजार माइक्रो इरीगेशन सिस्टम वाले कनैक्शन्ज होंगे जैसा कि दलाल साहब ने कहा है । इससे किसान को बहुत लाभ होगा और इससे ज्यादा से ज्यादा ड्रिप-इरीगेशन भी हो सकेगी । इसके अलावा जिस प्रकार से माननीय दलाल साहब ने सौर ऊर्जा और बिजली के मामले में जरनल बातें कहीं । बहुत अच्छी बात है कि सब स्टेशनों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अन्दर बिजली सुचारू रूप से चलनी चाहिए । यह ठीक है कि बिजली की सप्लाई होते हुए भी हम प्रदेश में पूरी बिजली नहीं दे पाते हैं क्योंकि हमारे एच.वी.पी.एन.एल. का जो सिस्टम है उसमें कमी है । हरियाणा प्रदेश में 33 के.वी. के 229 सब-स्टेशन हैं । इसलिए सरकार ने यह योजना बनाई है कि पूरे प्रदेश का सर्वे कराया जाए । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि वह सोलर सिस्टम के बारे में बताएं कि इसके कितने सब स्टेशन है, कितने कनैक्शन दिये जाने हैं, कैसे दिये जाने हैं क्योंकि सदन में सोलर सिस्टम पर एक बहुत बड़ा रैजोल्यूशन आया है । यह एक चेलेंजिंग असाईनमैंट है । (विघ्न) स्पीकर सर, आपने मुझे बोलने के लिए टाईम दिया है इसलिए kindly bring the House in order कि माननीय मुख्यमंत्री जी रैजोल्यूशन पर ही बोलें Please, I don't allow to waste the time of the House unnecessarily.

श्री कृष्ण लाल पंवार : अध्यक्ष महोदय, श्री करण सिंह दलाल जी ने सौलर ऊर्जा के संबंध में जरनल बात भी कही है । मैंने अपनी बात की शुरूआत ही जरनल विषय से की थी । (विघ्न) इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी भी जवाब दे देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी सौर ऊर्जा के बारे में बहुत चिंतित हैं । इसलिए ये पूरी योजना बना रहे हैं कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश में निश्चित तौर पर सौर ऊर्जा से ज्यादा बिजली दी जाएगी । चाहे ट्यूबवैल्ज हैं, चाहे घर हैं, सभी प्रकार की योजनाएं बनाकर उनको लागू किया जाएगा तथा बिजली दी जाएगी ।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज) : अध्यक्ष महोदय, जैसा अभी मंत्री जी बता रहे थे कि सौर ऊर्जा के बारे में सरकार बहुत गम्भीर है, मैं बताना चाहूँगा कि खेल विभाग ने इस बारे में भी एक योजना बनाई है । जितने भी हमारे बड़े स्टेडियम हैं उनके रूफ टॉप्स पर सोलर पैनल लगाने के लिए हमारी केन्द्र सरकार से बात-चीत चल रही है । फिलहाल पाँच स्टेडियम के लिए हमारी केन्द्र सरकार से बात चल रही है जिनमें तीन बड़े स्टेडियम हैं और दो छोटे स्टेडियम हैं, जिनके ऊपर सोलर पैनल लगाए जायेंगे । (हंसी)

श्री कुलदीप शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इन सोलर पैनलों को रूफ टॉप्स पर न लगाएं क्योंकि मंत्री जी रूफ टॉप्स पर ही चढ़े रहते हैं । (हंसी)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास (रिवाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री करण सिंह दलाल जी ने बहुत अच्छा व पोजिटिव प्रस्ताव सदन में रखा है । (विघ्न)

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, मैं जो पिछले दस सालों से इन्होंने गन्द फैला रखा है, उसको देखने के लिए रूफ टॉप्स पर जाता हूं । (विघ्न)

श्री रणधीर सिंह कापड़ीवास : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि श्री करण सिंह दलाल जी के पोजीटिव प्रस्ताव को देखकर ऐसा लगता है कि अब पूरा हाऊस एक रचनात्मक सोच के साथ देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात करने लगा है । इससे पहले जब डिजिटल इण्डिया की बात चल रही थी तो मुझे ऐसा लगा था कि ये सारे विधायक डिजिटल हैं जिसका सबूत हमारे विधायक महोदय ने दिया है । यह बहुत बढ़िया सुझाव है क्योंकि सूर्यनारायण भगवान प्रकृति की सबसे बड़ी देन है । इसलिए सूर्य नारायण का तेज पावर के रूप में इस्तेमाल करके जितना लाभ लिया जा सके, वह कम है । उनके इस प्रस्ताव का मैं अपनी तरफ से हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं । उनके इस प्रस्ताव को टैक्नॉलोजीकली और अच्छा रूप दिया जा सकता है और भारत की स्थिति को बदला जा सकता है । मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने यह प्रस्ताव पहले ही हमारे सामने रखा है । इनका इस बारे में मन है । मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। इस मामले में विपक्ष भी मुख्यमंत्री जी के साथ है । पहली बार विपक्ष के साथियों का पौजीटिव रुख मिला है। धन्यवाद।

श्री ओम प्रकाश यादव (नारनौल) : अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक एवं हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी श्री कर्ण सिंह दलाल जी ने जो सुझाव दिया है मैं उनके इस सुझाव का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि उन्होंने जो बहुत ही गंभीर और रचनात्मक सुझाव दिये हैं सारे हाउस को उन सुझावों को पूरी गंभीरता से लेना चाहिए। उनके सुझाव से किसान के लिए और इंडस्ट्रियलिस्ट्स के लिए बिजली की जो कमी है वह दूर होगी और किसान को एक छोटी औद्योगिक इकाई का दर्जा भी मिलेगा। यह बहुत ही अच्छी बात है और यदि किसान अपनी आवश्यकता से अधिक बिजली सौर उर्जा से एकत्र कर सकता है तो सरकार को किसान को यह भी इन्श्योर करना चाहिए कि जितनी अतिरिक्त बिजली बनेगी उसको सरकार किसान से ले ले। इससे किसान एक छोटी सी इण्डस्ट्री का भी काम करेगा। सरकार को भी सरकारी बिल्डिंग्स और ऑफिसिज की छत पर सौर ऊर्जा के प्लांट लगाकर सौर ऊर्जा से जो बिजली पैदा हो उसी से ऑफिस का काम चलाएं तो हमारी बिजली की कमी बहुत हद तक दूर हो सकती है और क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बन सकते हैं। कुछ ऐस्टीमेट लगाकर दलाल साहब ने बताया मैंने उतनी गहराई में आंकलन नहीं किया है। मोटे तौर पर हम देखते हैं कि हम एक छोटा सा नया कनैक्शन लेते हैं। मैं दक्षिणी हरियाणा के इलाके की बात करता हूं । उस टयूबवैल कनैक्शन को लेने के लिए 3-4 लाख रुपये का खर्च आ जाता है। उसके मीटर, इंस्ट्रूमैंट्स और कोठड़ी वगैरह का खर्च अलग से है। पहले कहते हैं कि एक लाख रुपये जमा करा दो फिर उसके बाद ऐस्टीमेट बनेगा, ठेकेदार आएगा। लगभग ढाई लाख का खर्च आता है। दलाल साहब ने 2.5 लाख रुपये के खर्च का आंकलन किया है। मेरे विचार में ढाई लाख और दो लाख अस्सी हजार में ज्यादा डिफरैंस नहीं है। किसान जिस प्रकार का खर्च भुगत रहा है उसका वह पैसा बचेगा और उससे ओवरऑल सारे हरियाणा के किसान तथा सरकार की व्यवस्था सुधरेगी। ऐसा मेरा आंकलन है। दलाल साहब के विचार पर सारे हाउस को गंभीरता से विचार करना चाहिए, यह मेरा निवेदन है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना स्थान लेता हूं। धन्यबाद।

डॉ. अभय सिंह यादव (नांगल-चौधरी): अध्यक्ष महोदय, भाई कर्ण सिंह दलाल ने सर्वसम्मति से इस सदन में जो प्रस्ताव रखा है, वह बहुत ही प्रशंसनीय है। इस विषय में मैं माननीय सदन की सूचना के लिए बता दूं कि हमारे क्षेत्र में इस सोलर ऐनर्जी सिस्टम का बहुत ज्यादा स्कोप है। माननीय मुख्यमंत्री जी नांगलचौधरी में 28 मई, 2015 को जनसभा करने आए थे तो मैंने उनसे विशेष रूप से मांग की थी कि मेरे एरिया में सौर ऊर्जा के मेगा प्लांट्स लगाए जाएं और उन्हें लगाने के लिए 1500 से 2 हजार एकड़ पंचायती भूमि खाली पड़ी है और गांव की पंचायतें इसके लिए तैयार हैं, तत्पर हैं कि इस जमीन को इसके लिए तैयार कर लिया जाए और इसके लिए जो भी सरकार के नियम हैं उस हिसाब से जिस भी भाव पर उस जमीन को लेने के लिए लीज के पैसे सरकार तय करे उस भाव पर वह जमीन देने के लिए वे तैयार हैं। अभी दलाल साहब घरों की छतों के बारे में बात कर रहे थे मैं तो उससे भी आगे की एक बात बता रहा हूं कि हमारे पास लम्बी चौड़ी अरावली की पहाड़ियां पड़ी हैं जिन में इतनी धूप लगती है कि उससे अच्छी जगह कोई नहीं है वहां पर इतनी गर्मी होती है कि सोलर प्लांट को भी उनमें गर्मी लगने लग जाए । आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार किया था। मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे इसके बारे में घोषणा कर दें कि पॉवर विभाग इसके लिए यथाशीघ्र कार्यवाही शुरू कर दे। हमारे

[डा0 अभय सिंह यादव]

एरिया में इसके लिए काफी स्कोप हैं । इस तरह का एक मैगावॉट का सोलर प्लॉट तो गॉव पंचनौता में दस-पन्द्रह साल से लगा हुआ है जो वह बहुत कामयाब है । वह प्लॉट हमारे बिजली विभाग को भी बिजली दे रहा है । नि:संदेह हमारे भाई एक अच्छा प्रस्ताव लेकर आये हैं मैं उसका समर्थन करता हूं । धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री जाकिर हुसैन : (नूँह) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय श्री करण सिंह दलाल जी ने कहा कि आज के दौर में सौर ऊर्जा की एक विश्वव्यापी मांग हो गई है लेकिन दुभार्ग्य की बात है कि हमारे देश में सौर ऊर्जा पर बहुत सारा काम करना अभी बाकी है । आज हमारे देश में बिजली की यह हालत है कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से अपने भाषण में यह कहा था कि भारत में अभी 18 हजार गॉव ऐसे हैं जिनको हमें अभी बिजली पहुंचानी है । अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो हमारे देश में ऐसे हालात हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में बिजली की कितनी कमी है । जब हमारे देश में यू.पी.ए. की सरकार थी उस समय सौर ऊर्जा के बारे में तत्कालीन सरकार ने एक लक्ष्य रखा था कि वर्ष 2020 तक 1 लाख, 20 हजार मैगावॉट सौर ऊर्जा का उत्पादन देश में किया जायेगा । हमारे पड़ौसी राज्य पंजाब के अन्दर 300 मैगावॉट के सौर ऊर्जा के प्लॉट अब तक स्थापित किए जा चुके हैं जबकि हमारे प्रदेश में एक भी मैगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन नहीं हो रहा है । डाक्टर अभय सिंह यादव जी ने कहा कि महेन्द्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद जिलों की अरावली की पहाड़ियों में जहां पर तेज हवाएं चलती हैं, वहां पर सोलर प्लॉट लगाने का काफी स्कोप है । कई प्रदेशों में पवन चक्कियों से बहुत अधिक मात्रा में बिजली बनाई जा रही है । इसी प्रकार हमारे यहां पर सौर ऊर्जा के लिए बहुत सी मुनासिब जगह हैं । इसलिए सरकार को अपने स्तर पर सौर ऊर्जा के प्लॉट अवश्य लगाने चाहिए । अध्यक्ष महोदय, पहले की सरकारों ने सौर ऊर्जा के बारे में गम्भीरता से विचार नहीं किया और वर्तमान सरकार ने भी इस बारे में सदन में ठोस व बुनियादी प्रस्ताव नहीं रखा है । इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जो हमारी हरेडा नोडल एजेन्सी है जिसके माध्यम से सौलर पैनल के इक्विपमेंट्स खरीदे जायेंगे, उस एजेन्सी के साथ सरकार ने अभी तक कोई रेट कान्ट्रेक्ट तय नहीं किया है । इसलिए मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस बारे में रेट कान्ट्रेक्ट जल्दी से जल्दी तय किए जाएं । इसी तरह से माननीय श्री करण सिंह दलाल जी ने इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन में एक आईडिया बताया कि 750 हॉर्स पॉवर का सोलर प्लॉट चार लाख रूपये में लगेगा और उसमें एक लाख 20 हजार रूपये की सब्सिडी दी जायेगी । डॉ. अभय सिंह जी और श्री ओमप्रकाश यादव जी भी कह रहे थे कि एक लाख रूपये तो किसान को तत्काल योजना के तहत टयूबवैल का कनेक्शन लेने के लिए बिजली विभाग को देने होते हैं और अढ़ाई-तीन लाख रूपये का अतिरिक्त खर्च हो जाता है।

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्ष: यदि हाउस की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए ।

आवाजें : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, सदन की बैठक का समय 15 मिनट के लिए और बढ़ाया जाता है ।

गैर सरकारी संकल्प (पुनरारम्भ)

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि इस सपने को सही मायने में साकार करने के लिए और आज सरकार घाटे में जो बिजली खरीद रही है उस अतिरिक्त बोझ को घटाने के लिए जो जमींदार इस काम के लिए आगे आयें सरकार उनको सौर ऊर्जा पर होने वाला पूरे का पूरा खर्च सब्सिडी के तौर पर दे। ऐसा करने से एक तो सब्सिडी में जो निरन्तर घाटा बताते हैं वह कम हो जायेगा और ट्यूबवैल कनैक्शन के लिए जो चार लाख रूपये का खर्चा होता है वह भी किसान का बच जायेगा । इसलिए किसान को पूरे चार लाख रूपये का खर्च सब्सिडी के रूप में दिया जाए । जहां तक तत्काल कनैक्शन देने की बात है जो एक लाख रूपये दिए में जा रहे हैं। यह खत्म करना चाहिए क्योंकि जमींदार पहले ही मरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, आप खुद भी एक जमींदार हैं तथा किसान के बेटे हैं। आप किसान के दु:ख-दर्द को जानते हैं । विधान सभा के पिछले सत्र में चर्चा हुई थी कि किसान की लागत मूल्य 1800/- रूपए पड़ती है जो उसकी एम.एस.पी. से बहुत कम है । इतने घाटे के सौदे में किसान एक लाख रूपए नहीं दे सकता है। जैसे कि हमारी पार्टी इंडियन नैशनल लोकदल के चुनाव घोषणा-पत्र में भी था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों को मुफ्त बिजली कनैक्शन देंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सरकार को एक लाख रूपए के चार्जिज़ को खत्म करके किसानों को मुफ्त बिजली कनैक्शन देने चाहिएं क्योंकि एक लाख रूपए जमा करवाना किसान के वश की बात नहीं है । आज खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र बुनियादी सुविधाओं में पिछड़ा हुआ है। आर्थिक जनगणना की जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक आधे से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । हमारे देश में लगभग 24.45 करोड़ घरों में से 73 प्रतिशत् ग्रामीण हैं।

14:00 बजे

श्री कृष्ण लाल पँवार : अध्यक्ष महोदय, जैसे कि माननीय सदस्य ने बताया है कि तत्काल स्कीम के तहत बिजली कनैक्शन देने के लिए किसान से एक लाख रूपए लिया जाएगा । मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि यह स्कीम सरकार ने वापिस ले ली थी । अब यदि कोई किसान बिजली कनैक्शन लेगा तो उसको 30,000/- रूपए भरने पड़ेंगे तथा इसके अलावा 12,500/- प्रति स्पैन के हिसाब से भी भरने पड़ेंगे । (विघ्न) हम 10,000 बिजली कनैक्शन देंगे । यदि एक पोल लगेगा तो 42,500/- रूपए ही लगेंगे ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि कान को यूं न पकड़कर इधर से पकड़ लिया । यह तो शब्दों का मायाजाल है । आखिरकार बोझ तो जमींदार के ऊपर ही पड़ना है ।

श्री कृष्ण लाल पँवार : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य व सदन को अन्य जानकारी देना चाहूंगा कि यदि कोई किसान सीनियोरिटी को तोड़कर तत्काल स्कीम के अंतर्गत बिजली कनैक्शन लेना चाहेगा तो उसको एक लाख रूपए देना पड़ेगा लेकिन रूटीन में 30,000/-रूपए तथा साथ में प्रति स्पैन 12,000/- ही देने पड़ेंगे । पहले इसको Self Finance Scheme कहते थे जिसको बंद करके अब माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तत्काल स्कीम का रूप दिया है । (शोर एवं व्यवधान) 31.12.2012 तक जिन किसानों ने बिजली कनैक्शन के लिए अप्लाई किया है उनको कनैक्शन देने के लिए हमने डिमांड नोटिस जारी कर दिए हैं ।

श्री रणबीर गंगवा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय बिजली कनैक्शन देने की बात कह रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हल्के के लोग हर रोज यह कहते हैं कि वे पैसे भरने के लिए तैयार हैं, कम से कम उनकी सिक्योरिटी तो भरवा दीजिए । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वे किसानों को बिजली कनैक्शन दे रहे हैं लेकिन बिजली विभाग तो किसानों से सिक्योरिटी के पैसे ही स्वीकार नहीं कर रहा है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में दोनों प्रकार की स्कीम के अंतर्गत बिजली कनैक्शन दिए जा रहे हैं । मैं बताना चाहूँगा कि 2012 तक की जो लिस्ट पैंडिंग है उस लिस्ट के अनुसार किसानों को कनैक्शन दिए गए हैं तथा दिए जा रहे हैं जिसके लिए जैसे कि अभी बताया गया, 30,000/- तथा साथ में 12,500/- प्रति स्पैन चार्ज किए जा रहे हैं । यह कोई नई स्कीम नहीं है । यह स्कीम पहले से ही चल रही है जिसको हमने कन्टीन्यू किया है । इसी बीच एक Self Finance Scheme और आई थी जिसके तहत किसान को एक लाख रूपए जमा करवाने होते थे जिस पर लोगों ने एतराज किया तथा कहा कि 30,000/-रूपए तथा साथ में 12,500/- प्रति स्पैन वाली स्कीम ही ठीक है । इसके अतिरिक्त यदि किसी किसान को तत्काल बिजली कनैक्शन चाहिए तो सीनियोरिटी तोड़कर उसको तत्काल कनैक्शन दिया जा सकता है जिसके लिए उसको एक लाख रूपए तथा साथ में 30,000/- रूपए व 12,500/-रूपए प्रति स्पैन जमा करवाने होंगे ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तत्काल स्कीम का जिक्र किया है । तत्काल स्कीम का मतलब तो यह हुआ कि जिस किसान के पास पैसा हो वह तो एक लाख रूपए जमा करवाकर तत्काल कनैक्शन ले सकता है तथा जिस किसान का रूटीन में नम्बर आ रहा है उसकी सीनियरटी पीछे चली जाएगी । (विघ्न) जब आप एक लाख रूपए जमा करवाकर एक किसान को सीनियोरिटी में आगे लेकर आएंगे तो वह किसान जिसका रूटीन में नम्बर आ रहा था वह सीनियोरिटी में अपने आप ही पीछे चला जाएगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट करें ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में हम ने कोई लिमिट तय नहीं की है । यह तो तब होता है जब लिमिट तय की जाती है कि इतनी संख्या में बिजली कनैक्शन देने हैं । पुरानी लिस्ट के अनुसार तो हम साल-दर-साल कनैक्शन रिलीज कर रहे हैं ।

श्री अभय सिंह चौटाला : अध्यक्ष महोदय, श्री जाकिर हुसैन जी ने रिक्वैस्ट की थी कि एक लाख रूपये तत्काल में लेने के बजाय जितने लोगों की प्रायोरिटी बन रही है उनको तत्काल कनैक्शन दिए जाएं ताकि यह जो नहरी पानी की दिक्कत आ रही है इसका समाधान हो सके । सौर उर्जा की बात चल रही है, यदि किसानों की सौर उर्जा के कनैक्शन मिलेंगे तो किसानों को बिजली के बिल नहीं भरने पड़ेंगे ।

श्री अध्यक्ष : जाकिर हुसैन जी, आप अपनी बात कम्पलीट करें ।

श्री जाकिर हुसैन : अध्यक्ष महोदय, किसान का लागत मूल्य बढ़ रहा है जोकि 1800 रूपये हो गया है और उसको खरीद मूल्य कम मिल रहा है । किसान का लागत मूल्य बढ़ रहा

है और बिजली महकमा ट्यूबवैल के कनैक्शन के लिए उससे एक लाख रूपये मांग रहा है जिस कारण किसान घर में ही बैठ जाता है और कनैक्शन लेने से वंचित रह जाता है । स्वामीनाथन रिपोर्ट में समर्थन मूल्य की बात आई तो कह दिया गया कि यह केन्द्र सरकार का मामला है । अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की दिक्कत को समझते हुए उनसे जो तत्काल के नाम पर पैसा वसूला जा रहा है इसको सरकार को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सरकार सबको रिलीफ देगी तभी बात बनेगी नहीं तो पैसे वाला पहले कनैक्शन ले जाएगा और गरीब व्यक्ति बिना कनैक्शन के ही रह जाएगा । अध्यक्ष महोदय, सरकार को फ्री में सोलर ऐनर्जी प्लांट लगाने चाहिएं ताकि बिजली विभाग का दबाव कम हो सके । अध्यक्ष महोदय, आज बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का एक ही सुर हो रहा है इसलिए अब तो मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर ही देनी चाहिए कि जो भी सोलर एनर्जी का प्लांट लगवाना चाहेगा उसको फ्री में लगाकर देंगें ।

मुख्यमंत्री(श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय श्री करण सिंह दलाल जी का इस विषय को हाउस में लाने के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि इस प्रदेश का जो पॉवर सैक्टर है उस पर हमें आर्थिक दृष्टि से भी चिंता है और मैनेजमैंट की दृष्टि से भी चिंता है । बिजली विभाग में जितना मैनेजमैंट हमको विरासत में मिला है, वास्तव में यह ऐसी कहानी है जिसकी सबको जानकारी है । इसमें 6200 करोड़ रूपये की साल की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। हर साल बिजली विभाग के घाटे बढ़ रहे हैं । वर्ष 2014-15 का कम्युलेटिव घाटा 29362 करोड़ रूपये बन चुका है । बिजली के बिलों की अदायगी न होना, कुंडी कनैक्शन का लगना, लाईन-लौसिज़ का होना, इन्फ्रास्ट्रक्चर का कमजोर होना आदि बहुत सी चीजों के कारण यह घाटा बढ़ रहा है । इसको ठीक करने के लिए ही हम सौर उर्जा की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं । हमारे प्रदेश में बिजली को पैदा करने के लिए जो सोर्सिज़ चाहिएं, वे नहीं हैं । हमारे पास न तो हाईडल के लिए पानी उपलब्ध है और न ही थर्मल के लिए कोयला हमारे पास है। कोई चीज हमें मिल सकती है तो वह है सूर्य की गर्मी । सूर्य की गर्मी जिसकी कोई कीमत नहीं है इसलिए इसकी बिजली जितनी ज्यादा हम प्राप्त कर लेंगें उतना हमारा खर्चा घटेगा । थर्मल के कोयले के लिए चिंता व्यक्त की जाती है कि आखिर कोयला कब तक चलेगा, भूगर्भ भी उसके लिए चिंता प्रकट करता है । पानी का फ्लो उतना हमारे पास नहीं है जितना पहाड़ी राज्यों को मिलता है इसलिए सौर उर्जा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हम यह प्रयोग अपने यहां चालू कर रहे हैं । जैसा कि बताया गया कि सौर उर्जा की हमारी कोई योजना नहीं है, ऐसी बात नहीं है । हमारी योजना में इस वर्ष 400 मैगावाट सौर उर्जा बनाने का टारगेट रखा गया है । इसमें 150 मैगावाट सौर उर्जा के टैण्डर्स की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है । 300 मैगावाट सौर उर्जा के लिए भारत सरकार के जो विभिन्न निगम हैं उनसे हमारी बातचीत चल रही है ताकि उनका भी संचालन करके इस वर्ष 400-450 मैगावाट बिजली हम पूरी कर सकें । वर्ष 2020 तक देश भर का सौर उर्जा से एक लाख मैगावाट बिजली प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें से वर्ष 2020 तक हरियाणा के जिम्मे सौर उर्जा से 2000 मेगावाट बिजली प्राप्त करने का हमारा टारगेट है। इसके लिए कुछ प्राईवेट कंपनीज भी अप्रोच कर रही हैं जिन्होंने कहा कि वे सौर उर्जा के प्लांट हमारे प्रदेश में लगाने के लिए तैयार हैं । भिवानी जिले में 5 मेगावाट का एक प्रोजैक्ट लगा भी है जो कि सुचारू रूप से चल रहा है । इस तरह के प्रोजैक्ट लगाने के लिए हमारी बहुत सी कंपनीज से बात हुई है । जहां तक सोलर पम्प्स लगाने की बात है, इस बारे में जो आंकड़े विभाग

[श्री मनोहर लाल]

ने दिए हैं उनके मुताबिक 1 किलोवाट के हिसाब से 70 हजार रूपये बैटरी बैंक का खर्चा होगा और सौर ऊर्जा के उपकरण सहित करीबन एक लाख रूपये एक किलोवाट का खर्चा आयेगा । यदि एक पम्प पर 12 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाते हैं तो करीबन 8 से 12 लाख रूपये का खर्च आयेगा । मैं समझता हूं कि एक साथ 6 लाख ट्यूबवैल्ज के लिए यह सिस्टम शुरू करना हरियाणा प्रदेश के लिए संभव नहीं है क्योंकि इस पर करीबन 50 हजार करोड़ रूपये का खर्च आयेगा । हमारी अपनी इकॉनोमी, बज़ट और हिसाब किताब सब हमारे सामने है । हम चाहते हैं कि इसको प्रारंभ करना चाहिए और इसको फेज़िज़ में पायलेट-बेसिज़ पर कुछ एरियाज में शुरू किया जाना चाहिए । हमारी कंपनीज से इस तरह की बात चल रही है कि यह प्रोजैक्ट 8 लाख की बजाय 6 लाख रूपये में 12 किलोवाट का लगाया जाये । यह कार्य हमारी सरकार द्वारा अंडर प्रोसैस है कि सौर उर्जा से ट्यूबवैल्ज चलाये जाएं । इससे बिजली विभाग को बहुत बड़ी राहत मिलेगी । अभी 20 हजार रूपये प्रति किलोवाट पर सब्सिडी सरकार की तरफ से देने का प्रावधान है । यदि कोई किसान 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाता है तो उसको 3 लाख रूपये सब्सिडी दी जायेगी । इसके अतिरिक्त बाकी राशि का किस प्रकार से प्रावधान करना है उसके लिए लोन देना है या जो एक्स्ट्रा बिजली तैयार होगी उसको ग्रिड के थ्रू लेकर उसमें उस पैसे को ऐडजस्ट करना है या लोन वगैरह दिया जाना है इस तरह की पायलेट योजना हमने तैयार की है ताकि बहुत जल्दी ही इसको शुरू कर सकें । ऐसा हमारा संकल्प है । जो यह संकल्प सदन में लाया गया है यह दर्शाता है कि सरकार प्रदेश में प्रत्येक ट्यूबवैल पर निःशुल्क सौर उर्जा उपकरण की स्थापना करे, यह अभी संभव नहीं है लेकिन इसको फेज़िज़ में करना संभव है । यदि सदन इसको स्वीकार करे तो आगे इस पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री करण सिंह दलाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही कहा है कि इसको एक साथ शुरू नहीं किया जा सकता इसलिए इसको अमैंड कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन की बैठक शुक्रवार कल दिनांक 4 सितम्बर, 2015 प्रातः 10 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

*14.13 बजे (तत्पश्चात् सदन की बैठक की कार्यवाही शुक्रवार दिनांक 4 सितम्बर, 2015 प्रातः 10.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

53826—H.V.S.—H.G.P., Chd.